राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक १] द्वितीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९५७ का चौदहवां दिवस [संख्या ६

मंगलवार, ७ मई, १९५७

विधान सभा की बैठक मध्यान्हपूर्व ११-१५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

पूर्व जयपुर राज्य के सन् ५० के पी. टी. सी. अध्यापक

४१. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) भूतपूर्व जयपुर राज्य के सन् ५० के पी. टी. सी. अध्यापकों की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) इनमें से कितने अध्यापकों का यूनिफाइड पे स्केल्स में फिक्सेशन हो चुका है ?

(ग) क्या यह सही है इन पी. टी. सी. अध्यापकों को अभी तक अन्ट्रेन्ड मिडिल का ही ग्रेड मिल रहा है जबकि इनसे जूनियर अध्यापकों को ट्रेन्ड मिडिल की ग्रेड में अपग्रेड किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या इन पी. टी. सी. अध्यापकों को भी सन् ५० से ट्रेन्ड मिडिल की ग्रेड दिये जाने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब तथा उस पर अब तक क्या अमल किया गया ?

उपशिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द) :

(क) कुल संख्या ५१० है ।

(ख) ४९८ का हो चुका है ।

(ग) जी नहीं, केवल १२ अध्यापकों का फिक्सेशन न होने की वजह से अन्ट्रेन्ड मिडिल का ग्रेड मिल रहा है ।

(घ) जी हां, ऐसी आज्ञा फरवरी, १९५१ में जारी की गई थी । उसके अनुसार ही इनका फिक्सेशन किया गया है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यह आज्ञा १९५१ में जारी कर दी गई थी तो उनको अब तक युनिफाइड पे स्केल्स में फिक्सेशन क्यों नहीं मिला ?

श्री पूनमचन्द : मैंने अर्ज किया कि ४९८ को मिल चुका है, केवल १२ का बकाया है; जिनके किन्हीं वजुहात से कागज पेंडिंग हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम खोरा बिशल (तहसील आमेर) में श्री बिड़ला का मिडिल स्कूल

४२. **श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** (आमेर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि ग्राम खोरा बिशल, तहसील आमेर में एक मिडिल स्कूल गत ८ वर्षों से बिड़लाजी की ओर से चल रहा था ?

(ख) यदि हां, तो क्या वह अब बन्द हो गया है ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर मिडिल स्कूल खोलने का विचार रखती है और यदि हां, तो कब तक ?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द) :

(क) जी हां।

(ख) जी नहीं, परन्तु अब यह प्राइमरी स्कूल ही चल रहा है।

(ग) जी हां, अन्य प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल बनाते समय इस पर भी विचार किया जायगा।

श्री हरिशंकर : यह विचार कब तक किया जायगा ?

श्री पूनमचन्द : मैंने सुना नहीं।

श्री हरिशंकर : इस प्रकार का विचार कब तक किया जायगा ?

श्री पूनमचन्द : जुलाई में स्कूलें खुलती हैं उससे पहले पहले इस मामले को तय किया जायगा।

श्री हरिशंकर : क्या मैं यह आशा कर लूं कि जुलाई के महीने में वह मिडिल स्कूल बन जायगी ?

श्री पूनमचन्द : यह पर्टीक्युलर केस पर डिपेन्ड करता है। अगर दूसरा जरूरी हुआ और उनके क्लेम्स ज्यादा प्रेसिंग हुए तो वहां पहले खोला जायगा, वरना इसकी भी बारी आ सकती है।

श्री हरिशंकर : मिडिल स्कूल से इसको प्राइमरी बनाने के कारण क्या हैं ?

श्री पूनमचन्द : ऐसा है कि पहले मिडिल स्कूल चलता था, फिर सरकार ने टेक ओवर तो नहीं किया पर कई कार्य-कर्ताओं ने उसे चलाना शुरू किया, ५२ तक सरकार ने एड (Aid) दी। ५२ में जिला बोर्ड के अन्दर वहां का स्कूल चला इसके बाद यह मामला जिला बोर्ड के ही रहा और वैसे देखा जाय तो आमेर तह-सील में १२ मिडिल स्कूल चालू हैं। इस गांव के नजदीक ३ स्कूलें पांच-पांच, सात-सात माइल की दूरी पर हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : सर-कार द्वारा एड दी जाती थी वह बन्द क्यों की गई ?

श्री पूनमचंद : वह तो अर्जी कोई भेजे, क्लेम्स रिकोग्नाइज करने लायक हों, तो दी जाती है। कन्डीशन्स पूरी नहीं हुई होंगी इसलिये नहीं दी गई होगी।

श्री हरिशंकर : क्या यह सच है कि गांव वालों ने निवेदन किया कि सरकार एड दे तो हम इसे चलाने को तैयार हैं, पर सर-कार ने एड नहीं दी ?

श्री पूनमचन्द : एड के रूल्स रेगुलेशन्स बने हुए हैं, उनके माफिक ही एड दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

आम चुनावों में सरकारी अधिकारियों के स्थानान्तरण की मनाही

४३. **श्री सतीशचन्द्र** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने द्वितीय आम निर्वाचनों से पूर्व इस आशय का कोई आदेश जारी किया था कि चुनावों तक किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी का स्थानान्तरण न किया जाय ?

(ख) यदि हाँ, तो यह आदेश कब जारी किया गया ?

(ग) इस आदेश के विरुद्ध राजस्थान में किन किन राज्य कर्मचारियों या अधिकारियों का कहाँ से कहाँ स्थानान्तरण क्या किया गया और क्यों ?

मुख्य मन्त्री(श्री मोहनलाल सुखाड़िया) :

(क) जी हां।

(ख) दिनांक २४-१२-५६ को यह आदेश जारी किया गया था।

(ग) इस आदेश के बाद विशेष एवं असाधारण परिस्थितियों में कुछ राज्य कर्मचारियों या अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया, जिनकी नामावली संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री सतीशचन्द्र: जब कि ऐसे आदेश जारी कर दिये गये थे तो फिर ऐसी विशेष परिस्थितियां क्या थीं जिनके कारण ये स्थानान्तरण किये गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके कई कारण थे, उदाहरण के तौर पर जैसे कोई नये स्थान तय किये गए हैं, नई पोस्ट्स क्रियेट की गई हैं, कई आई. ए. एस. ट्रेनिंग में गये हुए थे वे लौट कर आये, तो उनके स्थान पर जो काम कर रहे थे उनके ट्रान्सफर्स किए गए। इसके अलावा कई आदमियों को इलेक्शन के समय में इलेक्शन डिपार्टमेंट में दिया हुआ था, तो इस प्रकार की परिस्थितियों में स्थानान्तरण करने पड़े।

श्री भैरोंसिंह : यह आदेश निकलने से पहले क्या इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से मांग की गई थी कि इन आदमियों की जरूरत है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके कागजात चल रहे थे।

श्री भैरोंसिंह : ये कागजात चल रहे थे तब इस तरह के आदेश क्यों जारी किये गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आदेश जारी हो सकते हैं, पर जहां जैसी बात नई होती है वहां कार्यवाही करनी जरूरी हो जाती है।

श्री भैरोंसिंह : अभी आपने फरमाया कि इलेक्शन डिपार्टमेंट ने कई आदमी मांगे थे, कई आई. ए. एस, ओफीसर्स ट्रेनिंग करके आये थे इसलिये स्थानान्तरण किये गये, पर जो लोग इन कारणों के नीचे नहीं आते, उन लोगों का स्थानान्तरण क्यों किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने जनरल कारण बताये, जिनके स्थानान्तरण किये

Page No.4

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

गये, वे किसी न किसी कारण से कवर-अप होते हैं ।

सन् १९५६-५७ में खोले गये संस्कार केन्द्र

४४. श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री (आमेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गत वर्ष सन् १९५६-५७ में उक्त विभाग द्वारा कितने संस्कार केन्द्र कहां कहां एवं किस किस जिले के अन्तर्गत खोले जा चुके हैं ?

(ख) तहसील आमेर एवं तहसील जयपुर में इस प्रकार के केन्द्र कहाँ कहाँ चल रहे हैं ।

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) :

(क) सन् १९५६-५७ में दो संस्कार केन्द्र खोले गये हैं । एक केन्द्र अलवर जिले के रामगढ़ में और दूसरा कोटा में खोला गया है ।

(ख) तहसील आमेर में कोई संस्कार केन्द्र नहीं चल रहा है । जयपुर में दो संस्कार केन्द्र बालानन्दजी की मोरी, हरिजन बस्ती व नाहरगढ़ रोड, हरिजन बस्तियों में चल रहे हैं ।

(ग) प्रत्येक तहसील में संस्कार केन्द्र खोलने का प्रावधान नहीं होने से नहीं खोले गये ।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : आपने आमेर और जयपुर शहर के बताये हैं । तहसील जयपुर में कहां कहां पर संस्कार केन्द्र खोले गये हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपने जयपुर का पूछा, आपने आमेर का भी पूछा । मैंने बताया कि आमेर में कोई संस्कार केन्द्र नहीं चल रहा है और जयपुर में दो केन्द्र चल रहे हैं; एक तो बालानन्दजी की मोरी और दूसरा नाहरगढ़ रोड हरिजन बस्ती ।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री : यह आपको विदित होना चाहिये कि यह जो बताये गये हैं वे जयपुर शहर में हैं, जयपुर तहसील में नहीं हैं । इसलिये जयपुर तहसील में कहां कहां खोले गये हैं बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: मदनगंज किशनगंज में । मैं जयपुर जिलेकी बता सकता हूँ ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या इससे यह माना जाय कि जयपुर तहसील और आमेर में कोई संस्कार केन्द्र नहीं खोले गये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने बताया कि प्रत्येक तहसील में प्रावधान नहीं होने से नहीं खोले गये और इसलिये जयपुर तहसील में भी नहीं खोले गये ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : किस नियम के अन्तर्गत या आधार पर ये खोले जाते हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पहले जिले के सदर मुकामों में खोले जाते हैं और बाद में तहसीलों का नम्बर आता है । बहुत मुमकिन है कि तहसीलों में नहीं खोले जावें ।

Page No.5

श्री भैरोंसिंह (१४) : क्या ये केन्द्र पब्लिक की इच्छानुसार उनके प्रार्थनापत्रों पर खोले जाते हैं या सरकार अपनी इच्छा से जहाँ चाहे खोलती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकार और पब्लिक को मैं अलग नहीं मानता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : यह इनिशियेटिव सरकार की तरफ से लिया गया या जनता ने दरख्वास्त पेश की, उस पर खोले गये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकार सारी स्थिति का अध्ययन करके करती है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : यह संस्कार केन्द्र हरिजनों के लिये हैं या सवर्णों के लिए हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह हरिजनों के लिये हैं ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या हरिजनों की ज्यादा बस्ती होगी वहां पर खोले जायेंगे या और किसी जगह ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: वहां खोले जायेंगे जहां हरिजनों की आबादी ज्यादा होगी ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : ओन दि होल आउट लुक क्या है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह मैं अर्ज कर चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा खरीदे गये सिनेमा वान्स

४५. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) समाज कल्याण विभाग द्वारा कितने सिनेमा वान्स प्रचार कार्य के लिये खरीदे हुए हैं ?

(ख) इन गाड़ियों का कौन सा मॉडल है तथा किस सन् का है ?

(ग) क्या ये गाडियां कच्चे में (भूड़े में) जा सकती हैं ?

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रकार की वान्स क्यों खरीदी गई जो रेतीले इलाके में नहीं जा सकतीं ?

(ङ) उपरोक्त गाडियां कितने कितने रुपये में तथा कहां कहां से खरीदी गई ?

(च) जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ये वान्स कहां कहां तथा कितनी बार सन् १९५६–५७ में प्रचारार्थ भेजे गये ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ) :

(क) एक खरीदी गई है ।

(ख) इस गाड़ी का मॉडल सी. आई. डी. १७६ डिसोटो १९५४ है, यह कच्चे में जा सकती है, भूड़े में नहीं चल सकती ।

(ग) रेतीले इलाके में केवल जीप जा सकती है और जीप पर इस तरह की वान बन नहीं सकती ।

(घ) उक्त वान का चैसिस कमल एन्ड कम्पनी से ११,९०० रु० में खरीदा गया और इसमें मशीन फिट कराने व बॉडी बनवाने में २९,००० रु० खर्च हुए हैं ।

(ङ) सन् १९५६–५७ में यह वान जयपुर जिले में निम्न लिखित स्थानों पर गई :

महला	१ बार
जयपुर	३८ बार

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

बम्बोरिया	१ बार
कुन्डा (त० आमेर)	१ बार
सांगानेर	२ बार
बस्सी (मोहनपुरा)	१ बार
आमेर	१ बार
बैराठ	१ बार
पांवटा	१ बार
शाहपुरा	१ बार
चौमू	१ बार
जमवारामगढ़	१ बार

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसी वान ही क्यों नहीं खरीदी गई जो भूड़े में चल सकती हो ? ऐसी क्यों खरीदी गई जो भूड़े में नहीं चल सकती हो ? फोर्ड और दूसरी क्यों नहीं खरीदी गई ?

श्री हरिभाऊ : भूड़े में तो जीप ही जा सकती है और उस पर बॉडी ऐसी नहीं बन सकती जैसी बननी चाहिये ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : ऐसी बहुत सी गाड़ियें हैं जैसे फोर्ड और दूसरी, जो भूड़े में जा सकती हैं वे क्यों नहीं खरीदी गई ?

श्री हरिभाऊ : मेरी जानकारी के मुताबिक तो जीप ही एक ऐसी गाड़ी है जो भूड़े में जा सकती है मगर उस पर वान नहीं बन सकती। ऐसी गाड़ी होनी चाहिये जिस पर सिनेमा वान बन सकती हो।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सही है कि उस पर भी सिनेमा वान बनाया जा सकता है ?

श्री हरिभाऊ : और भी गाड़ियों पर सिनेमा वान बनाया जा सकता है लेकिन भूड़े में काम नहीं दे सकते।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या इस सम्बन्ध में टेकनीकल हैन्ड से जानकारी ली गई ?

श्री हरिभाऊ : मैं समझता हूं कि कोई चीज खरीदी जाती है तो उससे पहले टेकनीकल हैन्ड की जानकारी ली जाती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

शिक्षा विभाग के पी. टी. इन्सट्रक्टर्स एवं टेलर मास्टर्स

४६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर): क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान शिक्षा विभाग में पी. टी. इन्सट्रक्टर्स (ड्रिल मास्टर्स) व टेलर मास्टर्स की निर्धारित योग्यता क्या है व उन्हें किस ग्रेड में रखा जाता है ?

(ख) क्या यह सही है कि ऐसे अध्यापकों का अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक हो जायगा ?

(ग) उपरोक्त अध्यापकों का इस समय क्या ग्रेड है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द) :
(क) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) ऐसे तमाम अध्यापकों के स्टेटमेंट्स अकाउन्टेन्ट जनरल, जोधपुर के पास अन्तिम स्वीकृति हेतु भेजे जा चुके हैं। बहुतसों के

Page No.7

(श्री पूनमचंद)

पास होकर आ गये है तथा कुछ के बाकी हैं।

(ग) जिनका फिक्सेशन हो चुका है वे अपनी अपनी योग्यतानुसार निर्धारित ग्रेडों में ही वेतन पा रहे हैं। जिनका फिक्सेशन नहीं हुआ वे अभी यूनिट ग्रेड में वेतन पा रहे हैं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : जिनका अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है उनका फिक्सेशन कब तक हो जाएगा ?

श्री पूनमचन्द : उनका फिक्सेशन जल्दी ही हो जावेगा क्योंकि हमने १६५६ के अन्त तक के तमाम केसेज को एकाउन्टेंट जनरल के पास भेज दिया है।

श्री भैरोंसिंह: क्या एक एक आदमी का भेजा गया है या सामुहिक रूप से भेजे हैं ?

श्री पूनमचन्द : सब का एक साथ तो नहीं भेजा गया मगर २०-२० और १०-१० के लोट भेजे गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या वे एकाउन्टेन्ट जनरल के दफ्तर से उसी हिसाब से आ रहे हैं या एक एक करके आ रहे है ?

श्री पूनमचन्द : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सरकार के आधीन ली हुई ठिकाना खेतड़ी की स्कूलें

४७. **श्री रामकरण सिह** (कोटपुतली) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राज्य सरकार ने ठिकाना खेतडी की स्कूलों को कब से अपने आधीन ले लिया था ?

(ख) क्या इन स्कूलों के अध्यापकों का फिक्सेशन हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं और कब तक हो जाने की आशा है ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द) :

(क) दि० १६.६.५४ को।

(ख) तमाम केसेज़ अकाउन्टेन्ट जनरल जोधपुर के पास भेजे हैं वहां से पास होकर आते ही फिक्सेशन हो जायगा।

श्री रामकरण सिह : यह कब भेजे गये ?

श्री पूनमचन्द : यह ५-६-५७ को भेजे गये।

श्री रामकरण सिह : इतने दिन बाद क्यों भेजे गये ?

श्री पूनमचन्द : ठिकाने की स्कूलों को लेने की तारीखें अलग अलग थीं। इसके अलावा उसी दर्मियान में प्राइवेट स्कूल चलते थे उनको भी सरकार ने लिया है। इसके अलावा अलग अलग ठिकानों में अलग अलग वेतन थे। इसलिये किसको किस स्केल में फिक्स किया जाय, यह भी बात थी।

श्री रामकरणसिंह : क्या ऐसे भी स्कूल हैं जहां साथ के साथ ऑर्डर जारी हुए हैं ?

श्री पूनमचन्द : हमारे ध्यान में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम हाथोद (त० जयपुर) में खोला जाने वाला शासकीय संस्कृत विद्यालय

४८. **श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री** (आमेर) : क्या शिक्षा मन्त्री, निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि ग्राम हाथोद, तहसील सवाई जयपुर में सरकार द्वारा एक संस्कृत विद्यालय खोला जा रहा है ?

(ख) यदि हां, तो उसकी मंजूरी कब तक दे दी जावेगी ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द) : (क) जी हां, यह मामला अन्य मामलों के साथ विचाराधीन है।

(ख) निर्णय होने के बाद ग्राम हाथोद में संस्कृत विद्यालय खोलने के प्रश्न पर अन्य ऐसी ही विद्यालयों के साथ आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसकी उपयुक्तानुसार अवश्य विचार किया जायगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरशिंकर सिद्धांतशास्त्री : राजस्थान में संस्कृत का प्रचार करने के लिए और दूसरे स्कूल खोलने की योजना भी है या नहीं है ?

श्री पूनमचन्द : योजना जरूर है।

श्री हरशिंकर सिद्धांतसास्त्री : इस प्रकार के विद्यालय जयपुर और आमेर तहसील में कहां कहां खोलने का विचार है ?

श्री पूनमचन्द : आपकी उत्सुकता देख कर खास तौर से इस तरफ ध्यान रखा जायेगा।

राजस्थान के गजटेड ऑफिसर्स में हरिजनों की संख्या

४९. **श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री** (आमेर) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में गजटेड ऑफिसर्स की कुल कितनी संख्या है ?

(ख) उनमें से हरिजन (शिडूल्य कास्ट) कितने हैं ?

(ग) गत सन् १९५१ से १९५६ तक ५ वर्ष में कितने हरिजन (शिडूल्य कास्ट) गजटेड ऑफिसर्स बनाये गये ? उनके नाम और पते तथा इस वक्त कहां कहां पर किस किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, बतलावें ?

(घ) राज्य सरकार की ओर से शिडूल्ड कास्ट्स् के लोगों के लिए कितना कोटा निर्धारित है ?

(ङ) उक्त कोटा के अनुसार शिडूल्ड कास्ट में से कितने लोगों को ऑफिसर्स बनाना चाहिये था ?

(च) उन्हें नहीं बनाये जाने के कारण क्या थे ?

मुख्य मन्त्री की ओर से वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : इस प्रश्न की जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो सकी है। जानकारी प्राप्त होने पर आपको दे दी जायेगी।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कौन सी तारीख तक दे दी जायेगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्यक्ष : नेक्स्ट टर्न पर।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

तहसील बैराठ व कोटपुतली के पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियें

५०. **श्री रामकरण सिंह** (कोटपुतली) :

Page No.9

(श्री रामकरण सिंह)

क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) तहसील कोटपुतली में तथा तहसील वैराट के हाई स्कूलों में कितने ऐसे पिछड़ी जाति के छात्र हैं जिन्हें सरकार से छात्रवृत्ति प्राप्त होती है और कितने ऐसे हैं जिनको नही होती ?

(ख) क्या पिछड़ी जाति के समस्त छात्रों को निरपवाद रूप से छात्रवृत्ति देने की सरकारी नीति है ? यदि हां, तो उपरोक्त विद्यार्थियों को यह सहायता प्राप्त क्यों नहीं है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) तहसील कोटपुतली के हाई स्कूल में २६ अनुसूचित जाति के छात्रों को और १८ अनुसूचित जनजाति के छात्रों को २,३९० रु० की छात्रवृत्ति और तहसील वैराट के हाईस्कूल में १३ अनुसूचित जाति और ३ अनुसूचित जनजाति के छात्रों को ७९० रु० छात्रवृत्ति दी गई। केवल अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई जिनकी संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के पश्चात् धनराशि प्राप्त होने पर ही अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है।

श्री रामकरण सिंह : क्या कोई ऐसे भी छात्र बाकी हैं जिन्होंने एप्लाई किया है और उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ऐसी कोई जानकारी इस समय नहीं है।

श्री रामकरण सिंह : मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे छात्र श्री गोकुल प्रसाद, सरदार हाई स्कूल, कोटपुतली के हैं जिन्होंने इसके लिए एप्लाई किया लेकिन छात्रवृत्ति नहीं मिली।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इस जानकारी के लिए आपको धन्यवाद है।

सन् १९५५-५६ में आदिवासियों को सिंचाई के कूओं हेतु दी गई धनराशि

(४१) **श्री लक्ष्मण होरात** (गोगुन्डा) क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः—

(क) क्या सन् १९५५-५६ में आदिवासियों को कोई रकम सिंचाई के कूओं के लिए मिली है जो उन्हें इस वर्ष भी दी गई है ? यदि हां, तो तहसीलवार आंकड़ा क्या है ?

(ख) क्या यह सच है कि उदयपुर जिले की कई तहसीलों में इस वर्ष रकम नहीं मिली है और वह लेप्स हो गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) हां, जिन आदिवासियों को पूरी किश्तें नहीं मिलीं उन्हें सन् १९५६-५७ में भी रकम दी गई। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक सवाल का जवाब देना है। यह प्रश्न पहले टर्न पर रख दिया गया था, जो आज जवाब देना है।

श्री अध्यक्ष : आपका जो अगला टर्न है उस रोज रख दिया जायगा तब आप अपना जवाब दे दीजियेगा।

श्री लक्ष्मण हीरात को अपने प्रश्न में कुछ पूछना है ?

श्री लक्ष्मण हीरात : उदयपुर तहसील में जो रकम लैप्स हो गई है क्या इसके लिए कोई एक्शन लिया जायगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्या आप उदयपुर की बात पूछ रहे हैं ?

श्री लक्ष्मण हीरात : जी हां।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उदयपुर में कोई रकम लैप्स नहीं हुई है।

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या यह सही है कि वहां की तहसील में लोगों को रकम नहीं मिली है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह सवाल अलग है। आप मुझे प्रश्न लिखकर दे दें, मैं आपको फिर इसका उत्तर दे दूँगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का (ख) भाग। कई तहसीलों में इस वर्ष रकम नहीं मिली और वह लैप्स हो गई है; इसके लिए वह कह रहे हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उसका जवाब मैंने दे दिया है कि जब कोई रकम लैप्स ही नहीं हुई है तो फिर सवाल ही नहीं उठता।

श्री लक्ष्मण हीरात : तहसील तलवाड़ा में कुल कितनी रकम मन्जूर हुई थी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप यह प्रश्न मुझसे अलग से पूछ लीजिये, तो मैं आपको जानकारी करके बता दूंगा।

श्री लक्ष्मण हीरात : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रश्न के (ख) भाग का सही उत्तर नहीं मिला है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरी जानकारी के मुताबिक कोई रकम नहीं दी गई है।

श्री लक्ष्मण हीरात : अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला है। आप कह रहे हैं कि रकम दी गई, मगर मैं कहता हूं कि लैप्स हो गई है।

श्री अध्यक्ष : कम से कम उनको सूची तो मिलनी चाहिये थी।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं आपकी जानकारी के लिये पढ़ देता हूं।

डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा

बांसवाड़ा ५१ कुए ६,८५० रु०

श्री लक्ष्मण हीरात : मैं उदयपुर के लिये पूछ रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, कुछ सूचना नहीं है। कुछ तो माननीय मन्त्री जी धीरे बोलते हैं और कुछ माइक काम नहीं करता है और फिर माइक के पास मुंह करके भी नहीं बोलते हैं। सही बात चीत का दौर है वह नहीं चल रहा है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जिला उदयपुर, अब आपको सुनाई दिया।

श्री भैरोंसिंह : हां।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय :

Page No.11

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

क्रम संख्या	तहसील का नाम	कूओं की संख्या	मंजूर रकम
	उदयपुर तहसील		
१)	सेरा	१	२००)
२)	आमेट	१	१५०)
३)	कोटड़ा	५४	६,०००)
४)	फलासिया	२	५५०)
५)	सलूम्बर	३६	५,२५०)
६)	सारडा	५७	१०,०००)
७)	गिरवा	५	१,२००)
८)	नाथद्वारा	११	३,७५०)
९)	भोपालसागर	६	१,४५०)

श्री भैरोंसिंह : यह रकम दुबारा क्यों दी गई ? रकम इन्हीं को ५५-५६ में दी गई और फिर इन्हीं को इस वर्ष क्यों दी गई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कूओं के लिये रकम किश्तों में दी जाती है। एक साल के बाद में दूसरी किश्त दूसरी साल में दी जाती है ।

श्री भैरोंसिंह : यह सन् १९५५-५६ में मंजूर हुई थी और अब भी हुई है, तो यह रकम १९५६-५७ तक चलती रही ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: यह इसी प्रकार दी जा सकती है, रेकरिंग नहीं है ।

श्री सोहनलाल : इन तहसीलों में कोई स्वीकृत रकम है क्या ? क्या रकम देने का कोई तरीका है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह आप प्रश्न पूछ लीजियेगा, लिखकर । फिर मैं इसका जवाब दे दूंगा ।

श्री सोहनलाल : यह प्रश्न के (ग) भाग में आता है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपका तो प्रश्न यह था :

"क्या सन् ५५-५६ में आदिवासियों को कोई रकम सिंचाई के कूओं के लिए मिली है जो उन्हें इस वर्ष भी दी गई है ?"

तो मुझे कहना है कि उन्हें इस वर्ष भी रकम दी गई है ।

श्री सोहनलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी रकम सैंक्शन हुई है और लोगों को जितनी रकम मिली है अगर वह कम मिली है तो सैंक्शन की हुई रकम में से दी गई रकम को माइनस कर दें, जितनी रकम बची वह सब लैप्स हुई मानी जायगी ; तो कितनी रकम लैप्स हुई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यदि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप इसका नोटिस देकर पूछ लीजिये ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो रकम ५५-५६ में स्वीकृत हुई थी उसकी सैंक्शन नहीं मिल कर दूसरी रकम सैंक्शन हो कर मिली है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : टेक्नीकली आपकी बात सही है ।

श्री भैरोंसिंह : इसका क्या मतलब है ? रकम किश्तों में दी गई है या यह दूसरी ही रकम दी गई है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बजट के लिहाज से भी सैंक्शन हो सकती है ।

Page No.12

श्री भैरोंसिंह : हो सकता है या नहीं, ये शब्द असेम्बली की डिबेट में आने ही नहीं चाहिये, इसलिये माननीय मंत्री जी इस बारे में डेफीनिट रिप्लाई दें तो बहुत अच्छा हो।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हां तो है ही।

श्री भैरोंसिंह : क्या है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : व्यक्तियों को रुपये दिये गये थे उनके लिये बजट में रकम दुबारा रखनी पड़ी।

श्री अर्जुनदास : What was the amount sanctioned in 1955-56 by the Government ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके लिये नोटिस दीजिये।

११.४१-म० पू०

सदन द्वारा दिये गये धन्यवाद पर राज्यपाल का सन्देश

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उस पर सदन ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया, उसके बारे में राज्यपाल महोदय ने एक सन्देश दिया है जो इस प्रकार है:—

"प्रिय अध्यक्ष महोदय,

दिनांक २५ अप्रेल, १९५७ को विधान सभा में दिये गये मेरे अभिभाषण पर सदन के सदस्यों ने जो आभार प्रदर्शित किया है उसको प्राप्त करके मुझे अत्यन्त संतोष हुआ है।

भवदीय,
गुरुमुख निहालसिंह
गवर्नर, राजस्थान"

जन-लेखा व प्राक्कलन समितियों की रचना के सम्बन्ध में घोषणा

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि जन-लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए निम्न कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

नामजदगी के पर्चों को पेश करना	८ मई सन् १९५७ के सायंकाल ३ बजे तक
नामजदगी के पर्चों की जाँच उन सदस्यों के समक्ष जो उस समय उपस्थित रहना चाहें।	८ मई, सन् १९५७, ५ बजे सायं।
नामजदगी के पर्चों को वापिस लेना	९ मई, सन् १९५७ को, प्रश्नोत्तरकाल के तुरन्त पश्चात्।
चुनाव, यदि आवश्यक हो	१० मई, १९५७ ११ बजे प्रातः से ३ बजे सायं तक।
मतों की गणना....	१० मई, १९५७ १० बजे सायं।

नामजदगी के पर्चों के खाली फॉर्म सूचना कार्यालय से दिनांक ७ मई, सन् १९५७ को १० बजे प्रातः से ५ बजे सायं और ८ मई, १९५७ को प्रातः १० बजे से सायं ३ बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

नामजदगी के पर्चों की जांच रिटर्निंग ऑफिसर (सचिव, राजस्थान विधान सभा) द्वारा विधान सभा भवन के समिति कक्ष में की जावेगी।

नामजदगी के पर्चे दिनांक ९ मई, सन् १९५७ को सदन में प्रश्नोत्तर काल के तुरन्त पश्चात् वक्तव्य द्वारा, जिसमें केवल तथ्य

Page No.13

(श्री अध्यक्ष)

को ही व्यक्त किया जाना चाहिये, वापस लिये जा सकते हैं।

इस सम्बन्ध में परिपत्र संख्या १६, दिनांक ६ मई, सन् १६५७ सभी माननीय सदस्यों को भेजा जा चुका है।

श्री रघुवीरसिंह द्वारा शपथ न लेने पर भी कार्यवाही में भाग लेने सम्बन्धी निर्णय

एक और जरूरी बात है जो माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। तारीख २६-४-५७ को माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर जब वाद-विवाद हो रहा था उस समय एक माननीय सदस्य ने यह आपत्ति की कि श्री रघुवीरसिंह जो उस समय तक सदन के सदस्यता की शपथ व प्रतिज्ञान नहीं ले चुके थे, इस सदन में उपस्थित थे। इस आपत्ति के उठने के बाद जो वाद-विवाद हुआ उसके दौरान में श्री भैरोंसिंह खाचरियावास ने यह कहा,

" सभापति महोदय, यदि कोई सदस्य शपथ नहीं लेता है और वह डिबेट्स में भाग लेता है तो वह स्ट्रेन्जर के रूप में कार्य करता है। डिबेट में भाग लेने का प्रश्न नहीं है। वे सदन में बैठे हैं और सदन में बैठने का उनका अधिकार है इसलिए माननीय सदस्य को हटाया नहीं जाय, सदन में न बैठने की पाबन्दी न लगाई जाय। दूसरी बात यह है कि जिन सदस्यों ने शपथ नहीं ली थी उन्होंने माननीय अध्यक्ष से निवेदन किया था कि हमें इस समय शपथ दिला दीजिये लेकिन अध्यक्ष महोदय ने यह समझ कर कि शपथ कल दिलाई जायगी, कहा, वे सदन में बैठे रहें तो अनुचित नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि उन्होंने शपथ नहीं ली है। इस पर उन्होंने कहा कि वे यहां बैठे रहें या बाहर जाने की अनुमति दी जाय; अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया है कि वे बैठे रह सकते हैं।"

इसी वाद-विवाद में आगे चल कर श्री तनसिंह ने कहा, "आज जब कार्यवाही शुरू हुई थी उस समय मैंने अर्ज किया था और निवेदन किया था कि क्योंकि श्री रघुवीरसिंह जी आ गये हैं और वे ही राज्यपाल के अभिभाषण पर भाषण शुरू करेंगे और धन्यवाद के प्रस्ताव पर विरोधी दल की ओर से बोलेंगे, मैंने उस समय इजाजत मांगी कि ओथ एडमिनिस्टर करा दें। उन्होंने उस समय बताया कि क्योंकि वे लेट आये हैं इसलिए उनको ओथ नहीं दिलाई जा सकती। उस समय मैंने पूछा भी था कि क्या वे हाउस में बैठ सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा कि अभी बैठे रहें।"

दर असल यह बात सही नहीं है कि मैंने इस तरह की अनुमति दी हो। मैंने उन माननीय सदस्य से बातचीत की तो ऐसा पता लगा कि उनको गलतफहमी हो गई थी और गलतफहमी के आधार पर ही उन्होंने यह कहा था। उसके बाद उन माननीय सदस्य ने पत्र लिखा जो मैं सदन के सामने पढ़ देता हूं :

"To,
The Speaker,
Rajasthan Legislative Assembly,
Jaipur.

Dear Sir,

In course of the brief discussion

Page No.14

(श्री अध्यक्ष)

that ensured upon Shree Raghuveer Singh, M. L. A., taking his seat in the House on 26-4-57 without having taken his oath, certain remarks were made by me, which as I learn later, were unfortunately not based upon facts. I hasten to remove any misunderstanding that might arise because of them.

What actually occurred was that much before this issue arose in this House, it was being said in the lobbies that Shri Tan Singh has sought your permission that Shree Raghuveer Singh be allowed to sit in the House even as Shree Murlidhar Vyas had attended the Rajyapal's Address without taking his oath and that permission had been granted. At the time this question arose, Shree Tan Singh was not in the House and in his absence I tried to convey to the House this above information which at the time I believed to be true. Immediately, thereafter Shree Tan Singh returned and he confirmed what I had said. It was only later on that I came to know that Shree Tan Sing himself was harbouring a misunderstanding in this regard and that in fact no such permission had been granted.

I offer this as a clarification lest my unfortunate remarks based on hearsay may give rise to any embarrassing misunderstanding.

Yours sincerely,
30-4-57. Bhairon Singh M.L.A.
D. No. 14."

श्री तनसिंह का पत्र इस प्रकार है—

"To
The Speaker,
Rajasthan Legislative Assembly,
Jaipur.

Dear Sir,

My speech on 26-4-57, herewith attached, was unfortunately not exactly what I meant. I knew that a P. Socialist member was allowed to sit in the House during the address of the Governor. I meant that it was a general sanction that a member without oath can sit in the house and cannot take part in the proceedings. Again when I met you in your chamber, I requested you to take oath in the chamber, but at that time nothing was said as regards the presence of Shri Raghuveer Singh which I unfortunately mis-interpretted that he was allowed to sit in the hall.

I am really sorry for the matter and it may be clarified if thought proper.

Yours faithfully,
Tan Singh M.L.A.
Dv. No. 167
30-4-57."

इन दो चिट्ठियों के आने के बाद मैं समझता हूँ मामला खत्म कर देना चाहिये।

Page No.15

(श्री अध्यक्ष)

श्री रघुवीरसिंह बगैर शपथ लिये उपस्थित थे, उन्होंने अनजाने में ऐसा काम किया इसलिये किसी तरह की कार्यवाही करना उचित नहीं।

११-५५-म० पू०

राजस्थान चेचक टीका विधेयक, १६५७
(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : वेक्सीनेशन बिल के क्लॉज़। अग्रेतर खण्डश: २० पर जो वाद-विवाद चल रहा था वह जारी रहेगा।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Mr. Speaker, Sir, we are taking clause 20 of the Vaccinaion Bill, and after hearing the debate in the House I rise to oppose it

It is very unfortunate, no doubt, that it is the responsibility of every Government to save every child, because the child is the wealth of the nation. But, Sir, we have to see as to how far the measures adopted or the deterrant measures adopted by the Government are good, are justifiable. In my opinion, Sir, if we take the economic side of this deterrant measure then the per capita income in our country is Rs. 60/- per month and the annual income is Rs. 700/-. The amount of punishment prescribed in this clause is upto Rs. 1000/ . of course there is a measure of discretion given to the Magistrate or to the authority prescribed in the Bill, but even if the amount of Rs. 1,000/- is not fined, say five hundrd, say two hundred, say three hundred, then what will be the economic repercussion on the man who is punished ? When we take the average per capita income as 60, then Rs. 100/- is excess. We condemn-we do not punish him, we do not punish the lady or the man, but we condemn him to poverty. On the one hand we want to take preventive measures, we want to save the child and on the other hand there is parental poverty ; what is the result of poverty ? We make another man weak. We make him vulnerable to another disease. Therefore, we must think as to how far the punishment of Rs. 1,000/- or 6 months' imprisonment is justifiable. After all, a law, and a deterrent law must not mean that we punish a man beyond his means to pay. Suppose I was in that very position and I was asked, fined Rs. 1,000/-, I cannot pay it,I must prefer imprisonment, six months, imprisonment for not getting the child vaccinated. After all I am not one of those, there is still doubtful value ar regards one type, one particulas type of sereum injected in the human body. On whom was this sereum experimented ? It was experimented on animals, rats, and then this sereum is injected into the human body. We do not know what would be the result ? It is not cent per cent. It may be successful to 80%. We

(श्री श्री मानसिंह)

kill 20% child by this sereum. There is no cent per cent validity of this vaccination, and when there is no cent per cent validity of the vaccination, of the injection of this substance into a child's disease-less body, can we punish the mother or the parent with a fine of Rs. 1000/- or an imprisonment of 6 months? Where is the justification? Do we condemn him to perpetual poverty, to disease? We want to prevent disease and we condemn the parent; on the other hand, to poverty and disease. Therefore it is my earnest request to the Hon'ble Minister that he may reconsider this provision in the light of the income, in the light of the justification, as to how he can pay Rs. 1,000/- when his income is Rs. 60/-. From where is he to get this amount? Hang him. I say, hang him, instead of punishing him, instead of fining Rs. 1,000/- and 6 months imprisonment. Place him straightaway. Because you want to save a child, you want to condemn the parent to poverty? Reduce it, so that I can pay, so that I can have the benefit of this law Therefore, it is my last earnest request to the Hon'ble Minister to reduce it as far as it is within the competence of an individual to pay and take advantage of a really good measure.

श्री अध्यक्ष : इस क्लॉज़ में माननीय मंत्री महोदय की तरफ से एक संशोधन आया है जो इस प्रकार है :

"Snbstitute 'ten' for "fifty" in line 2 of part (a) (i) of clause 20 and substitute 'one' for 'six' and 'two hundred' for 'one, thousand' in line three of part (ii). (i.e c (ii) of clause 0."

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज २० में मैंने यह अमेन्डमेन्ट मूव किया है :

सब क्लॉज़ (१) में जहां पर ५० रुपये जुर्माने का जिक्र है वहां १० रुपया किया जाय तथा (सी) [ii] में जहां ६ महीने की सजा और एक हजार रुपया जुर्माना है वहां १ महीने की सजा और २०० रुपया जुर्माना रख दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, कोई ऐसा कानून दुनिया में नहीं है जिसमें कुछ न कुछ सजा का प्रावधान नहीं हो। बिना सजा के कोई कानून बनता ही नहीं। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इस कानून में जो सजा रखी गई है वह सबसे ज्यादा लीनियेन्ट है; जिसको शायद सदन के सदस्यों ने समझने में गलती की हो या हो सकता है उनके दिमाग में इसका और ही असर हो; इसलिए मैंने अमेन्डमेन्ट मूव किया है कि ५०) रुपया जुर्माने के बजाय १०) रुपया कर दिया जाय और एक महीने की सजा के स्थान पर एक महीना और २०० रुपया जुर्माना रख दिया जाय।

इस सम्बन्ध में अर्ज करूं कि पहले जो बात मैंने कही थी वह बिल्कुल ठीक थी। उस पर यह बात कहना कि कोई वेक्सीनेशन नहीं

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

करता है, उसको सजा दी जायगी वह भी एट ए स्ट्रेच (at a stretch) नहीं। पहले अधिकारी नोटिस देंगे, नोटिस के बाद भी अगर वह वेक्सीनेट नहीं करता है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायगा। मजिस्ट्रेट के कहने पर अगर वह वेक्सीनेट करा लेता है तो उसको हिदायत देकर छोड़ देंगे। अगर मजिस्ट्रेट के हुक्म के बावजूद भी उसके हुक्म को न मानने की सूरत में ५० रुपया जुर्माना और उसके बाद हुक्म न मानने पर सजा और रखी गई है।

चूंकि मैंने यह समझा था कि यह बहुत ही लीनियेन्ट कानून है, इसमें किसी को एतराज नहीं होगा। यह इसी प्रकार का कानून केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया हुआ है और वह सब जगह रायज है और राजस्थान में भी सन् ५० तक रायज रहा है। आज तक किसी ने इस प्रकार की कम्पलेन्ट नहीं की है कि इस प्रकार के कानून का मिसयूज हुआ है। चूंकि सदन के माननीय सदस्यों ने ख्वाहिश जाहिर की थी इसलिये अमेन्डमेन्ट मूव कर दिया। अब मैं समझता हूँ कि किसी को किसी प्रकार की शिकायत नहीं होनी चाहिये और जैसा यह (एमेन्डमेन्ट) क्लॉज है उसी प्रकार इसको पास किया जाय।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के क्लॉज २० पर अपने विचार रख ही रहा था कि इसी बीच माननीय मन्त्री महोदय द्वारा सजा के बाबत एक संशोधन आ गया। मैं तो इसका सिद्धान्ततया विरोध करता हूं कि इस बिल के क्लॉज २० को हटा दिया जाना चाहिये। वैसे तो इस क्लॉज पर माननीय मन्त्री महोदय के वक्तव्य के बाद डिसकशन बन्द हो गया है लेकिन माननीय मन्त्री महोदय का यह कहना कि जहां कोई कानून बन गया वहां तो सजा का प्रोवीजन होना ही चाहिये। जब लॉ बन गया और लॉ बनने के बाद सजा का प्रोवीजन उसमें अवश्य होगा, तो इस पर वाद-विवाद करने की गुन्जायश नहीं, सजा तो अवश्य होगी। फिर भी जब हम यहां पर बैठे हुए हैं और वाद-विवाद का प्रसंग चल गया तो मैं भी इस बिल पर कुछ निवेदन करूंगा। इसमें कई बातें ऐसी हैं जो विचारणीय हैं, उसके उपाय सोचना चाहिये।

कानून के जरिये, सजा के जरिये या डर के जरिये जनता को, भोली-भाली जनता को किसी कार्य के लिए बाधित करना कभी कभी नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि महात्मा गांधी जैसे बड़े नेता थे, उन्होंने हमें यह सिखाया है कि सजा के डर से या किसी प्रकार के भय से कोई चीज जनता को न सिखाई जाय और न कानून का सहारा लेकर ही किसी चीज को जनता में बताया जाय। उनका यह कहना था कि जब हम कानून का इतना सहारा ले लेंगे तो आखिरकार वह समय भी आयेगा जिसमें जनता बिना कानून के किसी बात में विश्वास तक नहीं करेगी, चाहे आप कितनी ही अच्छी चीजें उसको समझावें, वे बिना कानून के समझने को तैयार नहीं होंगे। अगर सजा के जरिये उनको ये बातें सिखायी जायेंगी तो मैं समझता हूँ कि आप वह जमाना लाना चाहते हैं जिनमें छोटी-छोटी चीजों के लिये मोटी से मोटी सजा देनी होगी।

दूसरे देशों में भी मामूली-मामूली सी चीजों के समझने के लिये कड़े से कड़े कानून हों, ऐसा मैं नहीं मानता। इधर हमारे बड़े बड़े नेता यह कहते हैं कि भारत की जनता तरक्की करने लगी है, अब

Page No.18

(श्री मदनसिंह)

जनता कुछ समझने लगी है, जनता में बड़ा ज्ञान हो गया है और आप यहां कानून बना कर यह सिद्ध कर रहे हैं कि हमारी जनता बिल्कुल मूर्ख है और जो कानून बनाते हैं उसको मानती नहीं है, हमारी जनता इतनी मूर्ख है कि इसको सजा देकर जानकारी कराना बहुत ही जरूरी है। इसका यहां की जनता पर और बाहर के लोगों पर असर होगा और लोग कहेंगे कि यहां पर सजा के जरिये कोई चीज मनाई जा रही है।

दूसरी बात यह है कि आप कहां तक सजा देंगे ? वेक्सीनेशन का एक फिक्स्ड टाइम होता है। इस टाइम में सब लोग एक जगह नहीं मिलते। अकाल के टाइम में लोग हजारों की संख्या में अपने मवेशियों को लेकर गंगा की ओर जाते हैं। उस समय आप उनका वेक्सीनेशन कैसे करेंगे, क्योंकि बच्चे वहां नहीं मिलेंगे तो क्या सब को सजा मिलेगी ? सजा रखने से मामला बड़ा कठिन हो जाता है। सजा रखने के कारण लोगों को अदालतों का मुँह ताकना पड़ेगा। इसके साथ-साथ एक कानून और बन जाना चाहिये। एक्स्ट्रा मैजिस्ट्रेट्स की पोस्टस और खुल जातीं, क्योंकि इसको पास करने से ऐसी चीज बनेगी कि हजारों लोग बाहर चले जायेंगे इसलिये अदालत और वकीलों के पास जाना चाहिये। इसलिये सजा जैसी चीज को दिन ब दिन उठा देना चाहिये। आजकल जेलों के लिये भी देखते हैं कि इतने बड़े कुसूर होते हैं उनके लिये भी सजा कम होती है। अब तो जनता काफी समझने लगी है। पहले आंखों के इलाज के लिये होस्पिटल्स खुले थे तब लोग वहां जाकर इलाज कराने में चमकते (डरते) थे और वहां नहीं जाते थे। लेकिन आज लोग समझने लगे हैं, तो बिन कानून के अपने आप हजारों की संख्या में लोग आंखों के अस्पताल में पहुँच रहे हैं तो गवर्नमेंट का फर्ज यह है कि जनता को बहुतसी सहूलियतें दे और जनता समझने लगे कि चीज क्या है ? मुझे मालूम है कि यहां अस्पताल खुले थे तब लोग समझते थे कि यहां जाना पाप है लेकिन आज इतने लोग होस्पिटल्स की मांग करते हैं और कहते हैं कि हमारे यहां होस्पिटल्स खुलें। आज ही उदयपुर वाड़ी के लोग कहते थे कि हम तो चाहते हैं कि पशुओं के भी टीके लगाये जांय। इसलिये राजस्थान की जनता इतनी बुरी नहीं है कि कानून बना कर उनको अदालतों से सजा दिलाई जावे। आज अदालतों में बड़े बड़े केसेज़ काफी पुराने पड़े हैं। जिनके फैसले होने चाहिये वे तो होते नहीं हैं और ये छोटे छोटे मुकदमें आयेंगे जिनकी वजह से अदालत का वक्त और जायगा। राजस्थान में जो भ्रष्टाचार है उससे भी ज्यादा बढ़ेगा और इसको चैक करने के लिये एक और महकमा खोलना पड़ेगा। हरएक आदमी अपने बच्चे के लिये १० रु० देकर उनको टीका लगाने से बचाने की कोशिश करेगा। गांवों में अपनी आंखों से मैंने देखा है, लोग वेक्सीनेटर्स से कहते है कि आप बच्चों के टीके न लगाइये। एक-एक रुपया देकर लोग अपने बच्चों को टीका लगाने से बचा लेते हैं। इसलिये भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। इसलिये मैं चाहता हूँ कि सजा नहीं देनी चाहिये। कौन अपने बच्चे के टीके नहीं लगाना चाहता ? यदि आप कोई अच्छी चीज करेंगे तो सभी लोग उसको फोलो करेंगे। लेकिन यदि सजा के डर से लोगों को ट्रेन किया गया तो उसका नतीजा बड़ा भयानक होगा।

सत्तारूढ़ दल के पास मेजोरिटी है।

Page No.19

श्री मदनसिंह)

जोरिटी के तौर पर आप सजा रखना चाहते तो न तो इसमें तारीफ है और न इसमें ःस की जरूरत है। मैं यह निवेदन करना ाहता हूं कि जहां कम्पलसरी कोई चीज या नून होगा वहां सजा निश्चित तौर से गी। इसलिये इसको वापिस लिया जाय। क कम्पलसरी चीज है उसको वापिस नहीं नया जायगा तब तक सजा रहेगी।

दूसरा मेरा सुझाव है कि यह अधिकार चायतों को सौंपा जाय और सजा कम की ाय। आप ५०) रु० या ६०) रु० सजा न खकर, जैसा पुराने समय में हुआ करता था क पैसा, दो पैसा या कोडी की सजा दी ाती थी, ताकि सजा के नाम से ही कहने लग वें कि आज मुझे सजा मिली है। एक पैसे ी सजा भी अच्छे-अच्छे सेठ साहूकारों को ागे तो उसको डरना पड़ेगा। ऐसे ऐसे ास लोग भी हैं जो ६००) रुपये भी देने में हीं हिचकेंगे। लेकिन ऐसी चीज होनी ाहिये जिससे सजा भी नहीं हो और भ्रष्टा- ार भी नहीं पनप सके, नहीं तो एक मह- मा चेक करने के लिये और खोलना पड़ेगा ौर देखना पड़ेगा कि कौन कौन पैसे खाते और कोन कौन नहीं खाते हैं ? इसके बाद रना है तो कम्पलसरी कानून को वापिस ना है। यदि कम्पलसरी कानून पास हो या है तो छोटी से छोटी चोज सजा के रूप रखनी पड़ेगी; जैसे पुराने समय में पैसा ा कौडी की सजा हुआ करती थी, वरना हुत बड़ा चेन्ज होगा। मेरा ख्याल है कि च्छी तरह से इस पर आप विचार करेंगे ो आपको मालूम होगा कि यह चीज, यह जा फायदे की चीज है इसलिये विरोध की सनें कोई बात नहीं है। यहां पर बाहर के लोग भी सुनने आये हैं, गावों के लोग भी सुनने आये हैं कि क्या कानून बन रहा है और क्या सजा हो रही है ? मन्त्री जी ने कहा कि यह बहुत दिनों से लागू था लेकिन लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। राजस्थान की जनता को पता नहीं चलता है कि कैसी सजा है या कैसा कानून है ? राजस्थान की जनता तो ऐसी है कि उनके पास अगर कोई चपरासी भी चला जाय तो उसके इशारे को भो हुक्म मानती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सजा जैसी चीज मिट जानी चाहिए, यह बहुत बुरी चीज है। इस पर मुझे इतना विचार हुआ रात को कि जहां यह चाहते हैं कि लोग सहयोग दें उन पर ही अगर जुर्माना करते हैं तो सहयोग का प्रश्न नहीं रह जाता, फोर्स लगाकर दबाव से काम लेना ठीक नहीं है। बाहर के देशों में भी यह चीज थी लेकिन वे भी कहते हैं कि यह तरीका ठीक नहीं है, इससे कोई बड़ी चीज होने वाली नहीं है। इतनी सजा तो चोरों और बदमाशों को भी नहीं मिलती है। जिला बोर्ड के अध्यक्ष नंगे नाचते हैं, शराब पीते हैं उनको भी सजा नहीं मिलती है। जिनके मामले गलत चले जायं उनके लिये भी १००० रु. नहीं होते हैं। इसलिये यह निवेदन है कि क्लॉज़ २० को इस बिल में से हटा देना चाहिये और उस पर विचार नहीं करना चाहिये।

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी-पश्चिम) On a point of information, will the Hon'ble Member make himself clear, what he was referring to when he said "Nange nachte hain zila board ke adhyaksh..."

(श्री मदनसिंह द्वारा स्पष्टीकरण करने हेतु खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये, वाद विवाद की आवश्यकता नहीं है।

श्री मदनसिंह : Thank you.

श्री मुरलीधर (बीकानेर-सिटी) : अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई कानून अवश्य होना चाहिये लेकिन कोई कानून सदियों से चला आ रहा है उसमें कोई परिवर्तन किया जाय या नहीं, इस पर पर भी बड़ा ख्याल करना चाहिये। कानून हर प्रकार से बनाये जा सकते हैं। आज हमने यह निश्चय किया है कि राजस्थान में अनिवार्य शिक्षा हो, हालांकि आज यह निश्चय न भी हो लेकिन जैसी कि योजना है कि इतने वर्षों में कम से कम राजस्थान में सबको शिक्षित करना है तो आपको इसके लिये योजना रखनी पड़ेगी। शिक्षा अनिवार्य होगी तो उसके लिये कानून बनाया जायगा तो उसमें यह रखा जाय कि जो छात्र टीके लगाये हुये नहीं हैं वे स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकते। इस प्रकार के कानून आप बना सकते हैं कि जिनसे उनके ऊपर किसी प्रकार का चेक हो, उनको रोका जाय। इस प्रकार की कई बातें हैं; जैसे आप तकाबी देते हैं, लोन देते हैं, हर आदमी को कुछ न कुछ सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। तो आप उसके अन्दर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा दें। ऐसी कोई धारा रख दें कि इस प्रकार का टीका बच्चे के लिए लगवाया हुआ नहीं रहेगा तो सुविधा नहीं मिलेगी, साथ ही साथ पंचायतों के चुनाव होते हैं, गांवों में पंच होते हैं, स्कूलों के मास्टर रहते हैं; वे इसकी जांच कर सकते हैं, लोगों को टीका लगवाने की शिक्षा दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि कानून के नाम पर, सजा और रुपयों के रूप में जो सजा रखी गई है उसकी जगह कोई दूसरा रास्ता निकाला जाय। यदि ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि वह ज्यादा वैज्ञानिक होगा और उसमें लोगों को, आम लोगों को राहत मिलेगी, उन्हें लाभ होगा। इसी दृष्टिकोण से आपके सामने मैंने सुझाव रखा है, इसके साथ ही जो और ठीक सुझाव समझें वे भी जोड़े जा सकते हैं और इस प्रकार का रास्ता निकाला जा सकता है। मैं समझता हूं कि यह ज्यादा अच्छा होगा। इस तरह की सजा आप रखते हैं तो इससे भ्रष्टाचार फैलेगा, क्योंकि इसमें आपने स्पष्ट नहीं लिखा है। जो हेल्थ ऑफिसर हैं वे कैसे जांच करेंगे ? गांव में साधारण ग्रामीण होंगे वे जायेंगे, वे गांव की रिपोर्ट कर देंगे, यदि पैसे या किसी और कारण से मतभेद होगा तो भी वे लिख देंगे। उसकी जांच आप कैसे करेंगे ? गांवों के अन्दर ऑर्डर भेज दिया जावेगा। गांव वाले उस ऑर्डर को भी नहीं समझेंगे। ऐसी हालत में उनको कोर्ट में बुलाया जायगा और उनको वहां पर जुर्माना देना पड़ेगा, इससे उनको कितना कष्ट होगा। इन सब बातों को मद्दे-नजर रखते हुए मैं महसूस करता हूँ कि गांव वालों को शिक्षा देने के लिए जुर्माना किया जा रहा है वह बेकार है, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं, हर आदमी आज इसकी आवश्यकता महसूस करता है। इसको जानते हुए कानून बना देंगे तो मेरे ख्याल से आगे जाकर इसका दुरुपयोग होगा और भ्रष्टाचार को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसलिए ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिले और साथ ही साथ चेक भी हो जाय। जो चेचक का रोग है, वह आम लोगों को होता है, इस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध हो जाय तो मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था उत्तम व्यवस्था होगी। इसी दृष्टिकोण से मैंने सुझाव रखा है।

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो सजा कम की है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि प्राकृतिक चिकित्सा पर जो लोग विश्वास करते हैं उनके साथ भी रियायत की व्यवस्था कर देंगे तो अत्युत्तम होगा।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : अध्यक्ष महोदय, इस बात को मैं मानता हूं कि चेचक को रोकने के लिए कानून बनना चाहिए और जनता को अच्छी बात के लिए बाध्य करना जरूरी है, पर कानून इतना कड़ा न हो जाय कि जिससे उस कानून का दुरुपयोग करना आसान हो जाय। जो वेक्सीनेशन महकमे के ऑफिसर हों अथवा जो वेक्सीनेटर गांव में जांय उनके हाथ में इतनी पावर न आ जाय कि जिससे वे जनता को तकलीफ दे सकें। मैं अर्ज करूं कि जो बी० सी० जी० का टीका है, उसके लिए बड़ा विवाद चल रहा है, कोई कहता है कि यह ठीक है और कहता है कि यह ठीक नहीं है। यह मानना पड़ेगा कि राजगोपालाचारी जैसे विद्वान् और विचारशील आदमी जब इसके खिलाफ हैं और वाकई कोई बात लोगों की समझ में आई है, यह लोगों ने माना है कि इसमें कोई बात अवश्य है। पहले जो यह थ्योरी निकली कि यह टीका चेचक को रोकता है, उसके बारे में रिसर्च हो रही है, मैं इसके बारे में किसी खास चीज को रेफर नहीं कर सकता क्योंकि शायद कोई महाशय कहें कि यह कहां लिखा हुआ है। पर मैं आपको बताऊं कि ब्रिटिश मेडीकल जरनल की कमेटी में इस वेक्सीनेशन के बारे में फिर से विचार हो रहा है और यह तय किया जा रहा है कि यह वेक्सीनेशन वाकई काम का है या नहीं ? इंगलैंड में तो यहां तक हुआ है कि वेक्सीनेशन को जारी नहीं रखा गया है। इस पर विचार किया जा रहा है कि स्माल पोक्स को रोकने के लिए जो वेक्सीनेशन लगाने की आज थ्योरी है वह वाकई पूरी ठीक उतरती है अथवा नहीं ? इस पर रिसर्च की जा रही है। एक और उदाहरण आपके समक्ष दूं कि न्यूट्रीशन के सम्बन्ध में यह थ्योरी थी कि इतने खाने में से इतनी केलोरीज़ मिलती हैं, ऐसा खाना होना चाहिए, फलां चीज में इतने विटामिन होते हैं; ए० बी० सी० विटामिन आदि। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी अमरीका में एक बहुत बड़ी संख्या है जहां पर सारे विश्व भर के अच्छे अच्छे वैज्ञानिक आये और न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स ने वहां कहा है कि ओवर न्यूट्रिशन अन्डर न्यूट्रिशन से खराब है। यह समाचार थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा है मैं इसको रेफर करता हूँ और इससे आप अन्दाजा लगा सकेंगे। इसलिये वेक्सीनेशन को जो पेनेसया या इनफेलेबल रेमेडी माना है, इसने फायदा हो, यह कोई जरूरी नहीं है। इस पर फिर से विचार हो रहा है, रिसर्च हो रही है। इस रिसर्च को ध्यान में रखते हुए हमारे देहात के आदमियों के ऊपर इस तरह का जुल्म हो और टीका न लगवाने पर दो महीने की सजा दी जाय और फिर उन पर जुर्माना लगाया जाय तो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं होगा, वे अपनी काश्त छोड़ कर जेल में बैठे रहेंगे। तो आप उनके लिए एक प्रकार की आफत खड़ी कर देंगे। इससे वे अपने खेतों और घरों को बरबाद करके बैठ जाएंगे। अतः इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि इस पर सब सदस्य पुनः विचार करें कि क्या सजा देना जरूरी है ? मैं मानता हूँ कि सजा देनी चाहिये, अगर उसकी समझ में नहीं आय

Page No.22

(श्री अनोपसिंह)

है, पर इसके साथ ही साथ यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि यह एक विवादास्पद चीज है कि वेक्सीनेशन स्माल पोक्स को रोकने, चेक करने में सफल है या नहीं, इस पर लोग रिसर्च कर रहे हैं। इसलिए पेनेसिया इन-फेलेबल रेमेडी आज जब फेल होती रही है, अगर हमारे गरीब देहातियों पर जो कि इस बारे में जानकारी नहीं रखते, जुल्म होगा और जनता को कानून बनाकर बाध्य किया गया तो उसका प्रतिवाद होगा, प्रतिक्रिया होगी। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि बजाय इसके कि इतना कड़ा कानून हो यह होना चाहिये कि ऐसा कानून हो जिसको सहूलियत से लगाया जा सके। इस तरह से आप कानून बनायें कि जो लोगों के दिमाग में बैठ जाय कि यह जरूरी चीज है, यह उनके लड़के के फायदे की चीज है। इस बात को समझने की कोशिश की जाय, वरना यह होगा कि मुकदमे चलेंगे, वेक्सीनेटर गांवों में जायेंगे, पर जुर्माना होगा १० रुपये का उसमें से पांच रुपये अपनी जेब में डाल देंगे और बाद में लिख देंगे कि फलाने ने टीका लगवा लिया, इसलिए जितने ज्यादा कानून आप निकालेंगे, उनकी जनता में प्रतिक्रिया होगी और जनता उनमें से निकलने का रास्ता निकाल लेगी और जो वेक्सीनेटर महोदय होंगे, वे अपने इलाकों में जायेंगे और वहां से अपनी जेब गरम कर चले आयेंगे और इस कानून को अपनी दृष्टि में नहीं रखेंगे। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, अध्यक्ष महोदय, सदस्यों से कि वे इस पर विचार करें और विचार करने के साथ यह समझें कि यह विवादास्पद बात है कि वेक्सीनेशन पेनेशिया या इनफेलेबल पर रेमेडी नहीं है, इसलिए देहातियों को टीका लगवाने के लिये मजबूर न किया जाय।

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी-पश्चिम) : Mr. Speaker, Sir, with regard to the phraseology used in clause 20 of this Bill I am at a loss to understand whether it has been drafted by a legal brain or by a lay man from the streets. It is no legal language at all, Sir. There are other bills also sent to us from the Government side, specially Rajasthan Municipalities Bill which is to be discussed tomorrow; there also I find good many phrases which are not legal phrases at all.

Now coming to the present clause 20 I will suggest this, Sir, legally the language should be correct, precise and nice, and unnecessay words have got to be avoided. Then I will take you to clause 20, Sir, In clause 20 sub-clause (a) says, "neglects without just excuse to obey an order made under section 16, or." Please read clause 16 of the Bill. If we look to clause 16, Sir, clause 16 by itself uses words, "without any just excuse." When we have mentioned in clause 16, why use the same words in clause 20. The repetition of this in clause 2o is redundant. Therefore. I suggest that the clause should be :

"neglects to obey an order made under section 16" Because these very words have aleady been used in clause 16, they need not be

(श्री अर्जुनदास)

repeated in clause 20, Sir. That is one.

The other mistake that I will suggest is this :

Clause (b). It is alright. Then clause (c) need not find its place there at all, Sir. It is no use keeping clause (c), and instead thereof we should amend clause (i) and (ii) of the second clause. :

"shall be punished--

(i) in the case of first offence with a fine which may extend to ten rupees, and

(ii) in the case of second offence in respect of the same child."

Just as the Hon'ble Minister now suggests.

"with simple imprisonment of one month or a fine of Rs. 200/-."

Why put clause (c) in the present form ? The phraseology is not really a legal phraseology. Therefore, I suggest that we will be able to achieve the same object provided the hon'ble Minister-in-charge conceives it. He could put it in a better form. Therefore, I suggest that this (wording) amendment may be accepted by the hon'ble Minister, Sir.

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : माननीय अध्यक्ष, जहां तक इस बिल का सवाल है इसमें जो कुछ सुधार किये गये हैं वे ठीक हैं लेकिन जहां तक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का सम्बन्ध है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रान्त में ऐसे गांव हैं और कई ऐसी तहसीलें भी हैं जहां पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट बड़ी दूरी पर रहा करते हैं। हमारे यहां पहले ही से कई ऐसे कानून बने हुए हैं जिनमें मजिस्ट्रेट को जुर्माना करने का अधिकार दिया गया है और उनका जुरिस्डिक्शन रखा गया है पर जितनी तवालत उस कानून के तहत किये जाने वाले जुर्माने की सजा से नहीं होती उतनी लोगों को न्यायालय तक पहुँचने व आने जाने में हो जाती है। मैं माननीय सदस्यों को मोटर विहिकल्स एक्ट की याद दिलाना चाहता हूं। उक्त एक्ट के अन्तर्गत केवल दो सवारियां ज्यादा बैठाने पर चालान किया जाता है और लोगों को बहुत दूर गांवों से चल कर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाना पड़ता है और अमूमन साधारण केसेज़ में भी काफी समय लग जाता है। छः, महीने तक केस पेंडिंग पड़े रह जाते है और कई दफा चक्कर काटने के बाद ६, ७ रुपया जुर्माना होता है। अभियुक्तों के लिये उक्त जुर्माना इतना भारी नहीं होता जितना कि लोगों को काम-धंधा छोड़ कर बार बार आने जाने व उससे होने वाले व्यय से कष्ट होता है।

लोगों की सेहत सुधारने की दृष्टि से यदि इस कानून का बनाना जरूरी समझा जाता हो तो मैं यह निवेदन करूंगा कि ग्राम पंचायतों को इस कानून का अधिकार क्षेत्र (जुरिस्डिक्शन) सौंपना चाहिये, ग्राम पंचायतों को यह जुरिस्डिक्शन मिल जायगा तो वे लोगों को आसानी से इसकी व्यवस्था समझा सकेंगे और लोग भी इस कानून को

(श्री मनोहर कोठारी)

महत्ता को अनुभव कर इसका लाभ उठा सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष, अपने बच्चों को सब प्यार करते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे अधिकाधिक फूलें फलें और जिंदा रहें। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले जयपुर में व राजस्थान के अन्य हिस्सों में यह अफवाह फैला दी गई थी कि बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए एक बच्चे की मां पाव भर मिटाई खाये और दो बच्चों की आधा सेर, तीन बच्चों की तीन पाव मिटाई खाना चाहिये और इससे एक ऐसी फिजां चल पड़ी कि कुए बावड़ियों पर सैकड़ों मन मिटाइयों का ढेर हो गया। इस तरह आसानी से अन्दाज लगाया जाता है कि मां-बाप अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं और वे अपने बच्चों के जीवन के लिये क्या नहीं कर सकते ? पर आज तक चेचक की बीमारी को माता के नाम से, डिवाइन के नाम से पूजा जाता है। आम लोग तो अभी समझ ही नहीं सके हैं कि चेचक कोई बीमारी है। इस चीज को समझाने के लिये इस बात की जरूरत है कि इस प्रकार का कानून बनाने से पहले, इस कानून की पूर्ति के लिये आवश्यक जनमत और वातावरण बनाना चाहिये। यह कार्य शिक्षा के द्वारा पूरा हो सकता है।

छोटे बच्चों की शादियां रोकने के लिये कानून बना हुआ है लेकिन माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी अक्षय तृतीया को सैकड़ों मासूम बच्चों की शादियां हुई हैं। तो इससे जाहिर है कि बावजूद कानून के वातावरण के अभाव में इसका पालन अच्छी तरह से नहीं होता! जिस कानून का असर आम लोगों के दिमाग तक, दिल तक नहीं होता, उसका विशेष अर्थ नहीं होता, इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, उनका जुरिस्डिक्शन रख कर यदि कोई कानून मनवाने की बात करते हैं तो इस तरह से तो लोग उसे नहीं मानेंगे क्योंकि आज तक ऐसा ही हो रहा है। इसलिये इस कानून का जुरिस्डिक्शन गांवों की पंचायतों को सौंप देना चाहिये ताकि गांव के लोग उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और अन्य सब बातों को ध्यान में रख, जो आवश्यक समझें, वह जुर्माना कर सकें। यह एक अच्छा और आसान तरीका होगा।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि हमारे पास वेक्सिनेटर्स ही कितने हैं ? हमारी कई तहसीलों में वेक्सिनेटर्स की पूरी कमी है, सरकार अभी अस्पतालों को पूरे डाक्टर्स नहीं दे सकी है। ऐसे कई पहाड़ी क्षेत्र मौजूद हैं जहां पर रहने वाली जनता की सेहत पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये था वह अभी सरकार नहीं दे पाई है। आज वेक्सिनेटर्स पूरे नहीं हैं और कहीं कुछ हैं भी तो उनसे पूरा फायदा जो पहुँचना चाहिये वह नहीं पहुँच रहा है। इसलिये ग्राम पचायतों और म्युनिसिपेलिटियों को यह अधिकार रहना चाहिये कि जो भी वेक्सिनेटर रखे जाँय वे ग्राम पंचायतों को या म्युनिसिपलिटियों के अधीन रह कर कार्य करें, तब तो इस कानून की पाबन्दी की आशा भी हो सकती है और इस कानून का इस सदन में पास करना भी सार्थक हो सकता है।

इतना निवेदन करने के बाद यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो अमेंडमेंट मूव किया गया है वह भी कुछ हद तक जरूरी है।

(श्री मनोहर कोठारी)

एक महीने तक की सजा का प्रोविजन रखा जा रहा है, परन्तु यदि ग्राम पचायतों के अधिकार क्षेत्र में इसे देते हैं तो एक महीने की सजा का प्रोविजन नहीं रह सकेगा और इस प्रकार हमें इसमें सुधार करने की आवश्यकता होगी। कानून बनाने का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिये कि राजस्थान कोड में राजस्थान विधान सभा द्वारा पास किया हुआ एक कानून और बढ़ जाय, बल्कि उसकी महत्ता, उपयोगिता को मद्देनजर रख कर सोचना चाहिये कि इस कानून से जनता को कितना लाभ पहुँचेगा, जनता उससे कितना लाभ उठा सकेगी ?

सारी कुंभलगढ़ तहसील में एक डिस्पेन्सरी है और वहां पर भी ५ साल से डॉक्टर नहीं है और आज कानून पर कानून इसलिये पास करना चाहते हैं कि लोगों को इनसे लाभ पहुंचे, उनकी सेहत सुधरे। बाले जैसी भयंकर बीमारी हमारे प्रदेश में चल रही है, हजारों लोग इस बीमारी के कारण परेशान हैं और पड़े हुए हैं, इसके बारे में सरकार को सद्भावना पूर्वक सोचना चाहिये। मैंने सुना कि एक डाक्टर ने इस बीमारी की रोक—थाम और इस रोग के नाश के लिए एक स्कीम तैयार कर सरकार के सामने रखी, पर उसको सरकार की ओर से कोई एन्करेजमेंट नहीं मिला। इस बीमारी के कारण हजारों व्यक्ति सड़ रहे हैं, उनके हाथ-पांव खराब हो रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। इस बिल की सफलता का रहस्य यही हो सकता है कि ग्राम पंचायतों का जुरिसडिक्शन हो और जो भी वेक्सिनेटर्स जांय पहले ग्राम पंचायतों को एप्रोच करें व उनके संकेत से कार्य करें, मजिस्ट्रेट के जुरिसडिक्शन को मैं उचित नहीं समझता।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : माननीय अध्यक्ष, मैं इस बिल के क्लॉज २० का विरोध करना चाहता हूं। इसका कारण यह है कि राजस्थान की जनता इतनी शिक्षित नहीं है, राजस्थान की जनता में शिक्षा की कमी है और शिक्षा की कमी होने के कारण नहीं जानती कि वेक्सिनेशन से क्या फायदे और क्या नुकसान हैं और जब तक जनता इस वेक्सिनेशन का फायदा और नुकसान नहीं पहचानेगी तब तक इस क्लॉज के नीचे दोषी ठहराया जायगा तो बड़ा ही नुकसान होगा, क्योंकि कई वेक्सिनेटर्स इस क्लॉज का दुरुपयोग करेंगे और जो लोग वेक्सीनेटर्स को रिश्वत नहीं देंगे उन्हें इस क्लॉज के नीचे दोषी ठहरा कर दंडित करवाने की कोशिश करेंगे। जनता शिक्षित नहीं है और एक भी शख्स को अगर वेक्सिनेटर दंड दिलवा सकेगा तो उस एरिया में उस वेक्सिनेटर का आतंक छा जायगा और लोग उस को रिश्वत देने के लिये तैयार हो जाएंगे इसलिए माननीय अध्यक्ष, मेरा निवेदन है कि पहले राजस्थान की जनता को शिक्षित करने की कोशिश करें और फिर यह कानून लागू करें।

श्री छोटूसिंह (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो अमेन्डमेंट क्लॉज २० पर सरकार की ओर से रखा गया है उसके बाद इसमें विशेष परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

("आवाज नहीं आ रही है" की आवाज)

इस सम्बन्ध में मुझे यह अर्ज करना है कि बहुत से सदस्यों ने, मेरे भाइयों ने जो यहां पर

(श्री छोटूसिंह)

दलील दी है कि कानून के जरिये समाज में कोई भी परिवर्तन लाना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके मायने यह हैं कि कोई भी अच्छी बात समाज में लाई जावे तो वह कानून के जरिये नहीं लानी चाहिये। मैं यह कहूंगा कि अगर हम यह महसूस करते हों कि हमारे कुछ भाई अज्ञानता-वश या ओरथोडोक्स होने की वजह से चेचक की बीमारी को माता समझ कर उसका ठीक तरह से इलाज नहीं करा सकें, तो क्या हम लोग जो यहां पर सदन में बैठ हैं उनका और क्या सरकार का, जिसकी कुछ जिम्मेदारी है, क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराये जावेंगे कि किसी बच्चे को चेचक से ठीक तरह से बचाने के लिये उपाय नहीं किया जाये ? मुझे मालूम है कि पुराने जमाने में अन्ध विश्वास के कारण सती-प्रथा थी और स्त्रियों को जिन्दा जलाया जाता था। उनको उनकी स्वेच्छा के विरुद्ध जिन्दा जलाया जाता था और जबरदस्ती जलाया जाता था। आज भी कई स्थानों पर आप देखेंगे कि कहीं स्त्री अपने पति के वियोग में जरा सी भी इच्छा सती होने की जाहिर करती है तो तो उसके मुंह से ऐसी बात निकलनी चाहिये, तो लोग उसे जबरदस्ती जला देते हैं; आज भी ऐसा होता है । अगर किसी बच्चे को चेचक की बीमारी हो तो क्या यह सरकार का फर्ज नहीं है कि वह इसके लिये प्रबन्ध करे ? यह सरकार का प्रथम कर्तव्य है। लेकिन दलीलें बड़ी अजीब दी जाती हैं । कहा यह जाता है कि अभी तक फलां जगह डाक्टर का इन्तजाम नहीं है। लेकिन जो यह क्लॉज २० है उसमें एक महीने की सजा की बात है जिसमें यह लिखा है कि वेक्सीनेटर मजिस्ट्रेट के पास जावेगा और रिपोर्ट करेगा तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को नोटिस देगा । इस लिए अगर वेक्सीनेटर होगा तभी वह जाकर मजिस्ट्रेट से शिकायत करेगा और नहीं होगा तो कौन जाकर शिकायत करेगा और जब शिकायत ही नहीं करेगा तो कौन सी दफा की तहत सजा कराएगा ?

मैं एक बात आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको पास अवश्य कर दें मगर यह अधिकार है, वह मजिस्ट्रेट को ही रखना चाहिये। आप कभी भूल कर भी यह अधिकार पंचायत को न दें । आप देखेंगे कि पिछले पांच वर्षों में किसी भी भाई को सजा नहीं होगी, लेकिन अगर कहीं आपने पंचायत को यह अधिकार दे दिया तो पंच महोदय तो उस व्यक्ति की तलाश करके अवश्य उस को, सही हो या गलत, सजा देंगे और इससे लोगों के साथ अन्याय होगा । इसलिये मैं यह कहूँगा कि जो पैनॉल्टी का क्लॉज है बहुत अच्छा है, इसको अवश्य पास किया जाये। मैं समझता हूं कि इसमें किसी को सज़ा होना मुश्किल है। मेरी यह मान्यता है कि कानून में बहुत सी अच्छी बातें हैं। उनको भी अमल में नहीं लाया जाता है। जैसे मैरेज एक्ट है। यह पास हुआ है लेकिन फिर भी नाबालिग लड़के और लड़कियों की हजारों की तादाद में शादियां हो रही हैं। आजकल की ही बात है कि इसी तीज के सावे पर अलवर मे मैंने देखा है ८-६ साल के लड़के और लड़कियों की शादियें हजारों की तादाद में हुई हैं। लड़का ७ वर्ष का दादे की गोद में निकासी हो रही है। इस तरह से कानून की अवहेलना होती है। यह ठीक है मगर, इसका यह मतलब नहीं कि कानून बनाए ही न जावें। जो मेरे भाई इस प्रकार

(श्री छोटूसिंह)

की दलीलें देते हैं उन भाइयों का कर्तव्य है कि वे समाजिक तरीकों से ,प्रचार के तरीकों से अपका काम करें और सरकार को चाहिए की वह अपना काम करे । यदि इस तरह से हम अपना काम करेंगे तो उचित होगा । मैं समझता हूँ कि यह प्रोवीजन, जो रखा गया गया है, इतना अच्छा प्रोवीजन है कि इससे हजारों बच्चों को जानें बच सकती हैं और हजारों बच्चे जो अपने मां-बाप की अज्ञानता के कारण चेचक की बीमारी में मर जाते हैं बच सकते हैं और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उन बच्चों को, जो इस प्रकार मां-बापों की अज्ञानता से मरते हैं बचावें । मैं यह समझता हूं, सरकार अगर इस प्रकार के कानून के जरिये ऐसे मां-बापों को जो अपने बच्चों के टीके नहीं लगाते हैं उनको साल या दो साल में खत्म करें और जरूर सजा दिलाए, ताकि दूसरे लोगों को पता चले और उनकी सजा लोगों के लिये एक चर्चा का विषय बने, ताकि लोग अपने बच्चों के टीके लगवायें । ऐसा न हो कि ५० वर्ष के बाद भी कभी मिनिस्टर महोदय से आंकड़े पूछे जावें कि इस जुर्म में किस को सजा हुई तो मिनिस्टर महोदय यह कहें कि किसी को भी सजा नहीं हुई तो मैं यह समझूंगा कि सरकार इस बारे में नेगलीजेन्ट रही है । इसलिए मैं यह कहूँगा कि सही बात को सही तरीके से रखना चाहिए ।

मैं आपको बताऊं कि अगर कोई अच्छी बात या दवा थोड़ी कटु लगे तो भी हमको इस्तेमाल करनी ही पड़ती है । क्या कोई बच्चा अपनी मर्जी से कुनेन लेना चाहेगा ? मैं कहूँगा कभी नहीं लेगा। मगर उसको हमें कुनेन भी कभी देनी पड़ती है और उस की मर्जी के खिलाफ । इसलिए शिक्षा-दीक्षा के लिए यह जरूरी नहीं है कि कितने हाई स्कूल खोले गये और कितने मिडिल स्कूल खोले गये व कितनों को पढ़ना-लिखना आया, क्योंकि शिक्षा का मतलब ज्ञान है और मनुष्यों में शुरू में ही वह सीमित होता है । एक अनपढ़ भी बुद्धिमान हो सकता है । इसलिए हमें चाहिये कि लोगों में ज्ञान पैदा करें कि टीका लगाने से चेचक में फायदा हो जाता है। हमें चाहिये कि हम लोगों को समझाएं और इसकी जगह-जगह चर्चा करें, तो हम देखेंगे कि इसका प्रसार जल्दी से जल्दी होता है । अगर किसी प्रकार से ऐसा मामला आ जाता है तो हमें चाहिये कि टीका लगा कर उस मामले को वहीं रफा-दफा करादें । लेकिन यह न हो कि कानून ही इस सम्बन्ध में नहीं बनाया जाए । अगर ऐसी बात होगी तो बहुत बुरी दशा होगी । बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ ।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो सजा का क्लॉज़ रखा गया है, मैं उसका व्यवहारिक कारणों की वजह से विरोध करता हूँ । यह जो सजा का प्रोवीजन रखा गया है इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग बच्चों के टीका लगाएं, लेकिन हमको यह देखना है कि क्या इस क्लॉज़ के रखने से और इसमें जो सजा रखी गई है उसको रखने से उस उद्देश्य की पूर्ति होगी या नहीं । मैं यह निवेदन करूंगा कि आज जो भी कानून बनाये जावें वे जनता की भावनाओं के अनुरूप होने चाहिएं । आज पब्लिक इतनी पिछड़ी हुई है और अशिक्षित है कि आम जनता का वेक्सीनेशन में कोई विश्वास नहीं है । इसलिये अगर इस प्रकार का कानून बन भी जावे तो इस प्रकार के बने हुए कानून को पब्लिक किसी प्रकार भी नहीं

(श्री रामेश्वरदयाल)

मानेगी और उसकी अवहेलना के अनेकानेक तरीके निकाल लिए जावेंगे । परिणाम यह होगा कि वेक्सीनेशन के लिए वेक्सीनेटर जावेगा, टीके से बचने के लिये उसको रिश्वत दी जावेगी और इस तरह कानून के परिणाम से लोग बचने की कोशिश करेंगे । इसका नतीजा यह होगा कि भ्रष्टाचार फैलेगा, बेईमानी फैलेगी और जिस उद्देश्य से यह कानून बनाया जा रहा है वह उद्देश्य ही समाप्त हो जावेगा । इसलिये इस प्रकार के कानून को बनाने से पेश्तर आवश्यकता इस बात की है कि वेक्सीनेशन में विश्वास पैदा किया जावे और इस प्रकार का वातावरण बनाया जावे जिससे लोग टीका लगवाना स्वतः ही पसन्द करें । इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से सुझाव करूंगा कि पहले इस प्रकार का वातावरण पैदा किया जाये और उसके बाद इस प्रकार का कानून बनाया जाये जिसमें सजा तजबीज हो ।

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब देना है । क्लॉज २० पर जो संशोधन आया है उसी पर माननीय सदस्य सीमित रहें । यह जो जनरल चर्चा चल रही है यह अच्छा तरीका नहीं है ।

श्री रामनारायण (पीपलदा) : क्लॉज़ २० पर जो संशोधन आया है उसका मैं विरोध करता हूँ और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के जरिये सदन से निवेदन करता हूं कि इस क्लॉज़ में जो सजा रखी गई है वह बहुत अधिक है । मैं इसके लिये निवेदन करूंगा कि यह मामला पंचायतों के सुपुर्द कर देना चाहिये और इसके बारे में मेरी कई बड़े आदमियों से, पंचों से, और दूसरों से बातचीत हुई है । वह यह मंजूर करते हैं कि यह मामला ग्राम पंचायतों के सुपुर्द होना चाहिए और जो जनता की भावना इस प्रकार की है कि आज से करीब १४–१५ साल पहले गांवों में कोई सरकारी अधिकारी आया करते थे तो कई लोग छुप जाया करते थे और जो भी गांव में बड़े लोग हुआ करते थे वह रुपया देकर उन अधिकारियों से, जो टीका लगाने आया करते थे अपना पिंड छुड़ाते थे । लेकिन आज उन्हीं लोगों से इनाम देकर टीका लगवाते हैं । वह इनाम देकर टीका इसलिए लगवाते हैं कि वह टीका अच्छी तरह से लगा दे, वह पके नहीं और दुख न हो, तो फिर जो लोग पहले पैसा देकर अपना पिंड छुड़ाते थे वही आज इनाम देकर, आगे होकर टीका लगवाते हैं । तो इस प्रकार की जागृति जो गांवों में हुई है सब लोग इसकी उपयोगिता को समझ रहे हैं, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जब जनता स्वयं ही आगे बढ़ रही है तो इस प्रकार की सज़ा उन पर लाद देना उपयुक्त बात नहीं है और इसके लिए मैं यही निवेदन करूंगा कि यह मामला पंचायतों के सुपुर्द कर देना चाहिए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने क्लॉज़ २० में एक कानूनी डिफिकल्टी बताई थी । क्लॉज़ २० है ऑफेन्स का :

"Offences—Whoever commits any of the following offences" i. e. under section 16 and 17. For repeated breaches "shall be punished in the case of offence...so much."

But there is no provision as to

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

by whom the offence is punishable under clause 17 ? But there is no provision whatsoever as to by whom the offence shall be tried and who shall inflict that punishment.

मंत्री महोदय अभी जरा न बोलें : क्लॉज़ १६ जिसका प्रावधान किया गया है, जिसकी तरफ माननीय मंत्री महोदय शायद संकेत करना चाहते हैं, उस क्लॉज़ १६ में यह है :

" Order by Magistrate when notice not complied with. "

इसमें ऑफेन्स क्या है ? इस ऑफेन्स के बारे में वर्णन है । लेकिन यह जो डिसओबिडियेन्स का ऑफेन्स है यह पनिशेबल अन्डर क्लॉज़ २० होगा । इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूँगा कि और वह स्वयं भी जानकार हैं, इसलिए जिस क्लॉज़ का उल्लघंन करने के कारण उसी में इसी प्रकार का संकेत होना चाहिए और उसमें इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए कि किसके द्वारा वह दंड दिया जायेगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह क्लॉज़ १६ का सब-क्लॉज़ (२) देखिए ।

श्री सतीशचन्द्र अगवाल : क्लॉज़ २० में आप यह मैन्शन कर सकते हैं; लेकिन उसमें कोई प्रोवीजन नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप क्लॉज़ १६ का सब-क्लॉज़ (२) देखिये, उसमें दिया हुआ है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो क्लॉज़ १६ का सब-क्लॉज़ (२) है उसको मैंने पढ़ा है, लेकिन क्लॉज़ १६ का सब-क्लॉज़ (२) भी कहता है :

" If on such date the order has not been obeyed, the Magistrate shall summon the parent or guardian before him and, unless just cause or excuse is shown, shall deal with disobedience as an offence punishable under section 20. "

मेरा सबमिशन यह है कि, this provision, as a matter of fact, ought to have been made under clause 20 and not under clause 16, because clause 20 makes a provision for punishment. The legal position is that a clause which makes a provison for punishment in a particular act, there should have been made provision therein. This is something a legal position. The provision has to be made in clause 16. I may submit that legally we cannot accept this position. This provision of making authority should be in clause 16 and not in clause 20. This is a legal defect which the Hon'ble Minister should realise.

श्री हीरा (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं टीका न लगवाने पर जुर्माना करने का यह जो आपने कानून बनाया है उसका सख्त विरोध करता हूँ । क्योंकि आज छोटी-छोटी बातों को लेकर हम लोग चलते हैं और गरीब लोगों को टीका लगवाते समय कहीं कहीं काम में जाना होता है और वह हाजिर नहीं होते और टीका लगाने वाले अधिकारी भी वापस चले आते हैं, तो इस तरह से उन

(श्री हीरा)

गरीब लोगों से कानूनी अवहेलना होती है। या एक छोटा बच्चा बीमार होता है तो उसके पीछे पच्चीस मनुष्यों को परेशानी उठानी पड़ेगी। परेशानी कैसे उठानी पड़ेगी? टीका नहीं लगवाने पर बीस-बीस मील अदालतों में पहुंचना और वहां से वापिस आना और कई प्रकार की परेशानियां लोगों को हो जायें तो यह एक मनुष्य को बचाना और पच्चीस मनुष्यों को परेशान करना, यह बड़ी बुरी चीज है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि मजिस्ट्रेट के मार्फत यह न होकर ग्राम पंचायतों के मार्फत इसकी व्यवस्था की जाय ताकि टाइम टेबल पर ग्राम पंचायतें पहले से टीका न लगवाने पर उनको नोटिस दें, आदेश दें। यदि आदेश प्राप्त न करें तो ग्राम पंचायतें जुर्माना करें या कुछ भी कार्यवाही करें। बाकी आप पहले से पहले ६ महीने की सजा, एक महीने की सज़ा और दो सौ रुपये का जुर्माना वगैरह का आप एक संशोधन पेश करते हैं, तो ग्रामीण जनता बहुत दुखी हो जायेगी। उनके विषय में पूरा प्रबन्ध ऐसा ही हो सकता है कि आप इस कानून का प्रचार ग्रामों में करें। लोग आजकल पहले से ज्यादा बेवकूफ नहीं हैं। आज टीका लगवाने के लिए लोग सौ-सौ, दो-दो सौ मील से अस्पतालों में जाते हैं, तो डाक्टरों को अस्पतालों में टीका लगाने की फुर्सत नहीं मिलती है। मैं जहां भी देखता हूं उसकी हालत तो इसी तरह चल रही है, टीका तो लगवाने के लिए मनुष्य तैयार है। मैं पहली बात तो सरकार से कहता हूं कि इसका पूरा इन्तजाम नहीं है। इन्तजाम की पूर्ति भी नहीं हो सकती है और पहले से ही खटक्या बांध दें तो यह परेशान करने वाली बात है। कहीं भ्रष्टाचार से आप और हम लोग बदनाम हो जायेंगे। इस तरह से यह कानून जो है वह हमको बहुत दुखी मालूम पड़ रहा है। आप मजिस्ट्रेट के अलावा ग्राम पंचायतों द्वारा इसका इन्तजाम करवा लीजिए तो अच्छा होगा। पंचायतों के द्वारा उनको पहले से ही इत्तला दी जाय और टाइम-टेबल से लोग टीका नहीं लगवायें तो उनके ऊपर एक मामूली, साधारण कार्यवाही, पच्चीस रुपया या दस रुपया के साज़ की कार्यवाही, इसमें कर दी जाये तो ठीक है। बाकी इतनी बड़ी सज़ा कर दी जाय ताकि हमारे ग्रामीण लोग परेशान हो जायें, तो यह अच्छी चीज नहीं है। इसलिए आप यह कर सकते हैं कि, हालांकि आप सत्तारूढ़ दल की पार्टी के हैं, बहुमत से तो आप मंजूर करा लेते हैं, लेकिन हमारी जो ग्रामीण जनता है यह काफी परेशान हो जायेगी। इसलिए आप इस पर ध्यान दें वर्ना यही संशोधन तो हमें बिलकुल पसन्द नहीं है और हम सब उससे दब जायेंगे। इसलिए इतनी ही मेरी अर्ज है कि आप ग्राम पचायतों द्वारा उसकी व्यवस्था करायें और मजिस्ट्रेट या दूसरे अधिकारियों द्वारा न करायें ताकि लोग अपने टाइम-टेबल से नजदीक से नजदीक अपने कार्यक्रम कर लें और अव्यवस्था न रहे।

श्री अनोपसिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि क्योंकि सदन में काफी चर्चा हो चुकी है। मेरा संशोधन था....

श्री अध्यक्ष: आप पहले बोल चुके हैं इसलिए आप नहीं बोल सकते।

श्री अनोपसिंह: मेरा यही संशोधन था...........

श्री अध्यक्ष : अब इस समय संशोधन पेश नहीं किया जा सकता है।

श्री अनोपसिंह : मेरा मतलब यही है कि ......

श्री अध्यक्ष : मेरे पास कोई संशोधन नहीं आया है, अतः आप नहीं बोल सकते।

श्रीमती कमलाबाई श्रोत्रिय (भीलवाड़ा) : मैं यह कहती हूं कि वादविवाद इसलिए बढ़ गया है कि चेचक की सीज़न चली गई है। जब सीज़न होती और कई बालकों की मृत्यु तड़ातड़ हो रही थी उस वक्त यह कानून आता तो लोगों को मालूम हो जाता कि यह कानून एक आवश्यक कानून है। इस चीज को पंचायतों के मार्फत इसलिए नहीं दे सकते हैं कि यह कानून एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। इस चेचक में कई बच्चों की मृत्यु हो जाती है इस कारण यह महत्वपूर्ण है तो, अतः मजिस्ट्रेट के हाथों में ही रखना वाजिब है। यह कीमत जो कि इसकी सज़ा के लिए रखी गई है वह आज हमें बहुत ज्यादा और बहुत कठिन मालूम पड़ती है, लेकिन अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो हमें यह मालूम पड़ेगा कि इसके अन्दर जनता की कितनी भलाई है, कितना हित है और इसके द्वारा जनता की कितनी रक्षा होगी। इसकी कीमत यदि आपको आंकनी है तो आप उन माताओं से पूछें जिनके खून से बच्चों का शरीर बनता है और जिन्हें बच्चों का कितनी कठिनाइयों से पालन पोषण करना पड़ता है और चेचक के द्वारा वह बच्चे मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं।

जो साज़ की तजवीज़ इस बिल में की गई है उसके लिए कहा जाता है कि वह सजा बहुत अधिक है मैं, पूछना चाहती हूँ क्या यह सज़ा उस प्राण प्यारे बालक से भी अधिक है? सरकार का फर्ज है कि वह जनता की रक्षा करे, बच्चों की जान-माल की रक्षा के लिए कानून बनाये और इस प्रकार का कानून लाज़मी है। यह बिल बहुत जरूरी है, यह हो सकता है कि जनता इस प्रकार के कानून को पालन करने में अभी ठीक तरह से योग्य न हो पाई हो, तो इसकी जिम्मेदारी माननीय सदस्यों पर आती है, सार्वजनिक संस्थाओं पर आती है, हमारा कर्तव्य है कि हम जनता को इस कानून की अहमियत को समझाएं, इस कानून की सही व्याख्या करें और उनको इसके भले बुरे का ज्ञान करायें।

मैं यह कहूंगी कि अगर हम इसके बारे में जनता में गलत प्रचार करेंगे, गलत अर्थ करेंगे तो यह हम अपने कर्तव्य से विमुख होंगे। जनता यह सोचेगी कि आज कांग्रेसी शासन है, उसका बहुमत है इसलिए, हमारे पर इस प्रकार के कानून लागू करते हैं। उनको यह समझाया जाय कि इस कानून के पीछे सरकार की मन्शा क्या है, सरकार की भावना क्या है? अगर सरकार हमारे नागरिक धन की रक्षा करना चाहती है, तो सरकार पर यह जिम्मेदारी है कि वह इस प्रकार के कानून बनाये। हो सकता है कि वेक्सीनेटर्स इसका दुरुपयोग करें; यह तो हमारे सावधानी रखने की बात है, लेकिन भय से या डर से जनहित के कानून न बनाये जायँ यह समझ में नहीं आता। बालक सबके हैं और सभी को प्राणों से प्यारे लगते हैं इसलिए सबके हित में यह होगा। हम इस प्रकार के जो कानून हैं उनको जल्दी से जल्दी एक मत होकर पास करदें।

श्री रामचन्द्र (डग) : अध्यक्ष महोदय, वेक्सीनेशन कानून के क्लॉज़ २० पर

Page No.32

(श्री रामचन्द्र)

बहस होने का आज दूसरा दिन है। मैं तो यह समझता था कि अभी जो बहस हुई है या हो रही है वह इस कानून के क्लॉज़ २० पर न होकर हम दूसरी ओर ही चले जा रहे हैं। अगर हम इस क्लॉज़ के शब्दों को ध्यान में रखें तो, मैं समझता हूं, कि इस क्लॉज़ को कभी का पास कर दिया जाना चाहिये था। यह तो क्लॉज़ २० पर बहस नहीं हो रही है बल्कि चेचक बिल पर बहस हो रही है। प्रत्येक सदस्य ने मनचाहे ढंग से अपने विचार रखे, चाहे वे २०वें क्लॉज़ के अन्तर्गत आते हों या १५वें या १६वें क्लॉज़ के।

अगर हम क्लॉज़ २० को कानूनी दृष्टि से देखें तो उसमें जो दंड रखा गया है और जिस काम के लिए दंड रखा गया है उसको देखा जाय तो हमें बोलने की कतई गुंजाइश ही नहीं है। ताहम भी माननीय सदस्यों ने उस पर कुछ न कुछ कहा ही है।

सदन की इच्छाओं को देखते हुए इस २०वें क्लॉज़ में जो संशोधन किया गया है मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं और मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस धारा में स्पष्ट शब्दों में, (ए), (बी) और (सी), तीन जगह यह बहलाया गया है कि "जस्ट कॉज़" या "जस्ट एक्सक्यूज़" होने पर कोई सज़ा नहीं दी जावेगी। कोई मजिस्ट्रेट किसी के साथ दुश्मनी के ख्याल से नहीं बैठा है। अगर माता-पिता ठीक कारण बतला देते हैं कि टीका न लगाने का यह कारण है और यदि वह ठीक है तो कोई भी मजिस्ट्रेट उसको सज़ा देने लिए उतारू नहीं होगा; क्योंकि प्रत्येक क्लॉज़ मे "जस्ट कॉज" या "जस्ट एक्सक्यूज़" पर जोर दिया गया है और इन्हीं शब्दों को ध्यान में रखते हुए ये अन्तिम सज़ाएं रक्खी गई हैं। अगर "जस्ट कॉज़" और "जस्ट एक्सयूज़" नहीं है और माता-पिता मनमाने ही इस बिल की अवहेलना करते हैं तो यह अवहेलना इस बिल की नहीं बल्कि सरकार के ऑर्डर की अवहेलना हुई है और इस धारा को ध्यान में रखते हुए पहले जो एक हजार का जुर्माना और ६ महीने की सजा रक्खी गई थी वह टीका नहीं लगाने की नहीं थी बल्कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की अवहेलना करता है तो एक हजार रुपया जुर्माना और ६ महीने की सज़ा दी जावेगी। तो यह कोर्ट की ऑथोरिटी को चेलेन्ज करने की सज़ा है। किन्तु इसको भी मन्त्री महोदय ने कम करके २००) रु० रख दिया है। मेरे ख्याल से कोर्ट की मान की रक्षा करने के वास्ते दो सौ रुपये की सज़ा और एक महीने का दंड अवश्य रहना ही चाहिये।

तीसरी बात बहुत से सदस्यों ने यह बात बतलाई कि इस कानून का फैसला देने के लिए बजाय मजिस्ट्रेट के पंचों के सुपुर्द कर दिया जावे। मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह का सुझाव तो वैसा है जैसा कि बन्दर के हाथ में कोई उस्तरा दे दिया जावे। जो लोग कानून से वाकिफ ही नहीं वे इस क्लॉज़ की बारीकियों को क्या समझेंगे और गांव के अनपढ़ लोग जो पंच बन गये हैं वह इस धारा को ठीक-ठीक अमल में न ला सकेंगे। इसलिए मैं फिर यही अर्ज़ करूंगा कि अगर यह धारा इस रूप में रखनी है तो आप मजिस्ट्रेट के द्वारा ही फैसला करने की व्यवस्था रखिये, वर्ना गांव में सरपंच या पंच लोग इस कानून की आड़ में अपने गांव के दूसरे भाइयों को मजिस्ट्रेट की अपेक्षा ज्यादा तंग करेंगे। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, सदन का ध्यान इस ओर

(श्री रामचन्द्र)

आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि यह क्लॉज़ अवश्य रखना चाहिये और मन्त्री महोदय ने उदारतापूर्वक जो संशोधन किया है उसको मानकर हमें उनके प्रति बहुत ही आभार प्रकट करना चाहिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे ख्याल नहीं था कि इस क्लॉज़ पर इतनी लम्बी बहस होगी, क्योंकि मैं समझता था कि जब हम क्लॉज़ १६ पास कर चुके हैं, जिसमें कि स्पष्ट तौर से यह दिया हुआ है कि एक एरिया मुकर्रर किया जावेगा वैक्सीनेशन के लिए और वह सरकार मुकर्रर करेगी और इस एरिया में यह प्रबन्ध होगा कि बच्चों के टीका लगाया जावे । माता पिता को वहां टीका लगाने के लिए लाना चाहिये । इसमें सुपरिन्टेन्डेन्ट मुकर्रर करने का प्रोवीजन क्लॉज़ १६ से किया गया है । इसके बाद अगर कोई टीका नहीं लगावेगा तो वह सुपरिन्टेन्डेन्ट उसको कहेगा, नोटिस देगा और इसके बाद भी अगर वह नहीं लगावेगा तो वह मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा । इसके बाद उसे मजिस्ट्रेट नोटिस देगा, उसे बुलाएगा और इसके बाद वह वापिस घर चला जावेगा । इसके बावजूद भी अगर वह टीका नहीं लगवावेगा तो वह मजिस्ट्रेट उसको पहले दस रु० जुर्माने की सज़ा देगा और इसके बावजूद भी अगर वह पाबन्दी नहीं करता है तो फिर एक महीने की सज़ा और २००) रु० जुर्माना का प्रोवीजन इसमें रक्खा गया है । मैं नहीं समझता कि कानून यदि बनाना है तो फिर सज़ा और जुर्माना क्यों न रक्खे जावें ?

यह भी कहा गया कि इस क्लॉज़ को रखना ही नहीं चाहिए । अब तक तो यह था कि सज़ा बहुत ज्यादा है जिसको मैंने अमेन्डमेंट मूव करके कम कर दिया । अब यह कहा जा रहा है कि इस तरह का क्लॉज़ ही नहीं रहना चाहिये । मैं अर्ज करूं कि कानून जब बनाने का हम तय कर चुके हैं और क्लॉज़ १६ जब हम पास कर चुके हैं तो फिर अड़चन किस बात की ? कोई कानून ऐसा नहीं कि जिसमें सज़ा न रक्खी गई हो । सज़ा के बिना पाबन्दी कैसे हो सकती है ? मैं दुनिया का ऐसा कोई कानून नहीं जानता जिसमें कि कुछ न कुछ सज़ा न हो । ऐसा कोई कानून नहीं जिसमें सज़ा न हो ।

फिर भी मैंने अर्ज किया कि यह तो बहुत ही लीनियेन्ट कानून है । मजिस्ट्रेट कहता है पहली बार कि टीका लगाओ । सज़ा नहीं देता है, इसके पहले सरकार नोटिफाइड करती है एरिया को कि यहां लाकर टीका लगाओ, तब भी नहीं लगाते हैं तो कुछ नहीं कहते हैं, सुपरिन्टेन्डेन्ट फिर उसको नोटिस देता है कि लगाओ टीका यहां आकर, फिर भी नहीं लगाता है तो मजिस्ट्रेट पहले कहता है लगाओ, फिर भी नहीं लगाता है तो फिर हल्के से दस रुपये के जुर्माने की सज़ा है और तब भी अगर वह अवहेलना करता है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की तो फिर जुर्माने की सज़ा है ।

यह बार बार कहा गया कि ६ महीने की सज़ा है, जेल भेज दिया जावेगा, दो हजार जुर्माना कर दिया जावेगा, तो वह भी मैंने आज कम कर दिया है । अध्यक्ष महोदय, मैंने उस रोज भी अर्ज किया था कि सात साल से यह कानून रायज़ है और १८८० से यह कानून हिन्दुस्तान में बना हुआ है । पर कोई ऐसा केस मुझे तो मालूम नहीं कि इस कानून के अन्तर्गत किसी को सज़ा दी गई हो । हो

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

सकता है कि किसी को जुर्माना हुआ हो या सज़ा दी हो, पर इसका कोई उदाहरण माननीय सदस्यों ने यहां नहीं रक्खा। तो मैं कह रहा हूँ कि यह सादा सा कानून है।

आगे यह कहा गया कि सज़ा रक्खी है तो फिर कौनसा मजिस्ट्रेट सज़ा देगा? मैं बताऊं कि मजिस्ट्रेट को गवर्नमेंट अपोइन्ट करेगी। वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। उसको अख्तियार दिये गये हैं कि वह सब क्लॉज़ (२) के अन्तर्गत दफा १० में सज़ा दे सकेगा।

यह कानून बहुत सालों से अमल में आ रहा है और इसकी लैंवेज भी बिलकुल ठीक है।

यह भी कहा गया कि इसकी फ्रेजियोलोजी ठीक नहीं है। तो मैं फिर वही अर्ज कर दूं कि यह कोई नया कानून नहीं बनाया है। मैं समझता हूँ कि यह माननीय सदस्य जानते होंगे। आप यह कहें, शायद कि आपमें (मुझमें) इतनी अक्ल नहीं है कानून बनाने की। शायद हो सकता है। पर हमने इसे नहीं बनाया है, हमने तो ऑल इण्डिया कानून के आधार पर इसकी नकल करके यह कानून यहां रक्खा है और रखने की आवश्यकता भी इसलिये हुई कि कुछ लोगों ने शंका की इस कानून में खामियां हैं, इसलिए यह कानून रक्खा गया है।

पंचायतों के बारे में कहा गया कि इस कानून को मजिस्ट्रेट के पास न रख कर इनके पास रक्खा जावे। मुझे जहां तक याद है ठीक तरह से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस सदन में कुछ दिन पहले यह कहा गया था कि पंचायतें बड़ा जुल्म करती हैं, ज्यादतियां करती हैं और पंचायतों को अख्तियार ऐसे दे दिये गये हैं कि जिनसे जनता पर जुल्म हो रहा है। मैं समझता हूँ कि यदि पंचायतों के लिये इसे रक्खा जाता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। अगर ये अधिकार पंचायतों को दिये जाते तो फिर यह कहा जाता कि ये मजिस्ट्रेट को भी अख्तियार होने चाहिये। मैं समझता हूं कि जो पंचायतों को अख्तियार हैं वे मजिस्ट्रेट को भी हैं। पर अगर एक्ट में पंचायतों को ये अधिकार देने की बात आए तो पंचायत कानून में भी अमेन्ड करना पड़ेगा। पहले क्लॉज १६ हम पास कर चुके हैं जिसके अन्तर्गत मजिस्ट्रेट कार्यवाही करेगा, तो फिर अब क्लॉज २० के लिये यह कहें कि अधिकार पंचायत को भी देने चाहिये तो यह वाजिब नहीं है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि जिस बात का माननीय सदस्यों को डर था कि जुर्माना और सज़ा ज्यादा है वह डर अब इस क्लॉज़ में नहीं है और यह क्लॉज़ इस तरह से अमेन्ड करके मैंने पेश किया है, इसे, माननीय सदस्यों से मैं अपील करता हूँ कि वे पास कर दें।

श्री मदनसिंह (दांता): अध्यक्ष महोदय, यहां एक बहुत ही जरूरी चीज रह गई है।

श्री अध्यक्ष: अब कोई बहस की गुंजाइश नहीं है।

श्री मदनसिंह (दांता): मैं कोई बहस नहीं कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष: तब क्या कर रहे हैं?

श्री मदनसिंह (दांता): केवल एक

(श्री मदनसिंह)

सजेशन देना है। सब बीमारियों के लिये....

श्री अध्यक्ष : यह तो उचित मौके पर देना आप फिर।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २० में जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रक्खा है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप लोगों के कहने से तो रक्खा है, अब आप ही अपोज़ कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह (१४) : कुछ बाकी है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २०, संशोधनानुसार, स्वीकृत हो।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २०, संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ २१

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २१ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १, प्रीएम्बल इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रीएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रीएम्बल इत्यादि विधेयक में अंगरूप से जोड़े गये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान चेचक टीका विधेयक, १९५७ को पास किया जावे।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय स्वास्थ्य मन्त्री महोदय ने इस बिल को पास करने के लिये सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह चेचक की बीमारी एक छूआछूत की सी बीमारी है और मुझे यह आशा नहीं थी कि जिस समय आज के चार दिन पूर्व इस विधेयक के सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा शुरू हुई थी वह चर्चा बढ़कर इस हद तक पहुँच जावेगी कि माननीय स्वास्थ्य मन्त्री भी यह महसूस करने लगेंगे कि जो सज़ा का प्रावधान इस बिल में रक्खा गया है वह शोभनीय नहीं है। लेकिन आज जिस समय उन्होंने संशोधन पेश किया मैंने इस सदन को, विशेष रूप में विरोधी दल को, इस सरकार के ऊपर एक विजय के सन्देश के रूप में उसे स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके विरोध करने की वैसे कोई विशेष आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी, पर अभी माननीय स्वास्थ्य मन्त्री महोदय नें अपने भाषण में जो कुछ बातें बतलाई उनसे ऐसा अन्दाज लगता है कि

Page No.36

(श्री भैरोंसिंह)

इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह बताया कि यह कानून पहले से लागू था, बहुत दिनों से लागू था; इसके बावजूद भी आज त. का रेकॉर्ड इस बात को सिद्ध करता है कि किसी भी व्यक्ति को इस कानून के अन्तर्गत सज़ा नहीं मिली। मैं ऐसा समझता हूं कि हम एक तरफ से इस चीज को देखें तो ऐसा भी मानकर चल सकते हैं कि इसका उपयोग नहीं किया गया। सभी लोगों के चेचक के टीके लगाये गये होंगे, ऐसी बात नहीं है। कई ऐसे व्यक्ति भी होंगे जिन्होंने टीके लगाने से इन्कार किया है। कई ऐसी भी बातें हुई होंगी जिनके कारण कई व्यक्तियों के विरुद्ध उच्चाधिकारियों के पास शिकायत आई हो और उनसे भी उच्चाधिकारीयों के पास शिकायतें आई होंगी। लेकिन इन सबसे एक ही सार निकलता है कि इस प्रकार का कानून था लेकिन उस कानून का उपयोग नहीं हुआ और उसके अन्तर्गत किसी को सज़ा नहीं दी गई। यह सब किस बात का द्योतक है? यह इस बात का द्योतक नहीं है कि सरकार ने अच्छी तरह से काम किया है, लेकिन वह इस बात का द्योतक है कि कानून बनते हैं लेकिन वे अमल में नहीं आते।

अब यह कहा जाता है कि यह कानून पुराना है। मैं यह मानता हूँ कि वह पुराना है और अंग्रेजों के राज्य में सन् १८८० में लागू हुआ। लेकिन आज मंत्रीजी यह कहें कि इस कानून में कोई विशेष बात नहीं है, केवल पुराने कानून की नकल की गई है। मैं मानता हूँ कि नकल में अकल की जरूरत नहीं है। लेकिन परिस्थितियों को सोचना पड़ता है। इस समय क्या परिस्थिति है और उस समय क्या परिस्थिति थी? इसके पीछे एक इतिहास था। अंग्रेज चाहते थे कि भारतवासियों की साइकोलोजी बदली जाय, उनके मस्तिष्क में परिवर्तन किया जाय, लोगों की जो भावना है उसको उभारा जाय। कानून के जरिये नहीं बल्कि शिक्षा के जरिये, शिक्षा के माध्यम के जरिये लोगों के विचार बदले जांय। सरकार ने विचार किया कि लोगों के मस्तिष्क में विकार पैदा करना है। इसके पीछे भी एक रहस्य है। उन्होंने यह सोचा कि जिनको लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं उस चीज को लेकर लोगों के मस्तिष्क को बदला जाय। आजसेकुछ समय पूर्व आजादी से पूर्व बाहर यह अफवाह थी कि चेचक के टीके लगाना महा पाप है, इसमें गऊ के मास और रक्त का हिस्सा मिला हुआ होता है। इसलिये हिन्दू समाज कहता है कि टीके नहीं लगाने चाहिये। मैं मानता हूँ कि यह गलत बात है। लेकिन अंग्रेजों ने सोचा कि यहां जो भावना डेवलेप हो रही है वह और भी डेवलेप हो और दूसरी तरफ यह बंधन लगा दिया गया कि टीके लगाये जांय। उधर लोगों ने सोचा कि टीकों के जरिये गऊ का रक्त शरीर में प्रवेश करता है तो गऊ के प्रति जो श्रद्धा है वह खतम हो जायगी। आज सरकार कहती है कि यह तो पुराने कानून की नकल है इसलिये इसको अपनाना चाहिये, क्योंकि इसमें कोई सज़ा नहीं हुई या कोई रुकावट पैदा नहीं हुई। तो मैं समझता हूं कि कानूनों को परिस्थितियों के अनुसार बदलने की आवश्यकता महसूस करनी चाहिये। आज यह कहें कि चेचक ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं मंत्री जी की जानकारी के लिये बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी ने चेचक की बीमारी का घोर विरोध किया था।

Page No.37

(श्री भैरोंसिंह)

'हरिजन' पेपर उठाकर देखें और महात्माजी का उद्धरण देखें, तो पता चलेगा कि महात्मा गांधी ने चेचक के टीके लगाने का विरोध किया था और कहा था कि अंग्रेजी दवाइयों को कम्पलसरी तौर पर लागू नहीं किया जाय और यदि किया जाता है तो सज़ा का प्रावधान नहीं रखना चाहिये। महात्मा गांधी के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति आज सन् ५७ में राजस्थान विधान सभा में इस प्रकार का कानून प्रस्तुत करते हैं। चाहिये यह था कि यदि चेचक के टीके कम्पलसरी तौर पर लगाने हैं तो साथ ही यह सोचते कि ऐसी

१.०३. म. प.

(सभापति, श्री बरकतुल्लाहखां, पदासीन)

कौन कौनसी बीमारियां हैं जिनके लिये कानून बनाना है, लेकिन यदि नागरिक और जनता साथ नहीं देती है तो किस तरह से चलना चाहिये। आप पुराने कानून की नकल करना अभिमान और गौरव समझते हैं। आपके सामने यह बात नही है कि उसूलों का प्रश्न हो। जहां तक सज़ा का सवाल आता है पहले आपने ६ महीने की सज़ा और १००० रु० जुर्माना रखा था, लेकिन अब आपने उनको बदल कर १ महीने की सज़ा और २०० रु० जुर्माने की व्यवस्था की है। इसलिये क्या हम इस बात को सोच सकते हैं कि सरकार एक दिन की बहस और लोगों की अपील के कारण ६ महीनों की सजा को घटाकर १ महीने की सज़ा और १००० रु० के जुर्माने को घटाकर २०० रु० का जुर्माना कर सकती है। तो उसका लेजिस्लेटिव बिजनेस किन्हीं प्रिन्सिपल्स पर आधारित है। सदन में आवाज़ उठी और आपने इतना कदम उठाया, इसमें आपके डेमोक्रेटिक स्प्रिट की तारीफ करेंगे। लेकिन कानून बनाने में आपका कोई प्रिन्सिपल है, इसको नहीं मान सकते। यदि आपका कोई प्रिन्सिपल है तो सज़ा कम करने की क्या जरूरत थी? लेकिन मंत्रीजी ने खुद ने बताया कि यह तो नकल है, इसमें कोई प्रिन्सिपल नहीं है। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि इसमें सज़ा की आवश्यकता है या नहीं? इसमें जो सीज़न का प्रश्न आया उसमें यह व्यवस्था है कि सरकार समय निर्धारित करेगी, क्षेत्र निर्धारित करेगी और बतायेगी कि अमुक समय में, अमुक क्षेत्र में टीके लगाने हैं और यदि कोई नहीं लगाते हैं तो अमुक सज़ा मिलेगी। मैं समझता हूँ राजस्थान में अलग-अलग जिलों में अलग-अलग तरह की परिस्थिति रहती है। कहीं चेचक का रोग किसी खास समय में फैलता है उसी समय दूसरे क्षेत्र में उसका नामोनिशान भी नहीं है।

जयपुर शहर को ही देखिये। यहां पर गंदगी के कारण शहर में चेचक बहुत फैली हुई है। यहां की नगरपालिका की जो हालत है उसे मंत्रीजी को जाकर देखना चाहिये। नगरपालिका मंत्रीजी के ही अधिकार में है। उन्हें जाकर देखना चाहिये कि जयपुर शहर में किस प्रकार की गंदगी है, नालियां किस प्रकार सड़ती हैं और इनके कारण किस तरह से बीमारी फैलती है और गंदी गलियों में रहने से लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता, यह सब गौर करने की बातें हैं। लेकिन सरकार कहती है कि इसका पालन करो, टीका लगाओ; तुम चाहे जहन्नुम में जाओ, लेकिन अगर इसका पालन नहीं करोगे तो सज़ा और जुर्माना होगा। सरकार कोई कानून बनावे, उससे पहले उसकी व्यवस्था करनी चाहिये। चेचक

Page No.38

(श्री भैरोंसिंह)

की बीमारी क्यों होती है, इसके मूल में जाकर उसको मिटाने की व्यवस्था करनी चाहिये; लेकिन सरकार इसके मूल कारण को जानने की और गंदगी को मिटाने की कोई परवाह नहीं करती है। जयपुर नगरपालिका की लाखों रुपयों की रकम चढ़ी हुई है, उसको वापिस दिलाने के लिये कहा जाता है तो उसकी कोई परवाह नहीं करता, इसकी उनको कोई चिन्ता नहीं है, उनको चिन्ता है कानून बनाने की और मेजिस्ट्रेट्स को अधिकार देने की। इन अधिकारों का दुरूपयोग होगा या सदुपयोग होगा और जनता का क्या होगा, इसकी जांच करनी चाहिये लेकिन इसकी जांच कौन करे ?

अभी यह छोटासा प्रश्न है जिसकी चर्चा हो रही है। एक सज्जन ने कहा कि यह माता की बीमारी है। इसे माता की बीमारी समझ कर गांवों में लोग टीके नहीं लगाते हैं। मैं मानता हूं कि एक भाग ऐसा है तो इसको माता की बीमारी मानकर टीके नहीं लगाता है, लेकिन एक भाग दूसरा भी है जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। गांवों में माता की बीमारी होती है लेकिन बीमारों के लिये कोई इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं, डाक्टर की व्यवस्था नहीं। ऐसी हालत में वहां इलाज का सीधा तरीका रहता है। जिस दिन से माता निकलती है उस दिन से कूए का पानी पिलाना और सादा खाना देकर उपचार करते हैं। समय निकलने पर माता डट जाती है, बीमारी दूर हो जाती है और बच्चा स्वस्थ होजाता है। मैं मंत्रीजी से कहूंगा कि आपने सारे स्वास्थ्य विभाग को टटोलें और बाद में उत्तर दें कि माता के उपचार की आपके यहां क्या व्यवस्था है ? आपके यहां इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, केवल टीका लगाना ही उपचार है। जयपुर में जितनी मौतें होती हैं उनको देखें और चांदपोल के बाहर जाकर देखें कि मरनेवालों में से कितने ऐसे हैं जिनके टीके लगे हुए हैं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि टीका लगाने के बाद यह माता रुक जाती है, यह लोगों के लिए अजीब बात है। इस चीज को कोई स्वीकार नहीं करता। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, मेरे गांव में, छः-सात आदमियों को जो मेरी उम्र से ज्यादा थे, एक बार नहीं दो बार टीका लगाया हुआ था, उनको माता निकली और वे मर गये। इसलिए यह कोई कारण नहीं कि टीका लगाने के बाद कोई सर्टीफिकेट मिल जाय, ईश्वर की तरफ से कोई प्रमाण-पत्र मिल जाय, कि इस व्यक्ति को माता नहीं निकलेगी। मैं समझता हूं कि टीका लगाने के बाद भी माता निकलती है और पहले भी निकलती है। अगर यह कहा जाय कि यह इनफेक्शियस डिज़ीज़ है और इसको चेक करने के लिए टीका लगाना जरूरी है; जरूर टीका लगाना चाहिए, अध्यक्ष महोदय; मगर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जहां इनफेक्शियस डिज़ीज़ फैली हुई है, उसका क्षेत्र निर्धारित करें और जो फेसिलिटी जनता को प्रोवाइड करनी चाहिए, वे फेसीलिटी जनता को प्रोवाइड करें। जिस रास्ते के अन्दर माता फैल रही है, वहां सरकार कोई समय निर्धारित कर दे, वेक्सीनेटर निर्धारित कर दे, यह केवल सरकार की ड्युटी है। क्या यह सरकार की ड्यूटी नहीं है कि माता को कैसे रोका जाय, इस पर विचार किया जाय ? सरकार तो केवल यह इन्तजाम कर सकती है कि जो टीका नहीं लगवायें, उनको सज़ा किस प्रकार दी जाय ? अध्यक्ष महोदय, पहले एक प्रश्न आया था, कि पंचायतों को अधिक अधिकार दें या नहीं ?

Page No.39

(श्री भैरोंसिंह)

इस सम्बन्ध में सदस्यों के दो मत थे कि पंचायतों को जो अधिकार दिये जाते हैं उनका वे दुरुपयोग करती हैं, इसलिए अधिक अधिकार नहीं दें। दूसरा मत यह था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कोर्ट के अधिकार हैं, उन्हें पंचायतों को दें। अध्यक्ष महोदय, जिन महानुभावों ने इसका विरोध किया, मुमकिन है, वे मुझे माफ करें, वे गलतफहमी में हों और गलत फहमी इस कारण हो कि पंचायत कानून जो १९५३ में पास किया, उसको पास करने के बाद पंचायत कानून का अनुभव किया, अनुभव करने में हमें मालूम हुआ कि जो अधिकार दिये गये पंचायतों को, उनका दुरुपयोग हुआ है। अगर उन्होंने दुरुपयोग किया है तो उन अधिकारों को वापिस लेने के लिये कहें तो विचार किया जा सकता है लेकिन यह केवल माइनर ऑफेन्स है। अगर इसका अधिकार पंचायतों को दिया जाय तो वे क्या इसका दुरुपयोग करेंगे, यह मैं बता देना चाहता हूँ। पंचायतें ज्यादा से ज्यादा दुरुपयोग करें तो इतना दुरुपयोग करेंगी कि पंच या सरपंच की किसी व्यक्ति से कोई वैमनस्यता हो तो पंचायत उसको नोटिस दे सकती है और यह इल्जाम लगा सकती है कि उसने बच्चे के टीका नहीं लगवाया। तो जैसे कोर्ट में उस इल्जाम का निराकरण होता है कि फलां मजबूरी थी इसलिए टीका नहीं लगवा सके। वह निराकरण पंचायतों में भी हो सकता है, उस पर पंचायत वेक्सीनेटर को बुलायेगी और टीका लगवा दिया जायगा। इस प्रकार पंचायतों में एक गलत फहमी का निराकरण हो जायेगा। इसके विपरीत अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट को अधिकार दे देंगे तो मैं समझता हूँ कि यह गांव की जनता को परेशान करने का एक तरीका है। आपने पंचायतों को बड़े अधिकार दिये हैं, चोरी के जो केसेज़ हैं, उनको पंचायत डिस्पोज़ ऑफ करती हैं तथा और भी कई नैतिक अपराध हैं जिनके कारण कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है, उसका अधिकार भी पंचायत को दिया है। उन अधिकारों के मुकाबले में यह अधिकार दें तो केवल माइनर ऑफेंस को डिस्पोज ऑफ करने का अधिकार होता है और इसलिए मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे यह कह कर कि समय नहीं है, किसी का संशोधन नहीं आया है, इसलिए मंजूर नहीं करते हैं, कोई राय नहीं देता है, इसलिए मंजूर नहीं करते हैं। मैं समझता हूं कि यह उनका कर्तव्य होना चाहिए कि अगर नियमों की रुकावट से सदन का कोई सदस्य संशोधन प्रस्तुत नहीं कर पाया है, तो वे स्वयं संशोधन प्रस्तुत करें। हमने अभी उनको एक संशोधन प्रस्तुत करने की इजाजत दी है, उसको हम मंजूर करते हैं। हम उसके बारे में कह सकते थे कि दो दिन के बाद इस पर विचार किया जाय या संशोधन की प्रति सदन के सदस्यों को वितरित की जाय, लेकिन जो संशोधन था उसको एक अच्छी स्पिरिट के साथ माननीय मंत्री ने रखा और हमने स्वीकार किया। हमने माननीय मन्त्रीजी को एकोमोडेट किया और स्पोर्टसमैन स्पिरिट बताई। अब पंचायतों के सम्बन्ध में, मजिस्ट्रेट की पॉवर पंचायतों को देने के सम्बन्ध में, सोजन फिक्स करने के सम्बन्ध में, हर बात के सम्बन्ध में, वे अगर पांच मिनट संशोधन प्रस्तुत करने के लिए दें, तो संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं। वे अपनी एकोमोडेटिव स्प्रिट दिखायें। वे कहते हैं तभी संशोधन प्रस्तुत करने का श्रम किया जायगा। सभापति जी, इन तथ्यों को सदन के समक्ष रखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा

(श्री भैरोंसिंह)

हूँ कि जो सजा देने का प्रावधान है, माता को रोकने का प्रावधान है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोर्ट में ग्रामीणों को खड़ा करने का प्रश्न है, उन सब का महात्मा गांधी ने विरोध किया था, इस व्यवस्था का कि चेचक का टीका कम्पलसरी किया जाय, इसका उन्होंने विरोध किया। इसका प्रमाण "हरिजन सेवक" का उदाहरण है, जिसमें लिखा है कि ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कम्पलसरी टीका न लगे और इस कानून में सजा देने का कोई प्रावधान न हो। अगर इस प्रकार की हालत नहीं हुई, तो मैं सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि चाहे उस तरफ के माननीय सदस्य महात्मा गांधी से प्रेरणा न लें और १८८० के अंग्रेजों के कानून से प्रेरणा लें लेकिन हमारा यह कर्तव्य होगा कि महात्मा गांधी की आत्मा को शांति पहुँचाने के लिए, उन्होंने जिस चीज का १९४६, १९४५, १९४४ और १९४३ में विरोध किया, इस प्रकार के प्रावधानों को रोकने का पूर्ण प्रयास किया जाय।

(करतल-ध्वनि)

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं और सदन से अपील करूंगा कि यह बिल सदन में पास न हो।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज पर जो दो दिन से बहस हो रही है और जो माननीय सदस्यों का रुख रहा है उससे ऐसा लगता है कि सदन के अधिकांश सदस्य इस बिल की भावना के विरोध में हैं। जैसा कि पहले मैंने कहा था कि जहां तक टीका लगाने की बात है, आज देश के अन्दर अधिकांश व्यक्तियों की यह भावना होती जा रही है कि टीका लगाना चाहिये। समाज के अन्दर हर बात कानून के द्वारा नहीं लाई जाती है; समाज के विकास का एक तरीका होता है। हमारे माननीय सदस्य और मन्त्रीगण बड़ी बड़ी बातें कहते हैं और कहते हैं कि हम प्रगति की ओर चल रहे हैं, हमारा समाज प्रगति की ओर है। अगर हम पता लगाने की चेष्टा करें कि टीका लगाने का पर्सेन्टेज क्या है, तो हम देखेंगे कि समाज के लोग स्वयं आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कानून लगाया जाय। ऐसा भी दिखाई देता है कि अपने देश को लोगों ने परीक्षण का क्षेत्र बना लिया है। पहले जयपुर में एक कम्पेन (Compaign) चला था, बी. सी. जी. के टीके का, उस समय ऐसा लगता था कि टी. बी. की बीमारी जयपुर में आ गई है। मोटरों के अन्दर बी. सी. जी. के टीके का प्रचार किया जाता था कि टी. बी. के टीके लगवाइये। सड़कों के हर नुक्कड़ पर टीके लगाने वाले आदमी बैठे रहते थे। ऐसा लगता है कि एक प्रकार का परीक्षण हमारे देश में किया जा रहा है। इस परीक्षण का विरोध देश के बड़े-बड़े व्यक्तियों ने किया है। जिस प्रकार जानवरों के टीके लगाये जाते हैं, उसी प्रकार यह परीक्षण किया जा रहा है, यह अच्छा नहीं है। लेकिन अब भी कानून बनाया जा रहा है तो मुझे आशंका है कि हमारी सरकार क्या इसलिए कानून बना रही है कि पूरी तरह से अमल होता है। हमारी विधान सभा में बहुत आलोचना हुई है कि जो कानून बनाते हैं उन कानूनों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए इस बिल को अमल में लाने के लिए पूरा प्रयास किया जायगा और यह सम्भावना है कि इसको अमल में लाने के

Page No.41

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

लिए जो स्वरूप हमारे बी. सी. जी. के प्रचार में होता है, वही स्वरूप हमें यहां पर फिर दिखाई देगा। यह कहा गया कि इस कानून के कारण आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई। मैं आपको बताऊं कि सज़ा इसलिए नहीं हुई क्योंकि इस कानून का अमल नहीं हुआ। जो टीके लगवाना चाहते हैं, उन्होंने टीके लगवाये। अब तो आप कहते हैं कि प्रगति की ओर चल रहे हैं, तो ऐसे समय इस कानून का अमल हुआ तो परिणाम यह होगा कि रोजमर्रा इस प्रकार के केसेज़ आयेंगे। इस क्लॉज़ के अन्दर जो परिभाषायें दी गई हैं, उनमें इल्लेजिटीमेट बच्चे की संरक्षिका उसकी माता को करार दिया गया है। अगर इस प्रकार की इल्लेजिटीमेट बच्चे की मां से गलती होगी तो उसके लिए एक माह की सजा का प्रोवीजन है, एक महीने की सज़ा का प्रोवीजन इस बिल में है। यह सज़ा बहुत सख्त सज़ा है, इस प्रकार की सज़ा का जो प्रावधान रखा है वह नहीं रखना चाहिये। इस प्रकार के कानून न बना कर लोगों को प्रेरित करना है कि लोग टीके लगवायें। लेकिन अगर सज़ा रही तो सारा कानून, सारी बातें सज़ा के आधार पर रहेंगी। मन्त्रीजी ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं जिसको न मानने पर सज़ा नहीं रखी गई हो, इसलिये यह जरूरी है कि सज़ा रखी जाय। मैं समझता हूं कि हम जो देश के अन्दर परीक्षण कर रहे हैं, हर बात के, तो यह कानून प्रत्येक व्यक्ति से सम्बन्ध रखने वाला है। इस कानून में परीक्षण के रूप में सज़ा न रखी जाय, तो इससे बड़ा परीक्षण सरकार नहीं करेगी।

बिना सज़ा के भी तो परीक्षण के लिये कानून रखें। आजकल इस प्रकार के परीक्षण होते हैं कि बिना आदमी के रखे टिकट बेचे जाते हैं, किताबें बेची जाती हैं; तो यदि बिना सज़ा रखे इस कानून को रखें और परीक्षण के रूप में इसे रखा जाय तो कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारी इस विधान सभा में संशोधन नहीं आते हों ऐसी बात नहीं है, संशोधन तो हर अधिवेशन में आते ही रहते हैं, संशोधन तो फिर लाया जा सकता है। तो सरकार यह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति से सम्बन्ध इस कानून का है तो बिना सज़ा के ही यह कानून रखे। आज, हो सकता है कि व्हिप इश्यू होता है इस कारण से लोग 'हां' कह गये, पर जितने माननीय सदस्य इस बिल पर बोले हैं उनके मत लिये जायं तो मालूम होगा कि इस कानून के अन्दर सज़ा का प्रावधान है, इसका अधिकांश सदस्यों ने विरोध किया है। अधिकांश सदस्यों की यह भावना रही है कि इसको जो कम्पलसरी किया गया है वह भी नहीं किया जाना चाहिये। पाश्चात्य देशों में, जहां से कि टीका प्रथा का प्रारम्भ हुआ था, वहां भी यह रखा है कि इसे कम्पल्सरी नहीं रखा जाय। हम भी परीक्षण के तौर पर हमारे देश में बिल जरूर बनायें, इसके साथ ही और भी बहुत सी बातें चेचक की रोक–थाम के लिये हो सकती हैं, उन चीजों की खोज हमें करनी चाहियें। चेचक के सम्बन्ध में रोक–थाम के लिये केवल टीका ही लगा लें और दूसरे देशों की देखा-देखी केवल कानून बना लें और इस बारे में और नई शोध या खोज न करें, यह तो ठीक नहीं। इसकी रोक-थाम के बारे में इतने बड़े बड़े डॉक्टर सरकार के पास हैं, पर किसी डॉक्टर ने सरकार के पास इस प्रकार का अनुसन्धान या सुझाव नहीं रखा, इस प्रकार की बीमारी की रोक-थाम के लिये। इस

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

सम्बन्ध में हमारे स्वास्थ्य मन्त्री कुछ नहीं करते, हजार-हजार और डेढ़-डेढ़ हजार रुपया माहवार की तनख्वाह के डॉक्टर रख रखें हैं, पर इस बारे में वे कुछ नहीं कर रहे हैं। जो छूत की बीमारियां चलती हैं उनकी रोक-थाम की जा सके, इस प्रकार की दवाई निकालने का हमारी राजस्थान सरकार ने कुछ भी अनुसंधान, प्रयास नहीं किया। दूसरे देशों ने इसके लिये टीके की प्रथा चालू कर दी उसको हम भी काम में लाने लगे।

अब भी समय है कि मन्त्री महोदय इस बिल पर और विचार करें।

श्री दयाकृष्ण (छाबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, (सभापति महोदय) दो दिन से इस बिल के सम्बन्ध में बहस हो रही है। आज इस सदन के द्वारा सरकार जन-साधारण के बच्चों के चेचक का टीका लगाने के लिए कानून पेश कर रही है। इस बात में दो मत नहीं हो सकते कि कानून बनना चाहिये। पर कानून बनाने से पहले इस बारे में विचार कर लेना चाहिये कि जो कानून हम बनाने जा रहे हैं वह जनता के हित के लिए है या अहित के लिए, इस बात पर विचार करना आवश्यक है।

चेचक का टीका लगाना आवश्यक है, क्योंकि चेचक छूत की बीमारी है और जिस समय आती है तो एक परिवार में नहीं आती, आस-पास के जितने परिवार होते हैं उनमें सब में आती है, इसलिए इस छूत की बीमारी को रोकने के लिए प्रयत्न करना चाहिये, इसमें दो राय नहीं होसकतीं, ऐसी मेरी मान्यता है। पर किसी चीज को रोकने के सम्बन्ध में एक कानून बनाते हैं तो इस बात को सोच लेना चाहिये कि जिस कानून को हम बना रहे हैं उसका साधारण जनता कहां तक पालन करेगी ?

मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि सन् १८८० से यह कानून बना हुआ है, पर आज तक कोई भी ऐसा केस नहीं है कि चेचक का टीका न लगाने के कारण किसी व्यक्ति को सज़ा दी गई हो या जुर्माना किया गया हो। जब हम देखते हैं और सरकार भी जब अपना इस प्रकार का मत रखती है कि एक बहुत बड़ी जागृति जनता में फैल चुकी है, जनता चेचक के टीके लगाने से डरती नहीं। एक समय था जब लोग चेचक का टीका लगाने से बचने के लिए एक-एक रुपया, दो-दो रुपया देकर अपना पिंड छुड़ाते थे, पर इसके विपरीत आज जनता कुछ देकर भी टीके लगवाना चाहती है, तो देखना चाहिये कि सज़ा से यह टीका लगाने की भावना जनता में जागृत नहीं हुई है। यदि सज़ा से जनता डरती है तो मौत की जो घटनायें हो जाती हैं वे नहीं होतीं। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि जनता सज़ा से डरती नहीं, बल्कि टीके की उपयोगिता को देखती है। आपके सामने जो यह बिल है उसमें यह रखा है, कुछ क्षेत्र सरकार नियुक्त करेगी और ऐसा मौसम तय करेगी जिसमें कि उनको उस क्षेत्र में एक बार होना है। मैंने कई बार इस बात पर भी विचार रखा था कि जनता बहुत गरीब है, हम जनता की आर्थिक दशा का ध्यान रखते हुए इस प्रकार का जुर्माना रखें तो ठीक होगा, जो कि जनता की आर्थिक दशा को देखते हुए उचित हो। इस बिल में जो दंड-व्यवस्था रखी गई है उसको देखें तो मालूम होगा कि एक बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है, उस गरीब जनता पर किया गया है जो

(श्री दयाकृष्ण)

अपना जीवन कितनी कठिनाई से बिताती है। इस कानून के अन्दर सुनवाई का जुरिस्डिक्शन कोर्ट का न रखकर पंचायतों के अधिकार के अन्दर इस कानून को कर दिया जाय। कई माननीय सदस्यों ने विचार रखे कि पंचायतों को ज्यादा अधिकार देने से पंचायतें उनका दुरुपयोग करती रही हैं। पर मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि पंचायतें कानून का दुरुपयोग करती हैं, वे उन बातों का लेकर करती हैं कि जहाँ व्यक्तिगत ईर्ष्या से द्वेष जाग्रत हो। पर जहाँ तक कि टीका लगाने का प्रश्न है कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हमारे यहां चेचक का टीका न लगे। गांव छोटे होते हैं, कहीं १०० घर हैं तो कहीं ५० घर की बस्ती है, यदि एक घर में चेचक हो तो सारे गांव में फैल सकती है, इसलिये कोई पंच यह नहीं चाहेगा कि टीका न लगाने के कारण किसी को सज़ा दिलवाये। जैसा कि सब सदस्य मानते हैं, गांव-गांव के व्यक्ति जाग चुके हैं कि इसकी सज़ा से प्रबन्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक अपनी भलाई और अच्छाई को समझता है और जानता है कि चेचक का टीका लगाना चाहिये। पर सभापति महोदय, मैं आपके ज़रिये सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि इस बीमारी की रोक-थाम के लिये चेचक का टीका लगवाने के सम्बन्ध में जनता की कई विचारधाराएं हैं। एक प्रकार की जनता ऐसे विचारों की मिलेगी जो टीका पद्धति पर विश्वास करती है और दूसरे इस प्रकार की भी जनता मिलेगी जो टीका पद्धति में विश्वास नहीं रखती तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर और प्राकृतिक पद्धति पर विश्वास रखती है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, वह गलत है। लोग अन्धकार में हैं कि गौ-मांस के अर्क का उपयोग इस टीके में किया जाता है। इसका एक दिन निराकरण हो जावेगा और पब्लिक एक दिन टीका लगाने के लिए विवश होगी। इसलिए मैं सभापति महोदय, आपके सामने इस बिल का जो यहां पर है विरोध करता हूँ और निवेदन करना चाहता हूं कि इसको पास करने से पहले पब्लिक का दृष्टिकोण जानना जरूरी है, जनता की भावना और आर्थिक अवस्था को जानना जरूरी है। यह मैं मानता हूं कि पब्लिक के स्वास्थ्य की रक्षा का फर्ज सरकार पर है और इसके लिए सरकार कानून बनाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसी कि मेरे पूर्व वक्ता ने कही कि हम यहां पर चेचक के टीकों की बात करते हैं, लेकिन जिन कारणों से यह चेचक पैदा होता है उनको हटाने की ओर ध्यान नहीं देते हैं। उन गांवों की ओर कौन ध्यान देता है? हम देखते हैं कि आजादी के बाद शहरों में चमक-दमक ज्यादा आ गई है, मगर वहां गांवों में वही रेवड़ियें और गंदी राहें हैं जो पहले थीं, जो चेचक का मुख्य कारण है; वही आज गांव में मौजूद है। हमारी सरकार को चाहिए तो यह था कि वह उसको सब से पहले मिटाती। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार को उन गांवों की गंदगी को दूर करने के लिए सड़कें बनानी चाहिएं और उन कारणों को हटाना चाहिये जिनसे यह बीमारी फैलती है, बजाय इतनी बड़ी बड़ी सज़ाएं रखने के। हो सकता है कि सरकार इस बिल को बहुमत के आधार पर पास कर दे लेकिन जब यह बिल जनता के सामने जावेगा तो जनता जरूर इसका विरोध करेगी।

मेरे एक पूर्व वक्ता ने कहा था कि सज़ा

Page No.44

(श्री दयाकृष्ण)

में हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। आप कई तरीकों से पब्लिक को विवश कर सकते हैं। जनता प्रत्येक मामले में आपकी तरफ आर्थिक सहायता के लिए देखती है। हमें चाहिये कि उसको आर्थिक सहायता देने से पहले इस बात के लिए (जनता को) विवश करें कि बच्चों के चेचक के टीके लगाए। गांव-गांव में इसके लिए जाग्रति फैल चुकी है। लोग अपने बच्चों के टीका लगाना चाहते हैं और हमें अन्य उपायों से उनको पाबन्द करना चाहिये और हम कर सकते हैं। मैं अन्त में सदन से और सदन के सभी माननीय सदस्यों से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करेंगे कि जो सजा का प्रावधान रखा गया है वह उचित नहीं हैं और यह अधिकार पंचायत को दे देना चाहिये।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग):—अध्यक्ष महोदय (सभापति महोदय), इससे पूर्व जब इस विधेयक का विरोध हुआ था, जहां तक मैं समझता हूं इसका कारण वास्तव में यह बतलाया गया था कि इसमें जो दंड का विधान रखा गया है, वह अत्यधिक है। यदि दंड की मात्रा जो यहां पर रखी गई है, कम कर दी जाती है तो यह सभी को समान रूप से स्वीकार हो सकता है। इस दलील में मैंने भी अपना मस्तिष्क लगाया और माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन भी किया कि सजा सजा के लिए नहीं है, बल्कि लोगों को शिक्षित करने और अपने कर्तव्य को पहिचानने के लिए होती है, इसलिए वह कम होते हुए भी सजा हो सकती है। मैंने यह निवेदन किया और उस निवेदन के अनुरूप मैंने स्वयं भी एक संशोधन भेजा था। मैं समझता हूं कि वह नियमानुसार नहीं होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने लगभग उसी आशय का यह संशोधन स्वयं प्रस्तुत कर दिया है। क्लॉज २० पर सदन में विचार करते समय कहा गया था कि अभी तक की जो भी १६ धारा हैं वे सब निर्दोष हैं और २० धारा में आकर सारे दोष आ गये। मैंने समझा कि अगर इस धारा में आवश्यक एवं उचित संशोधन कर दिए जाते हैं और दंड को कम कर दिया जाता है तो वह सारे सदन को समान रूप से स्वीकार होगी। लेकिन मैं आज देख रहा, हूं और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आज २० धारा का प्रश्न नहीं रहा, मगर इस बिल का मूल रूप से विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस विधेयक को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जावे। ऐसी प्रवृत्ति क्यों? माननीय सदस्यों में से कुछ ने और विशेषतः एक प्रमुख सदस्य ने महात्मा गांधी के नाम की ओर संकेत किया और उनके द्वारा टीके का विरोध किए जाने की दुहाई दी। मैं भी महात्मा गांधी का अनुयायी बहुत समय से रहता आया हूं और उनके प्रवचनों, उनके लेखों, उनकी शिक्षाओं आदि को पढ़ने के साथ साथ उन पर अमल करने की भी जहां तक बना है, चेष्टा करता रहा हूं। मैं यह कहूँगा कि वे (महात्मा गांधी) केवल चेचक के टीकों के ही नहीं, मैं समझता हूं कि इन्जेक्शन प्रणाली और कई चीजों के भी विशेषतः एलोपैथिक औषधि लेने के भी विरोधी रहे हैं। शायद उनको कुनेन भी स्वीकार नहीं थी। उनके भोजन सम्बन्धी, आहार सम्बन्धी, रहन-सहन सम्बन्धी व राज्य व्यवस्था सम्बन्धी कुछ अपने निजी विचार थे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा विचार उनका यह था कि

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

राज्य व्यवस्था में जहां तक हो सके उसमें पुलिस व सेना की कोई आवश्यकता न रक्खी जाये। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य यदि कानून में इस प्रकार का कोई संशोधन केन्द्रीय 'संसद' या धारा सभा में रखा जावे, तो उसको इस रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। महात्मा गांधी चाहते थे कि मनुष्य का विकास हो, समाज का विकास हो। इसलिए वे समय समय पर कहते कि मनुष्य का विकास हो और वे इसमें विश्वास भी रखते कि मनुष्य का विकास होगा। लेकिन जब तक मनुष्य उस अवस्था तक नहीं पहुंचता, तब तक बीच के लिए कोई भी दूसरा साधन बर्तना ही चाहिये। इससे उनके (महात्मा गांधी के) विचारों पर कोई प्रभाव पड़ता।

मैं मिसाल के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के बाद हमारे यहां पर सौभाग्य से कोई बड़ी लड़ाई की संभावना नहीं हुई, जिससे कि हम देखते कि सेना प्रयोग के संबंध में महात्मा गांधी के विचार क्या हैं। लेकिन एक समय आया, जब कि हमारे देश के अविभाज्य अंग काश्मीर पर पाकिस्तान की ओर से हमला हुआ। उस वक्त भारत सरकार की बागडोर महात्मा गांधी के अनन्य भक्त पंडित नेहरू के हाथ में आ चुकी थी।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): On a point of order, Sir, has it any thing to do with vaccination. वेक्सीनेशन से इसका क्या संबंध है?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी: वेक्सीनेशन के साथ काश्मीर के हमले की बात आ जाती है।

श्री सभापति: काश्मीर के हमले का इससे कोई संबंध नहीं है लेकिन आप वेक्सीनेशन की बात में दूसरी बातों के साथ कह रहे हैं और इसका सम्बन्ध नहीं होते हुए भी इसको लिया जा सकता है।

श्री मदनसिंह: कोई ऐसी..........

श्री सभापति: चेअर ने रूलिंग दे दी है। (श्री चतुर्वेदी को संबोधित करते हुए) अब आप कहें।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी: मैं त केवल मिसाल के रूप में कह रहा था। जिस समय यह मामला आया, उस समय महात्मा गांधी ने श्री नेहरू को यह सलाह दी कि काश्मीर के शासक ने भारत मे शामिल होना स्वीकार कर लिया है, इसलिये भारत का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि काश्मीर की रक्षा करे और फौरन उसकी रक्षा के लिए सेना भेजी जाये। जो महात्मा गांधी सेना न रखने के पक्ष में थे, वे ही इस बात की सलाह देते हैं कि काश्मीर की मदद के लिए फौरन सेना भेजी जाय और उसकी रक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। वेक्सीनेशन के बारे में महात्मा गांधी के विचार थे कि यह नहीं होना चाहिये। परन्तु इससे आप महात्मा गांधी के अनुयायियों को प्रभावित नहीं कर सकते। मैं यह कहूँगा कि यदि वैद्य, हकीम और डाक्टर भी अपने दिमाग से टीके के अतिरिक्त चेचक की कोई दवा निकालें तो मैं सबसे पहला आदमी हूंगा जो उसको स्वीकार करूंगा लेकिन जब तक दूसरी कोई व्यवस्था नहीं होती है तब तक यदि हमें अपने बच्चों के चेहरे-मोहरे ठीक रखने हैं तो इसके लिये कुछ न कुछ करना ही होगा। इसी तरह से कुछ माननीय सदस्यों की ओर से कहा गया कि अब जनता इतनी जाग्रत हो चुकी है, तो क्या आवश्यकता रह जाती है

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

कि हम ऐसा कानून बनायें कि लोग टीका जरूर लगवायें। मैं समझता हूँ कि यह हमको तर्क की दृष्टि से देखना चाहिये। यदि जनता जागृत है, जनता स्वयं अपने कर्तव्यों का पालन करता है, जनता स्वयं यह ठीक समझती है कि अपने बच्चों को स्वयं ही टीका लगवाये, तो इस कानून के प्रयोग की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब लोगों की भावना इतनी विकसित हो चुकी है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करने में तत्पर रह सकते हैं, तो ऐसे कानून बनें भी, तो उनकी क्या कीमत है? तब तो मैं कहता हूँ, कि इस बिल से डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि अब तक न जाने कितनी तरह के कानून बन चुके हैं, कतल के कानून हैं, चोरी के कानून हैं। यदि हम यह कहें कि जब हम सब भले आदमी हैं, तो फिर ये कानून क्यों बने हुए हैं? मैं माननीय सदस्यों को बतला दूँ कि वे कानून जो बने हैं वे हमारे जैसे भले आदमियों के लिए नहीं बने हैं, लेकिन हम ही में से और हमारे ही कुछ भाई ऐसे भी हैं जो कि गलत काम कर बैठते हैं, और तभी यह कानून उन पर लागू होते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : यह कानून हमारे जैसे भले आदमियों के लिए नहीं बने हैं, इसका क्या मकसद है?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जरा पहली बातों पर और गौर किया जाता तो यह समझ में आ जाता। माननीय सदस्य शायद जरा देर से आये हैं, इसलिए उनको प्रसंग नहीं मालूम है नहीं तो उनको सब कुछ समझ में आ जाता। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कानून कुछ ऐसे लोगों के लिये बने हैं जिनके लिए कि बनने चाहिये। दवाई जिसको रोग होगा उसी के लिए होगी। हमारी मातायें खुद समझती हैं, अतः उनके जो अभिभावक हैं, उनके जो शुभचिंतक हैं उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कानून उन लोगों के लिए है जो इतने अंधविश्वासी हैं जिनको इस बात का भय बना हुआ है कि हम अगर अपने बच्चों को टीके लगवायेंगे तो माता नाराज हो जायेगी या किसी प्रकार की व्याधि लग जायगी, अतः ऐसे ही अंधविश्वासी लोगों के लिए यह रखा गया है, मगर फिर भी वह इतना जरूर समझ लें कि यह कानून इस तरह का नहीं है जो कि समाज के लिए घातक सिद्ध हो, बल्कि आज के स्वतंत्र भारत में भी इस प्रकार की राज्य-व्यवस्था की, इस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है जो समाज को अग्रसर करें, समाज को विकसित करें, समाज को उन्नतिशील बनाये। परन्तु ऐसे कानूनों का भी विरोध इसलिए किया जाय कि उसकी आड़ में दण्ड का भय है, सजा ज्यादा है, उसको कम भी कर दिया जाये फिर भी मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सी ऐसी बात रह गई जिसके कारण इसको पास नहीं किया जाता है। सजा कम हो जाने के उपरान्त तो ऐसी बातें सामने नहीं आनी चाहिए थीं। उस दिन यह स्पष्ट कहा गया था कि १६ वीं धारा तक तो यह बिल बिल्कुल निर्दोष है, केवल २० वीं धारा में सजा की व्यवस्था विचारणीय है। मैं समझता हूँ कि कोई भी कानून ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी कैसा भी काम करे और उसी काम के लिए कोई सजा भी न हो। इसकी पूरी छूट भी हो, ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि यह कानून ऐसे लोगों के लिए है कि जो जान बूझकर टीके न लगवायें और उन लोगों को भी जिन्होंने कि टीके नहीं

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

लगवाये हों सुपरिन्टेन्डेन्ट, सुपरवाईज़र या मजिस्ट्रेट किसी के शिकायत करने पर बुलायेगा और उनको कहेगा कि टीके क्यों नहीं लगवाते। यदि वह कहेगा कि मैं किसी काम में लगा हुआ था, या अपनी भेड़ें लेकर गंगाजी की तरफ चला गया था, तो इतना कहने पर उसको मौका दिया जायगा कि वह अब टीका लगवा ले, उसके बाद भी यदि वह मजिस्ट्रेट के कहने पर भी टीका नहीं लगवायेगा तो पहली व्यवस्था इस कानून में यह बतलाई कि उस पर दस रुपया जुर्माना होगा। इसके बावजूद फिर भी वह नहीं लगवाता है तो उसको इस क्लॉज़ के दूसरे खंड के मुताबिक सजा दी जायगी। मैं समझता हूँ, कि जब इतनी व्यवस्था इस कानून के अन्दर कर दी गई हैं, तो फिर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब यह चीज दूसरी है कि इस काम को, जो फाइन आदि करने का है, वह कोई मजिस्ट्रेट करें अथवा ग्राम पंचायतें करें; मैं इस विषय में ज्यादा विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के कानून का इस प्रकार से विरोध नहीं करना चाहिए। उस दिन भी मैंने कहा था कि कुछ कानून अंग्रेजों ने बनाये। परन्तु क्या इसीलिये हम उनको न मानें? मैं कोई अंग्रेजों का नहीं, अंग्रेजी हुकूमत का दुश्मन अवश्य था, इसीलिये अंग्रेजों की बहुत सी बातों का विरोधी था। परन्तु हमारे अन्दर कुछ बुराइयां ऐसी आ गई थीं कि जिन्हें दूर करना आवश्यक था। मान लो बाल-विवाह को ही हम लें, अंग्रेजों के जमाने में इसके लिए कानून बनाये गये और अब उसका विरोध केवल इसलिये करें कि वह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था तो मैं समझता हूँ, यह अच्छा नहीं है। हां, कोई कानून बना हो और अब समय के अनुसार उसके अन्दर कोई संशोधन करने हों, तो वह हम कर सकते हैं। मगर हम उसका विरोध करें, केवल इसलिये कि यह अंग्रेजों के जमाने में बना था, तो यह कोई दलील नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में तो नहरें भी निकलीं थीं, रेलें भी निकलीं थीं। अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हुये थे, तो क्या हम उनका भी विरोध करें? मैं यह भी उनको बतलाऊं कि प्राकृतिक चिकित्सा में मेरा बहुत विश्वास है। लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जब तक उनका कोई दूसरा सब्स्टीट्यूट इलाज न हो तब तक उसको जरूर जैसे पहले चल रही है वैसे ही चलने देना चाहिए। अभी आप कहेंगे कि टीका लगवाने के उपरान्त भी बच्चे मर जाते हैं। यह बात ठीक हो सकती है लेकिन फिर भी आपको यह मानना होगा कि कैसी भी राम बाण औषधि हो वह भी कभी कभी काम नहीं कर पाती है। मलेरिया के लिए कुनैन ली जाती है, और यह भी सुनते हैं, कि कुनैन लेने के बाद भी मलेरिया बुखार हो, जाता है, लेकिन फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि मलेरिया के लिए कुनैन व्यर्थ ही सिद्ध हुई है। इस तरह से मैं समझता हूं कि चेचक की बीमारी में टीका लगवाने से सब के सब इस बीमारी से बच ही नहीं जाते है लेकिन फिर भी पर्सेन्टेज में जरूर फर्क पड़ा है। यदि इस प्रकार के आंकड़े हम देखें कि पहले जब टीके का रिवाज़ नहीं था तो कितने बच्चे चेचक से मरते थे, कितने काने होते थे और इन टीकों के लगवाने के बाद में मरने वालों की संख्या में कितनी कमी आती गई है, तो मैं समझता हूं कि इससे हमको विश्वास हो जायेगा कि इससे

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

लोगों को काफी लाभ हुआ है और मरने वालों की संख्या में काफी कमी आई है। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बीसवीं धारा का विरोध न करें क्योंकि पहले ही सजा में कमी कर दी गई है। इस बात के कर देने पर भी उसका मूल रूप से फिर से विरोध कर रहे है तो मैं यही कहूंगा कि यह केवल विरोध के लिए ही विरोध है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि और लोगों ने भी कहा है मैं भी उसी को दोहराता हूं कि दण्ड तो कुछ न कुछ जरूर रखा जाना चाहिए जिससे कि लोगों को कुछ भय हो और जो काम नहीं करना चाहिए उसको वह न करें। इससे उन लोगों को भय नहीं होना चाहिये जिनको हम जागृत कहते है, उन्नतशील कहते हैं, प्रगतिशील मानते हैं बल्कि जो अभी तक उसी तरह के अंधविश्वास में फंसे हुए हैं उनको ही यह भय हो सकता है। समय के साथ साथ, जैसे जैसे लोगों को लाभ मिलता है, वह सब समझने लग जाते हैं। जैसा कि अभी लोगों ने कहा कि करीब बीस—तीस साल पहले लोग टीके नहीं लगवाते थे और कोई आ जाता था तो इधर उधर भाग जाते थे। तो आठ—दस साल पहले कुछ और ही बात थी, और मैं समझता हूं कि साल, दो साल में एक भी ऐसा माता और पिता नहीं होगा, जो अपने बच्चों के टीका न लगवाये और जब सभी लोग ऐसे हो जायेंगे तो इस कानून का प्रयोग भी नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय की ओर से जो संशोधित रूप में बिल रखा गया है उसको आप अवश्य ही स्वीकार करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कुछ सुझाव इस कानून के सम्बन्ध में रखे थे जिसमें मैंने यह चाहा था कि कानून में इस प्रकार की व्यवस्था हो जिससे आम जनता को यह महसूस हो कि अगर हम इस प्रकार के कानून का पालन नहीं करेंगे तो लाभ हमें नहीं होगा। जहां तक माता के टीके (लगाने) का सवाल है ऐसा कोई भी व्यक्ति सदन में नहीं होगा, और हो सकता है, जो टीके को आवश्यक न मानता हो, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि सभी इस टीके के लगाने के पक्षपाती होंगे क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई उपचार हमारे सामने नहीं जिससे माता का प्रकोप रुक सके। दूसरा उपाय हमें इस बारे में ढूंढना चाहिये, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इसको मान्य नहीं करेगा। लेकिन सब से बड़ी बात आम लोगों के दिमाग में अब भी बैठी हुई है, वह जो यह कि कानून पास भी हो जाये लेकिन आज हर व्यक्ति के दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि २००) रुपया जुर्माना और एक महीने की सजा जो टीका नहीं लगायगा उसके लिये रखना; इससे जनता हैरान हो जायगी और हर प्रकार की हैरानी के बाद यह सजा उसको मिलेगी।

बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे, वे भली प्रकार फले-फूलें, इसको कौन नहीं चाहता? लेकिन इसके साथ-साथ हम जो आज व्यवस्था इस कानून के द्वारा करने जा रहे हैं वह कहां तक ठीक है, यह सोचना होगा। आज हमारे राजस्थान के गांवों के अन्दर जिस प्रकार के अशिक्षित लोग हैं इस कानून का सम्बन्ध राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता से किस प्रकार आयगा, इसके अन्दर क्या-क्या दिक्कतें होंगी, इस कानून का कितना दुरुपयोग

(श्री मुरलीधर व्यास)

होगा इस ओर हमें जरूर ध्यान देना होगा। जैसा कि अन्य साथियों ने रखा, मैं भी यह महसूस करता हूं कि इस प्रकार का कानून बनने के बाद भी इसका दुरुपयोग होगा, भ्रष्टाचार होगा इसको नोट कर लिया जाय और कानून के लागू होने के बाद देखिये इस बिल को लेकर इसमें वर्णित बातों को लेकर, कितने भ्रष्टाचार के मामले आये, लोगों को कितनी दिक्कतें उठानी पड़ी ? कितने ही अशिक्षित लोग, विधवा मातायें, जिनके बच्चे हैं और जिनकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं, ऐसी विधवा माताओं की संख्या राजस्थान में कम नहीं है, उनको किस प्रकार इसकी जानकारी होगी, उनको भी इस बिल की तहत जेल के कठघरे में खड़े होने की नौबत आ सकती है। हमें चाहिये कि कानून ऐसा बने जिसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश न हो, जनता को तकलीफों का सामना न करना पड़े, ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिये। हम लोगों को इस प्रकार के टीके लगवाने के लिये क्यों बाध्य कर रहे हैं, केवल इसलिये कि उनके बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे, इस प्रकार के टीके लगाने से बीमारी फैलने न पाये तो क्या हमारे पास दूसरे उपाय इसके लिये नहीं हैं ? मैंने इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर कुछ सुझाव रखे थे, उसमें मेरा यह सुझाव था कि शिक्षकों को इस बात की हिदायत कर दी जाय सारे प्रान्त में, कि बिना टीके लगे हुए बालक को स्कूल में भरती नहीं किया जायगा। ग्राम पंचायतों को इस प्रकार की हिदायत दी जाय कि वे इस सम्बन्ध में रिपोर्ट लिख कर भेजें कि किन किनने टीका नहीं लगाया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद पंचों को हिदायत कर दी जाय कि वे उन लोगों को अपनी तरफ से टीका लगाने के लिये अनुरोध करें। फिर भी टीका न लगायें तो पंचों को उसके लिये अधिकार दे दें, वे चाहे जिस प्रकार की सजा उसके लिये तजवीज करें। ऐसा न कर हम अगर इस प्रकार का कानून बना देते हैं तो जनता को राहत मिलने वाली नहीं।

सुझाव के तौर पर मैं अर्ज करूं, राजस्थान की जनता में इस प्रकार का प्रचार किया जाय; जो लड़का या लड़की टीका नहीं लगायेंगे उनकी शादी नहीं हो सकेगी। यह कल्पना कर ली जाय कि इस प्रकार की बात अगर होगी तो जनता में इस प्रकार की बात बहुत जल्दी फैलेगी कि इस प्रकार का कानून बन गया है। मैं समझता हूँ जहां तक शादी का सम्बन्ध है हर आदमी सोचेगा। अगर इस प्रकार की घोषणा हो जाय कि लड़के या लड़की के टीका नहीं होगा तो शादी नहीं हो सकेगी। इससे असर यह होगा कि हर आदमी अपने बच्चों के टीका लगाने का आदी हो जायगा। इस प्रकार की विचार-धाराओं के आदान-प्रादान से आम लोगों को राहत मिलेगी।

पंचायत के बारे में, शिक्षा के बारे में, तकावी के बारे में, लेवी के बारे में हमारा सम्बन्ध नाना प्रकार से सरकार के साथ रहता है। इन चीजों के अन्दर अगर हम बन्धन लगा दें कि टीका लगाना, तो हर आदमी के लिये आवश्यक हो जायगा। दूसरे जरिये भी इस्तेमाल किये जा सकते हैं जिससे इस टीके का लाभ और हानि जनता को मालूम हो जाय और कानून का दुरुपयोग न हो सके।

अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी यह कहा करते थे कि हमारे जेलखाने चिकित्सालय होंगे। इसका मतलब यह नहीं था कि हर

Page No.50

(श्री मुरलीधर व्यास)

आदमी जेल जाना पसन्द करेगा और उसको वहां चिकित्सा की सुविधा मिल जायगी, लापरवाही से लोग जेलखाने के शिकार बनते थे। ऐसा आदमी कोई नहीं होगा जो जान बूझकर, मालूम होते हुए, किसी चीज का शिकार बने। कानून का दुरुपयोग होने के कारण भ्रष्टाचार को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, यह आम लोगों की राय है। इसलिये इस पर सोचा जायगा और कोई रास्ता इस प्रकार निकाला जायगा जिससे न जुर्माना लागू हो और न किसी प्रकार की सजा का प्रावधान ही करना पड़े। यह दृष्टिकोण माननीय मन्त्री महोदय के समक्ष पहले भी रक्खा गया है और मेरा यह पूरा विश्वास है कि इसका लाभ न मिल कर आगे आने वाले समय में हमें भ्रष्टाचार की ओर ले जावेगा, इसके भी प्रमाण आगे हमें मिलेंगे।

पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इससे आम लोगों को राहत न मिल कर उनको नुकसान ही होगा। इसलिये यह दूसरी बात रक्खी है और मैं समझता हूँ कि बहुत से हमारे साथियों ने, चाहे पक्ष से या विपक्ष से, इस पर अपनी अपनी रायें रक्खी हैं। इसके साथ ही एक साथी ने चाहे किसी भी भावना से कहा हो पर इस ओर इशारा जरूर किया है कि इससे जनता को कितनी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। आप जुर्माना जरूर दो सौ रुपयों का ही करेंगे, पर यह जुर्माना तो आप न भी करें तब भी ऐसे ही हो जावेगा चक्कर काटते काटते उसे। न जाने कितने चक्कर उसे काटने होंगे इस कानून के दुरुपयोग होने पर। आप यह देखें कि ऐसे छोटे छोटे कानूनों का कितना दुरुपयोग हुआ है? आप इसका पता लगावें। इसका भी दुरुपयोग होगा और दुरुपयोग करने वाले ही इसका लाभ उठावेंगे क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं यह होगा कि टीका लगाने वाला अधिकारी रिपोर्ट करेगा कि यह आदमी टीका नहीं लगाता और उसके इस कथन के आधार पर ही आगे कागज चलेगा। प्रत्यक्ष जाकर भी कोई एन्क्वायरी नहीं करेगा कि क्या बात है? वह तो सिर्फ उसके कहने पर कागज में 'हां' कर देगा। मैं मानता हूँ कि वह गलत नहीं हो सकता, पर एक साधारण गांव में टीका लगाने वाला आकर जो बात जिस प्रकार कहेगा, उसी के अनुसार आगे की कार्यवाही होगी, कागज चलेंगे और बीच के जो रास्ते हैं ये सारे रास्ते अपनाये नहीं जावेंगे, कागजों में हां रहेंगे। भावना के सम्बन्ध में मैं नहीं कहूंगा। इसलिये कहना है कि इस पर गौर से सोचें और जैसा कि सम्मिलित लोगों की राय है, आप उसे स्वीकार करें। हो सकता है कि एक महीने की सजा और २००) का जुर्माना ठीक हो, पर इसमें परिवर्तन होना चाहिये, दूसरा रास्ता निकाला जा सके तो वह रास्ता निकाला जाना चाहिये ताकि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन न मिले। मैंने यह किसी जगह किसी प्रोविन्स में अपनी जिन्दगी में कहीं देखा नहीं कि कोई व्यक्ति टीका नहीं लगाये इसलिए, उसे सजा हुई। सब प्रान्तों भी अलग अलग कानून होंगे, पर इस प्रकार का कानून नहीं होगा जिसमें इस प्रकार से दण्डित करने का प्रावधान रक्खा हो। आपने अगर देखा हो तो बताएं। मैंने तो कम से कम वर्धा के अन्दर, मध्यप्रदेश में और दूसरे हल्कों में भी कई मौकों पर यह देखा कि बिल जरूर है पर इस तरह से टीका, न लगाने से दण्डित किया गया हो, ऐसा नहीं देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर माननीय सम्बन्धित मन्त्री महोदय सोचेंगे और इस पर सब की राय से कुछ करेंगे।

श्री सभापति (बरकतुल्लाह खां) : श्री दांता ठाकुर साहब ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अभी कहा गया कि पहले इस बिल के क्लॉज २० पर ही विरोध था पर आज सारे बिल का विरोध कर रहे हैं। इसका कारण माननीय सभापति महोदय यह है कि इस बिल का यह क्लॉज़ ही सारी बुराई की जड़ है और इसका विरोध करना सारे बिल का विरोध करना है। अभी माननीय मन्त्री महोदय ने फरमाया कि जब बिल बनाते हैं तो उसको नहीं मानने वाले के लिये दण्ड जरूर होना चाहिए। अब जब दण्ड रखना जरूरी समझते हैं तो फिर हमें बिल का विरोध करना पड़ता है। इसलिये इस बिल का विरोध कर रहे हैं और इस बिल के क्लॉज २० का ज्यादा विरोध कर रहे हैं, पर अब शायद जल्दी से जल्दी इसका भी हल हो जावेगा क्योंकि मुझे अब मालूम पड़ा कि इस हाउस में ऐसे सदस्य भी हैं जिनके जरिये अगर कुछ कहलाया जाय तो हमारे मन्त्री महोदय को तसल्ली हो जाती है और वे उसे मान लिया करते हैं। इसलिये मैं उन माननीय सदस्य से फिर निवेदन करूंगा कि एक दिन के इस विरोध में अगर इतनी छूट हो गई कि एक हजार से २००) तक का जुर्माना और एक महीने की सजा ६ महीने के बजाय, तो शायद आज जो विरोध हो तो इसमें और भी कमी हो सकती है। इसलिये मैं उन माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आप आज उन मन्त्री महोदय के पास फिर बैठिये आधा घण्टा, बीस मिनिट और उन पर प्रभाव डालिये और इस क्लॉज को ही निकलवा दीजिये और उनके जरिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि अगर वे एक हजार से दो सौ और ६ महीने से १ महीने तक आ सकते हैं, तो उनके कहने से और भी कम हो सकता है।

दूसरी मेरी यह अर्ज है कि जो टीका न लगावे उसके लिये तो यह सजा है, पर टीका लगा दे और फिर भी हमारे बच्चे मर जावें तो उस टीका देने वाले को फिर इसकी क्या सजा दी जाय ? टीके पर टीके लगाये जा रहे हैं और भी बच्चों पर बच्चे मरते जा रहे हैं, तो फिर उन पर भी दण्ड होना चाहिये। टीका न लगाने वालों पर खींच खींच कर इतने कानून बना रहे हो तो टीका लगाने पर भी अगर बच्चे मर जावें तो उन पर भी यह कानून होना चाहिये, उनको भी थोड़ा मालूम पड़े।

इसके अलावा इसमें दण्ड रुपयों में ही हो, यह कोई जरूरी नहीं है। रुपयों में ही दण्ड हो, यह जरूरी है क्या ? दूसरी और तरकीब बताई जावे, दण्ड का दण्ड और काम का काम। एक भारी मिट्टी को माथे पर रख कर भगावे, यह भी सजा हो सकती है। दस रुपयों की ही सजा हो तो इससे तो साफ जाहिर है कि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया जायगा। इससे अन्यथा क्या मतलब हो सकता है ? यह कैसे मालूम आपको कि एक करोड़ पति इसको दण्ड मान लेगा ? इसलिये यह रुपया ही दिया जावे, यह उचित नहीं है।

एक बात और मैं निवेदन करता हूं। जो टीका नहीं लगावे उसे एक घन्टे डिटेन्शन की सजा दी जावे और उस एक घण्टे में बच्चे के टीका लगा दिया जावे। अगर टीका लगाना कम्पलसरी ही है तो जो बच्चे को टीका नहीं लगाना चाहते हैं

Page No.52

(श्री मदनसिंह)

उनको एक घण्टे के लिए डिटेन्शन होने का आॅर्डर दे दिया जावे, बन्द कर दिया जावे; जैसे हम लोगों को कभी कभी आप कर देते हैं, और जबर्दस्ती टीका लगा दिया जावे। अगर यह भी सुझाव आप नहीं मानेंगे और जुर्माने के रूप में रुपया ही देने पर जोर देते हैं तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि आपको भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देना है। किसी को लाकर गड़बड़ाहट करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार से बचने का भी इससे सुन्दर तरीका और नहीं हो सकता कि एक घण्टे का डिटेन्शन हो और इस बीच में सबको बिठा-बिठा कर टीका लगा दिया जावे क्योंकि कम्पल्सरी का मतलब होता है जबरन। अब डिटेन्शन आप चाहें तो पुलिस या मजिस्ट्रेट की तहत में या किसी को और को पॉवर देकर उसकी तहत में रख सकते हैं। इसमें कम्पल्सरी भी सबको टीका लगाना हो जावेगा और एक घण्टे डिटेन्शन में रखना जो है वह एक तरह की सजा भी हो जावेगी। पर पैसे का जुर्माना रखना, उसके लिए तो मैं साफ कहता हूँ, फिर चाहे आप बेवकूफ समझें या कुछ भी समझें, वह तो भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देना और उसको पनपाना और गड़गड़ करना है। इसलिये पैसे का दण्ड हटा दिया जाना चाहिये।

महात्मा गांधीजी की मिसाल हमने दी। यह भी आपको बुरा लगा; जैसे गांधीजी पर अधिकार सत्तारूढ़ दल का ही हो और अगर आपको बुरा ही लगता है तो हम सदन में नाम नहीं लेंगे आइन्दा से। पर गांधीजी जो कुछ भी आदेश दे गये हैं वह कुछ माने रखता है। वे तो यह भी आदेश दे गये हैं कि अहिंसा से ही सब जगह काम चल सकता है। यह हमारी कमजोरी ही है कि हम काश्मीर में भी हथियारों का प्रयोग करते हैं। वहां भी अहिंसा से काम चल सकता है। पर आज हम उनका आदेश नहीं मानते तो इससे अहिंसा के बारे में उन्होंने जो कहा वह गलत है? किसी कारणवश आप उनकी अहिंसा की नीति पर नहीं चल सकते, किसी आपकी कमजोरी से तो न चलें, पर इस टीका के लिए जो गांधीजी कह गये हैं कम से कम उनकी इस बात को मानना चाहिये आपको। आप कहते हैं कि आप उनके पास रह चुके हैं, इतने वर्ष रह चुके हैं तो आपका कहना मान लेना चाहिये। तो वैसे तो मक्खियां भी उनके पास बरसों तक रह गई हैं। क्या उनका कहना हम मान लें? जो लिखित रूप में है उसको कम से कम आप मानें, हम तो यही कहेंगे। अगर आप गांधीजी का आदर्श नहीं मानते तो राम का आदर्श अपने सामने रखलो। उनके राज्य में टीका नहीं लगता था तो क्या राम के समय में बच्चे जल्दी मर जाते थे? टीका कृष्ण के टाइम में नहीं लगता था तो क्या कृष्ण के टाइम में बच्चे जल्दी मर जाते थे? चलिये हम तो गांधीजी की मिसाल ही नहीं देंगे। हम तो राम और कृष्ण की मिसाल देंगे। तो क्या उनके समय में बच्चे हेल्दी नहीं रहते थे बिना टीका लगाये? गांधीजी ने जो बातें कहीं उनको आजमा कर और उन पर काफी सोच-विचार कर कही हैं। आप काश्मीर के बारे में ही उनकी बात को क्या देखते हैं, उनकी बातें तो आज दुनियां मानती है। आज दुनियां मानती है कि उनका रास्ता अच्छा था और आज हम केवल सिगरेट पीते पीते सोचते हैं, कानून क्या होना चाहिये और कानून बना देते हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं। आप सिगरेट पीते

(श्री मदनसिंह)

पंते दो मिनिट में ही सोचकर इतनी बड़ी व्यवस्था पर निर्णय दे देते हैं, उस बात पर जिस बात को कहने में महात्माजी ने वर्षों लगाये उसके अध्ययन करने में और उस पर परीक्षण करने में। तो हमारी यह सोचने की वृत्ति आइन्दा काम नहीं देगी।

तो इस वास्ते एक घण्टे के डिटेन्शन की बात ठीक रहेगी उस टाइम में वे जब तक वे रोवेंगे-करेंगे तब तक तो को टीके लग जावेंगे। तो इसमें यह रख दिया जावेगा तो हम इस बिल का विरोध ही नहीं करेंगे। पर पैसे का उल्लेख करना, इस बारे में मेरी राय साफ है कि इससे भ्रष्टाचार को आप जान-बूझ कर पनपाना चाहते हैं। इसलिए सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है और अपील है कि इस पैसे की चीज को हटा कर अगर और दण्ड रख दिया जावे, या डिटेन्शन रख दिया जावे तो हम विरोध नहीं करेंगे। पैसा हट जाना चाहिये, अन्यथा यह कानून से वैसा ही बन जाता है जैसे फौज में आदमी बन जाता है। वह कोई इससे नई चीज पैदा नहीं कर रहे हैं। आज से बहुत पुराने जमाने में जंगलियों को दण्ड देकर सताते थे तो आज भी उसी तरह से यह पैसे का दण्ड देकर गरीब जनता को सताया जावेगा। तो ऐसी स्थिति में तो यह डिटेन्शन का सुझाव काफी ठीक है। आप देखिये, कैसे कानून का पालन होता है? आज जुर्माने से लोग नहीं डरते, एक महीना, दो महीना या घण्टे दो घण्टे आप किसी को कैद में बन्द कर दीजिये, तो यह एक सजा की सजा हो जावेगी और आपका काम का काम हो जावेगा। तो इसमें एक दिन का डिटेन्शन का काफी होगा। इससे जनता में उथल-पुथल मच जावेगी। जनता यह सजा बर्दाश्त नहीं करती क्योंकि या तो जनता के दिमाग पर एक दम आजादी आ गई है, वह इस सजा से डरेगी।

दूसरी बात आपने यह कही कि आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना जिसमें सजा नहीं रक्खी गई हो और इस कानून को बने काफी अर्सा भी हुआ बताया और यह भी बताया कि इस अर्से में किसी को कोई सजा नहीं मिली। तो इसका तो स्पष्ट अर्थ है कि इस टीके की बात को जनता मानती है। आप कहते हैं कि आपने सजा का पूरा पूरा उपयोग नहीं किया, पर मैं तो यही मानूंगा कि इस कानून का पूरा-पूरा पालन हुआ है। इसलिये जब जनता ने इसका पहले ही पूरा पालन किया है और एक को भी सजा नहीं हुई पहले, तो इसके लिए कम से कम जनता को शाबाशी देनी चाहिये और फिर इस सजा को खतम कर देना चाहिये कि किसी को इसके लिए पैसे का जुर्माना हो। एक घण्टे का डिटेन्शन प्रैक्टिकल है। आप इसको एक साल के लिए देखें कि इस साल में वे ज्यादा से ज्यादा टीका लगाते हैं या नहीं, तो यह का काम भी आप करेंगे। फिर भी वाकई ऐसी चीज का पालन न हो, तो एक हजार नहीं चार हजार का जुर्माना करने की बात कहें, ताकि आइन्दा आने वाले जुर्माने के डर से भी इसका पालन करें। यह भी एक मोटा भय हो सकता है। पर इस विधान सभा से तो यह नहीं जाना चाहिये कि जिसमे पैसे का दण्ड हो। मुझे इतना ही निवेदन करना है और उन सदस्य महोदय से भी निवेदन करना है जिनकी बात मिनिस्टर महोदय काफी मानते हैं। वे हमारी तरफ से भी हाथ जोड़कर निवेदन करें मिनिस्टर साहब से कि कम से कम रुपयों का दण्ड न हो।

(श्री मदनसिंह)

यह भी कहा जाता है कि माता-पिता को दण्ड देना चाहिये कि वे बच्चे का हित नहीं सोचते और उसे टीका लगाने से बचाते है। इसके लिए मैं कहता हूं कि यह बात नहीं है। माता-पिता की तो बच्चे पर स्वाभाविक ममता है। कोई नहीं चाहता कि बच्चे का नुकसान हो। इसलिए मैं यह कहता हूं कि कानून में ऐसी चीज होनी चाहिये जिससे कि वे सजा के डर से काम करें। मैं कहता हूँ कि लोग बच्चों के झूले (बाल) उतारते हैं। बहुत दूर-दूर से चलकर; कलकत्ता, बम्बई तक से चलकर लोग आते हैं तो क्या वे बच्चे का झूला उतारने के लिए किसी कानून के डर से आते हैं? वे आते है बच्चे के प्रति ममता होने से, उसका भला करने की बात समझकर। तो यह तो उनकी आदत पड़ जाती है, बच्चे के हित की बात करने की; जैसे रोटी खाना जरूरी है उसी तरह से जब वे बच्चे के हित में टीके को समझेंगे तो रोटी खाने को जैसे जरूरी मानते हैं वैसे ही बच्चे को लाकर टीका लगाना भी जरूरी समझने लगेंगे। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि सजा उठकर केवल डिटेन्शन रह जाय जिससे अपना काम हो जाय और सरकार की नीयत भी पूरी हो जाय और जनता को और हमको भी अच्छा लगे और हम भी यह देखें कि सत्तारूढ़ दल गवर्नमेन्ट पार्टी है इसलिये उनका विरोध नहीं करें, अन्यथा आप ऐसी फालतू चीजें करेंगे तो विरोध भी करना पड़ेगा। आप यदि अच्छी से अच्छी चीजें लावें तो मदद दे सकते हैं। आप कहते हैं कि औचित्य का प्रश्न है, तो आपका वकील अच्छा हो तो पैसे खर्च करके जैसा चाहे वैसा करा सकते है। मैं मंत्रीजी और सदस्यों से

(उपाध्यक्ष, श्री निरञ्जननाथ आचार्य पदासीन)

२.२१ म. प.

निवेदन करूंगा कि जो गांधीजी के पास रहे हुए हैं, हिन्दुस्तान की व्यवस्था को जानते हैं वे सोच समझ कर कोई चीज रखें तो वह पास हो सकती है, अन्यथा ऐसा मालूम होता है कि जनता को पागल समझ कर कानून के जरिये यह चीज बना रहे हैं।

श्री लादू (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह टीका लगाने का बिल पेश किया गया है उसका जो साथी विरोध कर रहे हैं उनकी तरफ जब निगाह करते हैं तो लोग बंध जाते हैं। सब सदस्यों को अधिकार है कि सोच-विचार कर बिल पास करवाया जाय। यदि ऐसा नहीं किया जायगा तो हमारे देश के लिये कई कानून घातक बन जायेंगे और उनसे देश के नागरिकों को कई प्रकार की मुसीबतें उठानी पड़ेंगी। इसलिये इस बिल में जो जुर्माना और सजा का प्रोविजन रखा है उसका विरोध करके मैं यह कहना चाहता हूं कि गांवों में काश्तकार लोग रहते हैं और वे इन कानूनों से वाकिफ नहीं हैं। अभी महान् नेता ने कहा था कि यह कानून हमारे लिये नहीं है, बल्कि उनके लिए है जो इसको नहीं जानते हैं। मैं मानता हूं कि कानून उनके लिए बनाये जाते हैं जो समझते नहीं हैं, और जो गरीब हैं, किसान हैं और अपना पेट मुश्किल से पालते हैं; उनके लिए कानून बनाये जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कानून देश की भलाई के लिए बनाये जाते हैं, तो इससे कौन-सी भलाई होती है; जो आज दो रोज से बहस हो रही है? यदि यह सरकार की भलाई के लिये बनाये जाते हैं तो आप बनाइये, आपका बहुमत है, हमारे विरोध की आवश्यकता क्या है? हमारा देश जो स्वतन्त्र

Page No.55

(श्री लादू)

भारत कहलाता है, उसमें सबको अधिकार है कि स्वतन्त्रता से दिन बितायें। आपने चेचक का टीका न लगाने वालों के लिये २०० रु० का जुर्माना और १ महीने की कड़ी कैद का कानून बनाना तय किया है। तो मैं विरोध करूँगा कि यह बहुत ही हानिकारक है उन लोगों के लिये जो गांवों में रह कर जीवन बिताते हैं। वे लोग २०० रु० तीन साल में भी नहीं कमाते हैं, ३ साल के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उनका भली प्रकार से पालन-पोषण भी वे नहीं कर सकते हैं। अगर वे किसी कारण से टीका नहीं लगा सके तो उन पर केस चलेगा और २०० रु० का जुर्माना होगा। वे ३ साल में भी जुर्माना अदा नहीं कर सकेंगे, तो क्या ऐसा कानून स्वतन्त्र भारत के लिए शोभायमान है। मैं अर्ज करूंगा कि यदि ऐसा कानून बनता है तो आप उनके लिए बनाइये जो माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं, स्कूल नहीं भेज सकते हैं, उन पर १००० रु. तक का जुर्माना रखिए ताकि बच्चे स्कूल जा सकें और शिक्षा पा सकें और आनेवाली बीमारियों की रोक-थाम कर सकें और टीके भी लगा सकें। यदि उनमें शिक्षा होगी तो सब कुछ कर सकेंगे। देश की उन्नति करनी है तो उस पर गौर फरमायेंगे तो ज्यादा भला होगा। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये। जितना ध्यान चेचक पर दिया जाता है उससे बढ़कर बच्चों की पढ़ाई की ओर ध्यान दिया जावे और कानून के द्वारा जुर्माने की सजा रखी जावे तो ज्यादा अच्छा होगा। चेचक के इस बिल का विरोध करता हुआ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री किशनसिंह (लक्ष्मणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, टीका लगाने के बारे में बहस चल रही है, इस पर कई प्रकार के सुझाव आये। कई सदस्यों ने कहा कि टीके नहीं लगाने चाहिये लेकिन हाउस की राय में टीका लगाना चाहिये, यह बात तो सब लोग मानते हैं। अब रहा सवाल यह कि टीका नहीं लगाने पर दंड होना चाहिये या दंड नहीं होना चाहिये, यह बात चल रही है। दंड होने से पब्लिक को नुकसान होगा, यह दलील दी जा रही है कि इसमें परिवर्तन करके यह किया जाय कि विवाह शादी के समय भी ऐसी रोक लगा दी जाय कि शादियें तभी हों जब कि टीका लगा हुआ हो। इसका क्या प्रमाण मिलेगा कि टीका लगाया हुआ है या नहीं और इस लड़के और इस लड़की के साथ शादी होनी चाहिये; इसका क्या प्रमाण है, यह बात कही गई।

दूसरी बात बताई गई कि माता का भार किस पर कितना रखा जाये? तो माता का भार किस आदमी पर कितना रखा जाय, इसका प्रमाण क्या? मुझ जैसे कमजोर आदमी पर २ मण का भार रखा जाय और वहीं प्राण निकल जांय तो? कोई प्रमाण तो होना चाहिये कि किस आदमी पर कितना भार होना चाहिये और दूसरे पर इतना भार होना चाहिये और लंगड़ा-लूला हो तो उतना होना चाहिये। प्रमाण क्या है? इसी तरह से पुरानी बातें बताई गई कि पहले ऐसा होता था। पहले यह भी होता था कि हाथ काट डालते, तावड़े (धूप) में खड़ा कर देते और नाना प्रकार का दंड जागीरदार मर्जी आवे जैसा दे देते, कभी कोई रेस्ट्रेन (restrain) नहीं था। आज यह बताया जा रहा है कि २००) रु० का जुर्माना होगा,

(श्री किशनसिंह)

इतनी जेल होगी। जुर्माना और सजा का प्रोविजन पास हो जावे तो भी क्या होगा? क्या हम लोगों को नहीं समझा सकते। हम भी गांवों में रहते हैं, वहां के लोगों द्वारा चुने हुए यहां आये हैं। हम उन लोगों को तैयार करेंगे कि तुम टीके लगाओ। डर किस बात का है। डरने की कोई बात नहीं है। रेस्ट्रेन होना चाहिये; ज्यादा हो, कम हो लेकिन होना चाहिये। आप यह चाहें कि २ रु० जुर्माना अदा कर दे और टीके नहीं लगावें। लेकिन हम तो यह चाहते हैं कि जो जुर्माना फिक्स किया गया है, सजा तय की गई है वह मंजूर हो तो कोई बात नहीं। हम तो पब्लिक को तैयार करेंगे और जुर्माना धरा ही रह जायगा। अगर कर्मचारी काम नहीं करते हैं तो उनको समझायेंगे कि काम क्यों नहीं करते, रेस्ट्रेन होना चाहिये। इसलिये सदन को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

(श्री मोघजी व रावल श्री नरेन्द्र सिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष (श्री मोघ जी की ओर संकेत कर) : He has caught my eyes first.

श्री मोघ जी (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्यों ने टीका लगाने के बारे में, दंड और जुर्माने के विषय में विरोध किया है, जिसके लिये मैं समझता हूं कि दर-असल यह अनपढ़ लोगों के लिये ज्यादा से ज्यादा भारी पड़ेगा जो कि अंग्रेजी जमाने में पद्धति थी वह आज भी हमारे प्रान्त के देहातों में है। जहां ६० प्रतिशत अनपढ़ रहते हैं वहां लोगों की हालत सुधारने के, शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जो कानून बनाये जाते हैं, उसके सम्बन्ध में जो पद्धति कानून बनाने की अंग्रेजों के जमाने में थी, वही आज भी है। यानि बिल आज भी अंग्रेजी में पेश किये जाते हैं। अंग्रेज चाहते थे कि अगर कानून की बात आम जनता जानने लग जायगी तो उनकी जड़ें उखड़ जायंगी। अंग्रेज भागे, कांग्रेस आई, वह भी बहुमत के धोखे में रख बिल अंग्रेजी में पास करती है, जब कि हिन्दी को हम अपनी राष्ट्रभाषा मान चुके हैं, हम कह चुके हैं........

एक माननीय सदस्य : यह किस पर बहस हो रही है?

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपका ध्यान रूल्स ऑफ प्रोसीजर के नियम १३३ की ओर आकर्षित करता हूँ। उसमें साफ लिखा है : "The discussion on a motion that the Bill be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the Bil or for the rejection of the Bill."

हम कुछ दूर चले जा रहे हैं बिल के विपक्ष और पक्ष में बोलते हुए। You will be kindly confine yourself accordingly.

श्री मोघ जी : बिल के बारे में मुझे यह कहना है कि यह पास नहीं होना चाहिये। यह बिल गरीबों के लिए एक मुसीबत होगा, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और वकील लोग इससे फायदा उठायेंगे। इससे गरीबों का हित नहीं होगा। गरीबों के लिए जो इसमें सजा और जुर्माने का सवाल है उसको हटा दिया जाय और जनता की सेवा के लिए इस

Page No.57

(श्री मोघ जी)

कानून में जो सुझाव सदन के सामने रखा है वह ठीक है। गरीबों के लिए इससे कैसी मुसीबत पैदा होगी, कैसे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और कैसे इसका दुरुपयोग होगा, इसका अनुमान माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री जी ने न करके यह जो कानून की रूल्स के जरिये जुर्माने की बात रखी है वह नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस कानून को कुछ हानिकर न बनाकर इसमें कुछ सेवा करने के सुझाव रख दिये जांय। लेकिन जो सजा और जुर्माने का सवाल है वह नहीं होना चाहिए। इसलिए इस क्लॉज़ को ही हटा देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : ठाकुर साहब।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूँ कि कल से बराबर दो रोज तक इस एक छोटे से मामले में कितनी ज्यादा दलीलें चल रही हैं। यह प्रश्न है, इसके ऊपर कुछ गम्भीरता के साथ विचार होना चाहिए। जहां तक देखा जाता है दोनों पार्टीज़ में ज्यादातर बाहुल्य के अन्दर लोगों में यह विचार रहता है कि सख्त क्लॉज़ है लेकिन उस पर दलीलें होती हैं। यह सख्त क्लॉज़ है इसलिये हमारे मंत्री महोदय ने भी इसके अन्दर चौथे हिस्से की कमी, विचार करके, कर दी है। करीब-करीब इस प्रकार के कानून हैं जो जनता को इस बात के द्योतक रखते हैं कि उन्होंने किसी प्रकार अपने शरीर को ठीक रखने के लिए अगर किसी प्रकार विचार नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया तो उसके ऊपर जुर्माने का कदम उठाया जायगा, मेरा यह निवेदन है कि इस बात को देखते हुए, इस चीज का विश्लेषण करते हुए यह विचार करना चाहिए कि जनता इस बात के लिए इस समय तैयार है या नहीं कि उन पर इस प्रकार का जुर्माना हो। इस मामले में कोई ऐसी आज्ञा प्रदान की जाय, जैसे मंत्री महोदय ने बहुत कम जुर्माना कर दिया था, उसके बाद भी जनता की नब्ज़ पर इतना असर हो और अब तक इस चीज के लिए सदस्यगण प्रेरणा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अगर बिल्कुल माफ कर दिया जाय और साल भर तक, इस वर्ष के वास्ते इसको 'इन अबेयेन्स' (in abeyance) रख दिया जाय और यह देखा जाय कि इसका असर जनता के ऊपर क्या होता है तो मेरे ख्याल में यह कोई हानि की बात नहीं है। आज के ५० वर्ष पहले मेरे बालकपन में यह सवाल बराबर रहता था कि इस समय जो टीके वाले कहाते हैं, उस वक्त चीरेवाले कहाते थे। जैसे एक जमाने के अन्दर बड़े बड़े सेनापति और रईस, जो लड़ाई में जाते थे, उनके नाम को लेकर माता अपने बच्चों से कहतीं, 'हरिया आया, हरिया आया, तो बच्चे रोते हुए चुप रह जाते थे। उसी प्रकार जब बच्चे रोते हुए नहीं रहते थे तब उनको माता के द्वारा कह दिया जाता था कि चीरे वाला आ गया। उनका नाम सुनकर बच्चे रोना छोड़ना तो दूर, गांव छोड़ कर भाग जाते थे। मेरा निवेदन करना यह है कि आज जनता क्या पढ़ी-लिखी और क्या अपढ़ इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि किस प्रकार अपने बच्चों के वास्ते टीका लगाने की चेष्टा की जाय। मेरे ख्याल में, अगर कोई ऐसी चीज है जो जनता की इच्छा के बिना, अगर काम में लाई जाय और उनको न करने पर जुर्माना या सजा रख दी जायगी तो हर व्यक्ति सोचता है कि इस चीज को

Page No.58

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

रोकने के लिए प्रयास होना चाहिये। वह चीज प्राकृतिक तौर पर ज्यादा अपना प्रभाव फैलाती है और लोग उसके लिए ज्यादा सचेष्ट होते हैं। इस स्थिति के अन्दर इस चीज को कतई बंद करने का विचार न हो तो कम से कम एक वर्ष के लिए इसको स्थगित कर दिया जाय, मेरी यह धारणा है।

श्री सोहनलाल भटनागर : (सलूम्बर) माननीय उपाध्यक्ष, इस साधारण से बिल पर जो वाद-विवाद चल रहा है उसको देख कर और सुन कर कुछ आश्चर्य होता है। जो विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने दलीलें उठाई, उनमें से ज्यादा इस राय में नहीं हैं कि यह वेक्सीनेशन का जो प्रोवीजन है, उसको कम्पलसरी किया जाय। वे चाहते हैं कि वेक्सीनेशन कराया जाय, लेकिन सजा का मामला जो है, उसमें दो रायें हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि....

एक माननीय सदस्य : थोड़ा जोर से बोलिये।

श्री उपाध्यक्ष : The hon'ble member will speak a little louder please.

श्री सोहनलाल भटनागर : (जारी) दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक दलील यह दी कि इसकी जो रिगरसनेस (Rigorousness) है उसको कम कर दिया जाय। इसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले ही मन्त्री महोदय ने बिल में ६ महीने की सजा के बजाय एक महीने की सजा तथा १०००) रुपये जुर्माने के बजाय २००) रुपये जुर्माने के कर दिए हैं। दूसरी दलील उन्होंने यह दी कि जुर्माने से भ्रष्टाचार होगा और तरह तरह के भ्रष्टाचार के तरीके फैलेंगे, इसलिए डिटेन्शन कर दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्लॉज को यदि आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट है कि या तो जुर्माना हो सकता है या सजा हो सकती है; दोनों में से एक। माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य कानून जानते हैं, जिस जुर्म के लिए सजा जुर्माना २००) रु० दिया हुआ है तो यह लाजमी नहीं है कि २००) रुपया ही जुर्माना हो, एक रुपया, सवा रुपया, पांच रुपया या १० रुपया कुछ भी जुर्माना हो सकता है। तो इस बारे में जो यह भ्रान्ति फैली हुई है, उसे भी दूर करना चाहिये। सजा जो रखी गई है वह भी कम्पलसरी नहीं रखी है। अगर जुर्माने को हटाकर डिटेन्शन की सजा ही रखते हैं तो साफ है कि हमारी घूमने फिरने की आजादी को ही समाप्त किया जाता है, तो इस तरफ रिगरसनेस (rigourousness) कम करने की दलील देकर डिटेन्शन की सजा रखवाना चाहते हैं उससे तो रिगरसनेस और बढ़ाना चाहते हैं और इस तरह सजा लाजमी हो जायगी। सभी जानते हैं कि आज लोग जुर्माने के बनिस्पत डिटेन्शन को पसंद नहीं करते, क्योंकि वे डिटेन्शन में नहीं रहना चाहते, डिटेन्शन से बचने के लिये तो सचमुच भ्रष्टाचार हो सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि विरोधी दल के माननीय सदस्य रिगरसनेस कम करने के नाम पर उसे बढ़ाने की सिफारिश कर रहे हैं।

टीका ठीक है कि नहीं, पर अन्ततोगत्वा यह मान लिया गया है कि टीका लगवाना ठीक है। यहां तक कि भील लोग जो पहाड़ों में रहते हैं और वहां वेक्सिनेटर जाता

Page No.59

(श्री सोहनलाल भटनागर)

था तो बच्चों को लेकर भाग जाते थे, पर आज वे लोग भी इच्छा रखते हैं कि हमारे बच्चों के टीके लगवाये जायं। इससे साफ जाहिर है कि टीका लगवाना जरूरी हो गया है और जब किसी कानून में कोई चीज कम्पलसरी रखते हैं तो उसके पीछे सेंक्शन नहीं रखें, जिससे कि उस कानून की पाबन्दी करवा सकें, तो ठीक नहीं। हां, हो सकता है कि किसी कानून को मनवाने में ढिलाई हो पर अगर उसको मनवाने के लिये सेंक्शन नहीं हो तो वह कानून बनाना ही बेकार है।

ओरीजिनल बिल में जो सजा थी वह काफी ज्यादा थी, इधर और उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों ने इस बात को रखा, मन्त्री महोदय ने उस राय को माना और उस सजा में परिवर्तन कर दिया। तो मैं नहीं समझता कि इस बिल में, साधारण से बिल में ऐसी कौन सी बात रहती है कि उस पर इस सदन में बैठने वाले सदस्य ऐतराज कर सकें।

टीके को यदि कम्पलसरी करना चाहते हैं तो छोटी सी सेंक्शन उसके पीछे रखी है उसको मानना होगा और इस बिल को पास करना होगा।

(श्री सतीशचन्द्र और श्री जनार्दनराय नागर दोनों के एक साथ बोलने को खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Nagar, I have caught his eyes please (तदुपरान्त श्री नागर द्वारा बोलना प्रारम्भ करने पर) You (Shri Nagar) correct youself. I have caught the eyes of Mr. Satish Chandra.

श्री सतीशचन्द्र (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान चेचक टीका विधेयक पर पिछले कई दिनों से वाद-विवाद चल रहा है। अभी माननीय सदस्य ने जो अपने विचार प्रकट किये कि यह जो साधारण सा बिल है, उसका विरोध केवल विरोध करने के लिये किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जो कानून राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता तक पहुंचता है, जो कानून शहरों और नगरों तक ही सीमित नहीं बल्कि राजस्थान के गांव-गांव, ढानी-ढानी तक अपना असर दिखाता है, जिस कानून के अन्तर्गत राजस्थान की ९० प्रतिशत जनता की अशिक्षा से लाभ उठाकर उनकी अज्ञानता के कारण उनके द्वारा की गई त्रुटियों की सजा देने का प्रावधान है, क्या वह कानून साधारण है? यह कानून शहरों और नगरों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि इससे गांवों में और ढानियों में रहने वाले उन लोगों को दंडित किया जायगा जो कि अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं और इस कानून के प्रावधान को अच्छी तरह नहीं समझते।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने केवल विरोध के लिये विरोध नहीं किया है बल्कि जिस दिन यह विधेयक सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत हुआ विरोधी दल के सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखा कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर देना चाहिये। इसका कारण यह था कि जो कानून राजस्थान की डेढ करोड़ जनता से सम्बन्ध रखता है, राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता के जीवन से सम्बन्ध रखता है, उस कानून को कभी भी

(श्री सतीशचन्द्र)

जनता में प्रसारित किये बिना पास नहीं करना चाहिये। कायदे से तो मन्त्री महोदय को चाहिये था कि इस बिल को सदन में विचारार्थ रखने से पहले जनता के विचार जानते हेतु जनमत के लिये प्रसारित करते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिये विरोधीदल के सदस्यों ने प्रस्ताव रखा कि इस कानून पर विचार करने से पहले इस कानून को जनता के विचारार्थ जनमत के के लिये प्रसारित कर दिया जाना चाहिये।

यह कानून, इसमें जो त्रुटियां हैं उनके अलावा, आज जो समस्या है, उसका समाधान नहीं करता। इस बात को उधर बैठे हुए माननीय सदस्य भी जानते हैं। इस सदन के १७६ सदस्य जो राजस्थान की जनता के प्रतिनिधि हैं, क्या यहां इसलिये बैठे हैं कि ऐसा कानून बनायें जो किसी तरह क्रियान्वित नहीं किया जा सके? स्वयं मन्त्री महोदय ने कहा था कि यह कानून १८८० में अंग्रेजों ने बनाया था, उसकी नकल है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पुराने कानूनों की नकल करना ही हमारा धर्म रह गया है? नकल करने में अकल की जरूरत नहीं, मन्त्री महोदय ने कहा कि नकल में अकल की जरूरत नहीं। नकल में अकल का ख्याल नहीं होता है तभी हमारी शक्ल खराब होती है। एक हजार रुपया जुर्मानों की सजा हटा कर मन्त्री महोदय ने २०० रुपया जुर्माना रखा और ६ महीनों की सजा के स्थान को घटा कर एक महीने की सजा रखी, यह इस बात का सुबूत है कि नकल में अकल को काम में नहीं लिया इसीलिये आज हमारी शक्ल खराब होती है।

इसके अलावा इस कानून में और भी प्रावधान हैं, जिन पर मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस कानून में एक प्रावधान है कि जब कोई आदमी नोटिस देने पर भी अपने बच्चे के टीका नहीं लगाये तो नोटिस दिया जाय और क्योंकि वह बच्चा है इसलिये उसके पेरेन्ट को नोटिस दिया जाय और पेरेंट की डेफिनेशन इसमें दी है:
father of a legitimate child,'

जायज बच्चा है उसका बाप, जो नाजायज बच्चा है तो उसकी मां, वे उसके गार्जियन हो जायंगे। मैं पूछना चाहूंगा, माननीय सदस्य से कि जब किसी बच्चे के बाप का देहांत हो गया और उसके टीका नहीं लगवाया जाता तो नोटिस किसको दिया जायगा? मां को नोटिस दिया नहीं जा सकता क्योंकि वह नाजायज बच्चा नहीं है। क्या मन्त्री महोदय या उनके मजिस्ट्रेट उस बच्चे के मृत बाप के नाम केअर ऑफ (c/o) स्वर्ग लोक या नर्क लोक करके नोटिस भेजेंगे?

(हंसी)

इसके लिये कोई प्रावधान नहीं है। पिता नहीं हो तो उसके स्थान पर मदर पेरेंट की डेफिनेशन में आती है, पर इसमें यह नहीं है। आज बहुत सारे केसेज़ मिल जायंगे जिन बच्चों के पिता नहीं हैं। लेजिटिमेट चाइल्ड हैं और पिता नहीं है, इसलिये नोटिस किसे दिया जाय? माता है पर लेजिटिमेट चाइल्ड के पेरेन्ट की तारीफ में आती नहीं, तो ऐसी सूरत में माता को नोटिस देने के लिये उस बच्चे को इल्लेजिटिमेट चाइल्ड की डेफिनिशन में लाकर मां को नोटिस दिया जायगा और इसके कारण होगा माताओं का अपमान।

Page No.61

(श्री सतीशचन्द्र)

आज हमारे पास वेक्सिनेटर्स नहीं हैं और इस बिल में लिखा है :

"The Act shall come into force at once."

लेकिन कानून कैसे आयेगा फोर्स में ? आज वेक्सिनेटर्स नहीं हैं, बच्चों के टीका लगाने वालों की व्यवस्था नहीं है । व्यवस्था के लिये मन्त्री महोदय कहेंगे कि चेचक के टीके लगाने के लिये वेक्सिनेटर्स का प्रबन्ध करेंगे । क्लॉज़ १७ में सरकार को रूल्स बनाने का अधिकार है । सरकार नियम बनावेगी और जब सरकार नियम बनायगी तभी तो किसी व्यक्तिकी नियुक्ति का प्रश्न पैदा होगा। अत: नियम बनाने के बाद सरकार वेक्सीनेटर्स की नियुक्ति करेगी ।लेकिन जब तक नियम नहीं बनेंगे तब तक इसका मतलब यही होगा माननीय उपाध्यक्ष, कि वेक्सीनेटरों की नियुक्ति नहीं हो सकेगी, तब तक क्लॉज़ १७ में नियम बनाने के प्रोविजन दिये हैं जो लागू नहीं हो सकते और जब तक ये नियम लागू नहीं होते तब तक यह एक्ट फोर्स में नहीं आ सकेगा । माननीय उपाध्यक्ष, इसी क्लॉज़ २० में लिखा है कि जो व्यक्ति क्लॉज़ १६ की अवहेलना करेगा या १७ की अवहेलना करेगा उसको रूपये १०) जुर्माने की सजा दी जावेगी : "whosoever breaks the rules under Secton 17." इस संबन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपकी इससे क्या मंशा है ? आपने क्लॉज़ १७में कुछ लिखा है और क्लॉज़ २० में कुछ लिखा है । क्या आपकी यह इच्छा है कि सरकार ने नियम नहीं बनाये और व्यक्ति ने नियमों का पालन नहीं भी किया तो सुप्रिन्टेन्डेन्ट वेक्सीनेशन उसको सजा दे सकता है या नहीं, अगर दे सकता है तो क्यों ? इस बात को माननीय मंत्री महोदय स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि यदि सुप्रिन्टेन्डेन्ट क्लॉज़ २० में, जो रूल १७ (२) में दिया गया है, उसको तोड़ता है तो सुप्रिन्टेन्डेन्ट ऑफ वेक्सीनेशन को किस प्रकार से दण्डित किया जा सकेगा ? यह बात कानून से स्पष्ट नहीं होती । मैं नहीं समझ पाया कि आपकी इसमें क्या मंशा है और आपने इस बात को साफ तौर से यहां पर क्यों नही लिखा ? मैंने पहले ही कहा है कि आपने नकल की है और नकल में भी अकिल की जरूरत जरूर होती है, मगर आपने यहां पर भी नकल करने में कोई ध्यान इस बात की तरफ नहीं दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिये हमने प्रस्ताव किया है कि राजस्थान वेक्सीनेशन बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये क्योंकि इसमें बहुत खामियें हैं और जहां जहां पर खामियें हैं उन पर प्रवर समिति में विचार हो जायगा और उस पर विचार होने के बाद ही सरकार को यह बिल सदन के सामने लाना चाहिये था । इसमें खामियें होने के कारण ही इसका विरोध किया गया है । इसका विरोध केवल विरोध करने के लिये ही नहीं बल्कि सारी परिस्थितियों को देख कर किया गया है । मैं आपको जयपुर की ही बात बताता हूं । जयपुर में चेचक के टीकों का कानून है और अभी जो चेचक की बीमारी फैल रही है वह कानून के अभाव से नहीं फैल रही है, जैसा की माननीय मंत्री महोदय ने खुद ने फरमाया । उन्होंने फरमाया कि हमारे यहां जयपुर में कानून वेक्सीनेशन लागू है । लेकिन मैं यह कहूंगा कि अभी तक कानून में किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया गया है । मैं समझता हूं कि यह जो ११

(श्री सतीशचन्द्र)

करोड़ लोगों में चेचक की बीमारी फैली है वह सब मशीनरी की खराबी के कारण ही फैली है। मशीनरी ने परवाह नहीं की और न किसी को अभी तक सजा ही दी। इसीलिये यह भयंकर बीमारी फैल रही है। यदि इसी प्रकार से कानून बनाने के लिए ही बनाये जाते हैं और अमल में लाने के लिये नहीं, तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूं कि यह सदन के समय को खराब करना और पब्लिक के पैसे, जो हम लोगों को यहां भत्ते के रूप में मिलते हैं, उन सब का दुरूपयोग ही होगा। हमें कानून बनाना है इसलिये कानून नहीं बनाना चाहिये। कानून बनाना चाहिये जनता के हित के लिये और वास्तव में कानून जनता के हित के लिये ही बनाये जाने चाहिये। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस बात का स्पष्टीकरण करते हुए बतायेंगे कि आज जयपुर में चेचक के प्रकोप से सैकड़ों की तादाद में जो बच्चे मर रहे हैं और माननीय सदस्यों ने सुना होगा और जयपुर के दैनिक पत्रों में जो खबरें निकलती हैं उनको पढ़ा होगा कि अमुक बस्ती में चेचक से इतने बच्चे मर गये और अमुक मोहल्ले में इतने बच्चे मर गये। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे बताएं कि उन्होंने इसके रोकने के लिये क्या कदम उठाया? मैं कहूंगा कि कोई भी कदम इस प्रकार की भयंकर बीमारी को रोकने के लिये नहीं उठाया गया है। आज आप यहां पर केवल कानून बनाने के लिये कानून बना रहे हैं, मगर यह नहीं देखते कि कानून के विचार से इसका कितना उपयोग होगा? आज इस बात को देखने के लिये मंत्री जी तैयार नहीं हैं।

आज सजा के प्रावधान के लिये सभी लोगों ने इसका विरोध किया है, मगर माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि चोरी करने के लिए जिस प्रकार कानून में सजा है इसी प्रकार इस कानून की अवहेलना करने वाले के लिये भी सजा होनी चाहिये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चेचक का टीका नहीं लगाने वाले बच्चों के माता-पिता चोर और डाकुओं की श्रेणी में नहीं आते। माफ कीजिये, माननीय मंत्री महोदय के भी बच्चे हैं? उनके भी टीका लगाना है। वेक्सीनेटर उनके मकान पर जाता है और दुर्भाग्य से वे दफ्तर में होते हैं और बच्चे स्कूल गये होते हैं या कहीं बाहर होते हैं और उनके घर से इन्कार कर दिया जाता है या किसी वजह से टीका नहीं लग पाता है, तो क्या वे चोर और डाकुओं की श्रेणी में आ जावेंगे? क्या आप चोर और डाकुओं की श्रेणी में आम जनता को रख रहे हैं? मैं यह कहूँगा कि यदि आप ऐसा करते हैं तो जनता के लिये कोई अच्छी बात नहीं है। चोर और डाकुओं के लिये दूसरे प्रकार के कानून लागू होते हैं। आपको चाहिये तो यह कि इसका प्रचार करके जनता में जागरूकता पैदा करें। आप एक तरफ तो भूदान, सर्वोदय और श्रमदान की बातें करते हैं, मगर दूसरी तरफ लोगों के जीवन-दान की तरफ ध्यान ही नहीं देते। श्री विनोबा भावे जो महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं वे श्रमदान की और भूदान की बातें करते हैं और इसके लिये प्रचार करते हैं। क्यों नहीं इस जीवनदान के आधार पर वे अपना प्रचार करके लोगों को चेचक के टीके लगाने की उपयोगिता बताएं, जो जीवन के लिये सबसे उपयोगी है? आज जहां पर भूदान और श्रमदान पर प्रपंच होते हैं वहां पर जीवनदान के लिये प्रवचन हों तो यह सफल हो सकता है।

(श्री सतीशचन्द्र)

अगर वे नहीं कर सकते तो माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप भी उन्हीं की विचार-धारा में घूमे हुए होने के कारण राजस्थान के लोगों के सामने मिसाल पेश करें। आप भी नगर-नगर में घूमिये। मैं समझता हूँ कि आपको इसकी शुरुआत जयपुर से ही करनी चाहिये। जयपुर की गलियों में, बाजारों में आप घूमिये और जयपुर की गलियें जो गंदगी से सड़ती हैं, जहां खड़े रहना मुश्किल होता है और नालियें पाखाने से भरी पड़ी रहती हैं, लोगों को रास्ते से गुजरना मुश्किल होता है, नालियों से कीड़े निकल निकल कर मकानों में घुसते हैं, पास के घरों में चेचक की बीमारी से मासूम बच्चों की चीत्कारें आपको सुनाई देती हैं; अगर आप उधर से गुजरेंगे तो आप गुजर नहीं सकेंगे। हजारों मासूम बच्चों को मरघट ले जाने के दर्दनाक दृश्यों को आप देखते रह जावेंगे और आपका हृदय उनको देख नहीं सकेगा, आप उधर गलियों में जाना नहीं चाहेंगे। आप क्यों उन गंदी गलियों में और गन्दे रास्तों में जाना पसन्द करेंगे? आप केवल कानून यहां पर बैठ कर बनाना जानते हैं। मगर मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि यह समस्या कानून के बनाने से हल नहीं होगी। इसीलिये हमने इसका प्रारंभ से ही विरोध किया है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आज आप न्याय के नाम पर, विचार-धारा के नाम पर, सिद्धांतों के नाम पर, आप और हम लोगों पर जनता विश्वास रखती है और जिन्होंने हमको यहां भेजा है, उस १॥ करोड़ जनता पर यह कानून जिसकी जरूरत नहीं है पास कर रहे हैं। आज चेचक के कानून के टीके की जरूरत नहीं, मैं समझता हूं कि इसकी व्यवस्था करने की जरूरत है। यदि माननीय मंत्रीजी चेचक के टीके लोगों में लगवाने की सुचारू रूप से व्यवस्था करने में सफल होंगे, इन्तजाम करने में सफल होंगे तो मैं समझता हूँ कि उनकी भावना सफल होगी और अगर वे इन्तजाम नहीं कर सकते तो अनेकों नेक कानून बनाने पर भी कुछ भला नहीं कर पावेंगे और मेरा उन पर यही चार्ज रहेगा कि कानून केवल कानून बनाने की दृष्टि से ही बनाये जाते हैं, जनता के हित की दृष्टि से नहीं। हमें यह कहा जाता है कि विरोध विरोध करने के लिये किया जाता है, मगर वास्तव में यह बात नहीं है। हमारे सिर पर आरोप यों ही मंडा जाता है। यह उनका फर्ज है कि चेचक के टीके लगाने की व्यवस्था करें, मगर वे इस प्रकार की व्यवस्था तो कराते नहीं, कानून बनाना जानते हैं। इस प्रकार के कानून बनने से कोई लाभ नहीं हो सकता। मैं यह कहूंगा कि हमारी कोई इस प्रकार की भावना नहीं कि हम इसका विरोध केवल विरोध करने के लिये करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि वे सब इस राजस्थान चेचक बिल का विरोध करें और इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करें। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय आज इसको या तो वापिस ले लेंगे या इसको प्रवर समिति में भेज देंगे क्योंकि उधर के महानुभावों ने भी इस बिल की भावना का विरोध किया है। इन सारी बातों को सामने रखते हुए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सम्पतराज (अकलेरा): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, चेचक के टीके की

Page No.64

(श्री सम्पतराज)

उपयोगिता सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट है और मैं समझता हूँ कि जो महानुभाव बोले हैं उनको अधिकार है इस कानून के विरोध करने का। मैं समझता हूँ कि वे ग्राम जनता के भाव समझने में समर्थ नहीं हैं। आज भले ही यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण जनता अशिक्षित है मगर उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ग्रामीण जनता शिक्षित हो चाहे अशिक्षित और भले ही कानून नहीं जानती हो लेकिन टीके की उपयोगिता को अवश्य समझ सकती है। वे लोग केवल अपने बच्चों के टीके ही नहीं लगवाते हैं बल्कि अपने पशुओं के टीके भी लगवाते हैं। मैं एक तहसील का तहसील सरपंच हूँ और मेरी तहसील में २०० गांव हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ओनरेबल मेम्बर, मैं आपका ध्यान फिर से नियम १३२, रूल्स आफ प्रोसीजर की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि आप इस बात को ध्यान में रखें कि हमें पक्ष या विपक्ष में बोलना है; इधर उधर नहीं जाना है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष हैं।

श्री सम्पतराज (जारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब ग्रामीण जनता पशुओं के भी टीका लगवाती है तो वह बच्चों के क्यों न लगवाये, ऐसी कोई बात नहीं है। आज यहां पर गांधी जी से लेकर राम राज्य तक की दुहाई दी गई। मैं समझता हूं कि परिस्थिति समय के अनुसार बदलती रहती है। मैं समझता हूं कि रामायण में भी लिखा है कि:—

"दैहिक दैविक भौतिक तापा।
राम राज्य कबहुं नहीं व्यापा॥"

उस समय जब ऐसी परिस्थिति थी तो उस समय चाहे इस कानून की आवश्यकता न थी लेकिन अब आज परिस्थिति बदल चुकी है। आज निरन्तर बच्चे मौत के मुंह में जा रहे हैं और उनकी मौत का कारण है टीका न लगवाना। आज जब कि बच्चे काल के मुंह में घुसते जा रहे हैं तो इस बिल का जो इस समय सदन के सामने रखा गया है उसका समर्थन करना चाहिए। आज कहा जाता है कि यह जो बिल पेश किया गया है वह सन् १८८० में ब्रिटिश के जमाने में जो कानून बना था उसकी नकल है। तो चाहे वह उस ब्रिटिश जमाने की कॉपी हो या चाहे किसी की भी नकल हो, यदि हमें कहीं से अच्छी चीज मिलती है तो उसे ग्रहण करने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आखिर जब हमें अच्छी चीज कहीं मिल रही है तो हम उसे क्यों न लें? यदि हम ऐसा नहीं करते कि अच्छी बातों को न लें तो हम कूप-मन्डूक बन रह जायेंगे।

३. ०१-म. प.

इस बिल के उद्देश्यों व कारणों के विवरण में साफ साफ बताया गया है कि इसके प्रावधान, वास्तविक रूप में केन्द्रीय एक्ट, **१८८० के प्रावधानों के आदर्श पर, ऐसे** परिवर्तनों के साथ, जो इसके प्रवर्तन में एकरूपता लाने तथा स्थानीय परिस्थितियों के उपयुक्त होने के लिए आवश्यक समझे गये हैं, बनाये गये हैं। इसलिए केवल मात्र यह कहना कि हूबहू यह बिल १८८० के कानून की नकल है, यह सही नहीं है। कहा गया है कि इसमें भ्रष्टाचार का डर है। भ्रष्टाचार का डर कहां नहीं है? भ्रष्टाचार सब जगह किया जा सकता है और ईमानदार आदमी कहीं भी

(श्री सम्पतराज)

भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है। ऐसी सूरत में जब कि हम यहां पर चुन कर आए हुए हैं तो भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश करेंगे। हम १७६ मेम्बर जनता के पहरेदार हैं। हमें भी तो किसी चीज का प्रचार करना है। इसलिए केवल यह कह कर कि इसमें भ्रष्टाचार होने का डर है, इस बिल का विरोध करें यह उचित नहीं है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा। हां, हो सकता है कि जो सुझाव विरोधी पक्ष की ओर से आये हैं वह उपयुक्त हो सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार से निवेदन करूंगा कि जो भी टीके लगाने के लिए क्षेत्र निश्चित करें और इसके लिए जो नियम बनायें, जहां तक हो सके उसमें क्षेत्र छोटे बनाये जायं, क्षेत्र के अनुरूप ही टीका लगाने वाले होंगे। क्षेत्र के सेन्टरों को अगर काफी आवश्यक जगहों पर रखा जायगा तो फिर भ्रष्टाचार होने का डर नहीं होगा। इसलिए मैं इसका तहेदिल से समर्थन करता हूँ और निवेदन करता हूं कि इस कानून को तुरन्त पास किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Mr. Nagar

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : इस बिल के विपक्ष में काफी बातें ऐसी कही गई हैं जिन पर मैं समझता हूं कि हम लोगों को जरा गंभीरता से विचार करना चाहिए, लेकिन उन बातों पर विचार करने के पूर्व मैं यह महसूस करता हूं कि इस सदन में आज पहली बार ऐसा बिल आया है जो बच्चों की जीवन-रक्षा से सम्बन्ध रखता है। दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है कि हमारे देश में बच्चों के अधिकारों के बारे में अभी तक कोई चेतना उत्पन्न नहीं हुई पाई गई है। सभ्य देशों में इस दुनिया में बालकों के जीवन की रक्षा के सम्बन्ध में और उसके विकास के सम्बन्ध में एक अधिकार का स्थापत्य हो चुका, लेकिन इस देश में हम अभी तक यह मानते हैं कि बच्चा तो एक ऐसी वस्तु है जिसको जीने का अधिकार नहीं है। हमने समाज के कई अंगों का सुधार किया है और इसके अनुसार उपयुक्त कानून भी बनाये हैं। जब इस सदन में जीवन-रक्षा से सम्बन्ध रखने वाला एक बिल आता है तब हम कई बातों का आश्रय लेकर उसका विरोध करने लगते हैं। मैं अपने मित्रों से अपील करूंगा कि इस बिल पर इस दृष्टि से देखा जाय कि बच्चों की जीवन रक्षा से सम्बन्धित यह पहला बिल है जो कि इस सदन में रखा गया है। मैं तो कहूंगा कि इस प्रकार के बालकों के जीवन के अधिकार, उसके विकास और उसके पोषण संबंधी और भी कानून इस सदन में समय समय पर आने चाहिये और हम लोगों को जिम्मेदारी से उन कानूनों का निर्माण यहां पर करना चाहिये। इसलिए मैं सबसे पहले आज हुकूमत को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि देर से ही सही लेकिन हुकूमत ने बालकों के अधिकारों को किसी रूप में माना और सदन के सामने एक बिल प्रस्तुत किया।

सवाल यह है कि चेचक का टीका अनिवार्यत: लगवाया जाय या नहीं ? इस बारे में मैं मानता हूँ कि हमारे विरोधी पक्ष के सदस्यों ने अपनी-अपनी रायें रखी हैं लेकिन जो एक सार्वभौम स्वीकृत बात है उसी को लेकर सरकार ने इस बिल को रखा है। गांवों में, यह बात बिल्कुल सच है कि चेचक का टीका लगवाने

(श्री जनार्दनराय नागर)

के बारे में निरन्तर भावना बढ़ती जा रही है और इसके लिए मांग भी बढ़ती जा रही है। आप और हम गांवों में जाते हैं। गांव के लोगों के साथ हमारा बहुत अच्छा सम्पर्क है। हमारा और आपका यह अनुभव है कि चेचक की बीमारी से आज बच्चों के मरने की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे गांवों के अन्दर माता-पिता परेशान हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि इस मामले में कोई अनिवार्य कदम इस सदन के द्वारा उठाया जाना आज से बहुत पहले जरूरी था और आज जब हमारे सामने इस प्रकार का बिल आया है तो हम चौंक पड़े हैं। आप कई पहलुओं से इस बात पर विचार कर सकते हैं। जब हमारे सामने बिजली आई तभी एक प्रतिक्रियावादी दलील हमारे सामने आई कि इससे तो आंखें खराब हो जाती हैं। जो भी वैज्ञानिक उपकरण हमारे सामने आये, जो भी आवश्यक चीजें हमारे पोषण के लिए आई उनके बारे में हमारे दिमाग में शंका उठती रहती है। यह तो सच है कि अब तक हमें इन चीजों से पूरा लाभ उठाने की वृत्ति समझ में नहीं आई है। इसलिए यह आवश्यक है कि जो भी लाभदायक वस्तुएं हों उन्हें हम अपनायें। अब हमारे मित्रों के दिलों में यह बात उत्पन्न हुई कि टीका लगवाने के बाद भी बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। तो टीका लगाने के बाद भी बच्चों की मृत्यु को हम रोक पायेंगे, इस तरह की गारन्टी तो हम इसके द्वारा नहीं दे सकते हैं क्योंकि मृत्यु जीवन की ऐसी घटना है जिसके बारे में किसी का भी वश नहीं चलता है। लेकिन मानव प्रकृति का एक उत्तरदायित्व है जो यह है कि वैज्ञानिक शक्ति के द्वारा ज्ञान के पर्याप्त अनुभव के द्वारा मृत्यु को टालने की कोशिश करना चाहिये और मैं मानता हूं कि यह बिल उसी कोशिश के मार्ग का एक प्रमाण है। इसलिए मैं तो इस स्पष्ट राय का हूं कि अनिवार्यतः हमें कस्बों में, राजस्थान भर में चेचक के टीके लगाने पर लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिये। यह ठीक है कि हमें कभी कभी सरकार के विभाग को कहना पड़ता है, जब जाकर कहीं टीके लगाने वाले पहुंचते हैं। जब हम इस बिल को पास कर देंगे तो सरकार का यह जुम्मा हो जायगा कि उसको टीका लगवाने की व्यवस्था सारे राजस्थान भर में करानी पड़ेगी। इसी चुनाव के समय में मैंने देखा कि एक गांव में पांच-सात बच्चे चेचक के कारण मर गये। मैंने खुद ने जब इस विभाग का ध्यान खींचा तो फिर भी पन्द्रह दिन तक वहां डाक्टर नहीं पहुंचा। जब यह बिल आता है तो सरकार का भी यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह इस चेचक के टीके लगवाने का ठीक तरह से इन्तजाम करे। जहां सरकार कह कहेगी कि जो भी टीके नहीं लगवायेगा उस पर इतना जुर्माना होगा और इतनी सजा होगी, तो फिर वहीं लोगों के और भी ज्यादा और अच्छी तरह से टीका लगाने की जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है।

अब सवाल यह रहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टीके लगवाने के हामी न हों। मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार के टीके लगवाने में आस्था नहीं रखता। लेकिन मेरी व्यक्तिगत बात छोड़िये। मैं तो इन्जेक्शन्स वगैरह लगवाने में विश्वास नहीं रखता हूँ। यह सब जो एलोपैथिक प्रणाली है उसमें भी विश्वास नहीं रखता हूँ। व्यक्तिगत और अन्तरात्मा की कठिनाइयों के कारणों की बात छोड़िये। हम यह कह सकते हैं कि राजस्थान की समस्त जनता के जीवन की सफलता का भार और भविष्य इसमें सन्निहित है। हरएक

Page No.67

(श्री जनार्दनराय नागर)

के जीवन की रक्षा करने के बारे में इसमें सोचा जा रहा है। चेचक से होने वाली हानि, बालकों की मृत्यु संख्या पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। सरकार को इस प्रकार का कानून बहुत पहले लाना था। लेकिन देर से लाने पर भी यह बात का सुबूत है कि हमारी सरकार बच्चों के मामले में बहुत चिन्तित है, उनके स्वास्थ्य के बारे में बहुत ध्यान रखती है। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार बच्चों के बारे में जागरूक नहीं। चलो, हमें इस बात की खुशी है कि सरकार बच्चों के मामले में जागरूक हो रही है। ऐसी हालत में बच्चों को चेचक की बीमारी से, माता की बीमारी से दूर ले जाने के लिए इस कानून को अनिवार्य रूप से स्वीकार कर लेना चाहिये।

एक बात इस सम्बन्ध में बोलते हुए जो महत्वपूर्ण कही गई वह यह है कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ सकता है और यह मानने लायक भी बात है कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इस बात को हमें स्वीकार करके चलना चाहिये। आज से बहुत दिनों पहले जब लेवी का कानून चलता था, लेवी वसूली के सम्बन्ध में भी काफी भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार टीके लगवाने के सम्बन्ध में, इसके अलावा दूसरी जो पाबन्दियां हैं उनको जब नियमन किया जायगा तो भ्रष्टाचार के व्याप्त होने का अन्देशा अवश्य है। इस अन्देशे को दूर करना राजतंत्र का जिम्मा है। सरकार को इस बात का आश्वासन देना चाहिये कि इस कानून के अमल में आते ही किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार की घटनायें, जिससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता हो, नहीं घटने दी जायंगी, इसको रोकने के लिए पूरा इन्तजाम किया जायगा। हो सकता है, यह सजा का जो प्रावधान इसमें रखा गया है उसको लेकर वेक्सीनेटर वर्ग आर्थिक लाभ हासिल कर सकते हैं, लेकिन यदि राजतंत्र ने जागरूकता बरती तो जनता में जो भ्रष्टाचार का दृष्टिकोण व्याप्त है वह मिट सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बातें की जा रही हैं, बालकों के हित के लिए की जा रही हैं उनमें खतरा हो सकता है, शिकायत हो सकती है लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि यह प्रगतिशील दिशा है जिसमें बच्चों के जीवन को अधिकार रूप में मानने का इरादा है और जिसे मानकर चलना चाहिये।

सरकार ने यह जो कदम उठाया है, बच्चों के मामले में और भी मैं समझता हूँ बच्चों के संबन्ध में और भी कानून सदन में आने चाहिये। यह प्रारम्भ है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में सरकार बच्चों के लिये और अच्छे अच्छे कानून सदन में लायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में बच्चों के लिये राज्य की ओर से कोई अधिकार नहीं है। बच्चों का सारा जीवन उनके माता पिता पर आश्रित है। आज उनके लिये अनिवार्य प्राथमिक-शिक्षा-प्रबन्ध नहीं, जो कि अनिवार्य रूप से राजस्थान में लागू होनी चाहिये। आप और हम जानते हैं कि हमारे देश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा बच्चों के लिये नहीं है। यह अधिकार अभी तक हमारे देश के बच्चों को प्राप्त नहीं हुआ है। शिक्षा की बात छोड़िये, ठीक तरह से गर्भ में भी पोषण का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। आज के युग में, प्रगतिशील कहलाने वाले देशों में हम देखते हैं कि जब बच्चा गर्भ में आता है तभी से उसके पालन पोषण की

(श्री जनार्दनराय नागर)

जिम्मेदारी सरकार पर आ जाती है । उनके बच्चा-जच्चा के लिये कानून बने हुए हैं, वहां का सामाजिक ढांचा ही इस प्रकार का बना हुआ है, हम आज बिल्कुल उसका अनुकरण नहीं करना चाहते । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निश्चित मत है कि जब बच्चा गर्भ में आता है तभी से उसके अधिकार आरम्भ हो जाते हैं और जब तक वह इस योग्य नहीं हो जाता कि कुछ कमा सके तब तक उसके अधिकारों की इतिश्री नहीं होती । मैं, हमारे स्वास्थ्य मन्त्रीजी से यह चाहूंगा कि वे ऐसा कानून सदन में लायें कि जब से बच्चा गर्भ में आता है तभी से उस प्रसूता की सेवा-सुश्रूषा और चिकित्सा की कानूनन व्यवस्था होनी चाहिये ।

चेचक की बीमारी से हमने बच्चों के अधिकारों का प्रारम्भ किया है । मैं समझता हूँ, यह हमारा प्रारम्भ बहुत अच्छा है । केवल इसी से सरकार को सन्तोष करके बैठे नहीं रहना चाहिये । मैं समझता हूँ, यह आत्म सन्तोष बहुत न्यूनतम होगा । इस भावना के साथ उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो बिल आया है उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ । छोटी-मोटी असुविधा भी अगर इससे हो तो हमें उसके प्रति जागरूक रहना चाहिये । अगर कहीं इससे भ्रष्टाचार फैलता है तो हमारी और आपकी आवाज किसी ने बन्द नहीं कर रखी है, आप और हम सब लोग किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं । अगर किसी प्रकार इस कानून का दुरुपयोग हम पाते हैं तो सरकारी तन्त्र से हम उसको ठीक करवा सकते हैं । हमारा और आपका आत्म-विश्वास कहीं नहीं जायगा । अगर इस कानून के अमल में आने से सरकारी तन्त्र में किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो उसका मुकाबला करने की भी हम में हिम्मत होनी चाहिये । इस कानून को ईमानदारी से अमल करवाने की जिम्मेवारी भी हम लोगों पर है क्योंकि हम लोग विविध निर्वाचन क्षेत्रों से आये हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं ।

श्री नाथूलाल (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान चेचक टीका कानून पर लगातार चार दिन से बहस हो रही है । मैं भी इसका विरोध करता हुआ कुछ कहना चाहता हूँ कि क्लॉज २० जो पास किया जा रहा है और अब यह बिल पास किया जाय या नहीं ? चेचक का टीका लगने से माता का प्रकोप रुक जाता हो, यह बात नहीं है । आज हमारे सामने ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिनसे टीका लगाने के बाद इतनी जोर से माता निकली है कि जो बताशे के बराबर होती है और उसमें कई लोगों की जिन्दगी भी चली गई है । जो लोग यह कहते हैं कि टीका लगाने से माता रुक जायगी, मैं नहीं मानता ।

दूसरी बात यह है कि यह बिल जो पास किया जा रहा है उसमें २०० रुपये दण्ड की व्यवस्था और एक महीने की सजा जो रखी गई है, यह बिल्कुल अनुचित है । आज हमारे राजस्थान में अशिक्षित लोग बहुत ज्यादा हैं और उसमें मातायें और बहिनें तो अशिक्षित बहुत ही हैं, उनको यह समझाना बड़ा कठिन काम है कि अगर टीका नहीं लगाया जायगा तो जुर्माना हो जायगा और सजा भी मिल सकती है ? क्योंकि माता का प्रकोप फाल्गुन या चैत्र में प्रारम्भ होता है तब गांव की औरतें अपने खेतों में काम करती हैं, उन दिनों कोई माता और बहन

(श्री नाथूलाल)

यह नहीं चाहेंगी कि इन दिनों उनके बालकों के टीका लगाया जाय क्योंकि उनकी सेवा सुश्रुषा में उनको काफी समय देना पड़े । इसलिये वे टालने की कोशिश करेंगी। अगर वे लगवाते हैं तो उनके काम में बाधा पड़ेगी। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह चेचक टीके का कानून जो है इसको पास नहीं किया जाना चाहिए और थोड़े दिनों के लिए इसे विचारार्थ रखा जाय और उस रूप में पास किया जाय जिससे जो मातायें और बहनें इस चीज को नहीं समझती हैं उन पर किसी प्रकार का दबाव न पड़े और जिसकी वजह से मुसीबत न बढ़े। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके जरिये सभी माननीय सदस्यगण से अर्ज है कि इस बिल को अच्छी तरह विचार करके फिर इसे सदन में रखा जाय। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल को पास न किया जाय।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो यह बिल पेश हुआ है उसके बारे में जो क्लॉजेज़ थे उन पर सदन में अलग अलग रूप से विचार करके वे पास किये और इसका प्रिएम्बल भी पास कर दिया। अब हम सम्पूर्ण बिल को पास करने जा रहे हैं। इस बिल के पास करने से पूर्व हमने विचारों का आदान-प्रदान सुना। विरोधी दल की तरफ से जो विरोध प्रकट किया गया उसमें सिर्फ कारण तो एक यह दिया गया है कि सजा के कायम रखने से माता-पिता को कष्ट होगा, माता-पिताओं को चोर डाकू के समान माना जायगा।

दूसरी बात यह कही गई है कि भ्रष्टाचार बढ़ जायगा। कोई ऐसी दलील नहीं दी गई, जिससे इस बिल को पास करने में कोई कठिनाई उपस्थित होती हो। इस बारे में प्रार्थना करूंगा कि जो यह कहा जाता है कि इस बिल को प्रचारार्थ रक्खा जावे तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि यह तो १८८० से ही इस देश में प्रचारार्थ है और इसके बाद आज सन् १९५७ में यहां पेश हुआ है; तो ऐसी स्थिति में मैं तो यह उपयुक्त नहीं समझता कि इसे प्रचारार्थ भेजा जावे।

इसके अलावा कहा गया कि जुर्माने से भ्रष्टाचार बढ़ जावेगा; तो कौन-सी ऐसी व्यवस्था है जिसमें भ्रष्टाचार की आशंका उपस्थित नहीं हो सकती है। आज तो हम जो भी काम करेंगे सभी में यह आशंका उपस्थित हो सकती है। अगर हम इस स्थिति के कारण से डर कर इस कानून को सख्त नहीं बनाते हैं तो बालमृत्यु की जो समस्या आज हमारे सामने है, जिसमें कि देश के बहुत से बच्चे किसी भी कारण से टीका न लगाये जाने से हर साल काल कवलित हो जाते हैं और जिसका देश पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, उसका कैसे हल कर सकेंगे? तो भ्रष्टाचार के डर से डर कर इस समस्या का समाधान नहीं करना, हमें शोभा नहीं देता। भ्रष्टाचार का सम्बन्ध तो मनोवृत्ति से है, न कि टीका लगाने, न लगाने से। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार का जो कारण बताया गया है वह उचित नहीं है।

यह भी सुझाव दिया गया कि सजा का प्रोविजन ही न रक्खा जावे। अगर यह नहीं रक्खा जावेगा तो फिर कानून पास करना न करना बराबर है। जिस किसी भी देश में कानून बनता है तो सजा का प्रोविजन तो उसमें होना लाजिम होता है, जिसमें यह न हो

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

वह कानून तो नेश्त नाबूद होने के काबिल है, वह किसी मकसद का नहीं होता । इसलिये सजा का प्रोविजन तो कानूनों में होना ही चाहिये ।

उन्हीं सदस्य ने यह बताया कि ऐसा प्रोवीजन रख दिया जावे कि जिस वक्त लोगों को तकावी मिलती हो उसकी जांच कर ली जावे कि उसने अपने बच्चों के टीके लगाये या नहीं, या बच्चे को स्कूल में दाखिल करते समय यह देख ले कि इसको टीका लगाया गया है या नहीं, शादी के वक्त देख लिया जावे कि टीका लगाया या नहीं; नहीं तो शादी रोक दी जावे या दाखिला रोक दिया जावे । मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि एक तरफ तो भ्रष्टाचार के नाम पर कहा जाता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट भ्रष्टाचार बढ़ाती है और वही दूसरी तरफ ऐसा प्रोवीजन रखने का आग्रह कर रहे हैं जिससे कि अधिकतम भ्रष्टाचार फैलने की संभावना है । आप सोचें कि जब कोई तकावी लेने आवे तो अपने लड़कों के टीका लगा है या नहीं, इसका सर्टिफिकेट वह डॉक्टर से लेकर आवे, इसी तरह से दाखिला करते समय या शादी करते समय डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, वह वैसा सर्टिफिकेट ले, तो आप जान सकते हैं कि उस गरीब आदमी की बिचारे की क्या हालत होगी ? शिक्षा का तो खैर समय पांच-सात वर्ष बाद आवेगा, पर एक महीने से लेकर पांच सात साल के जो बच्चे हैं उनके लिए आपने क्या प्रोवीजन सोचा है , यह नहीं बताया ?

इसके अलावा बाल विवाह एक्ट का भी उल्लेख किया गया है । उसमें तो सजा का प्रोवीजन है । युनीवर्सिटी का अपना अलग प्रतिबन्ध है । यह तो युनीवर्सिटी ने कानून अलग बना रक्खा है, न कि गवर्नमेंट ने । गवर्नमेंन्ट ने तो बालविवाह एक्ट में वही सजा का प्रोवीजन रक्खा है ।

दूसरी बात यह कही गई कि रुपये का जुर्माना नहीं हो, मिट्टी उठाने या बोझा उठाने का जुर्माना रख दिया जावे । इससे तो मैं यही निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार को अधिक बढ़ावा मिलेगा क्योंकि फिर इसमें डाक्टर की राय लेनी पड़ेगी कि यह आदमी कितनी मिट्टी या कितना बोझा उठा सकता है और कितना नहीं । लोग डाक्टर साहब की खुशामद करके इससे बचने की कोशिश करेंगे और खुशामदी सर्टिफिकेट लेने में भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही । इसलिए यह उचित नहीं है । किसी अन्य देश या प्रदेश के कानून में भी ऐसा प्रोवीजन नहीं है । अगर हम ऐसा करेंगे तो दूसरे देश के लोग जो हमें पिछड़ा हुआ गिनते हैं और भी पिछड़ा हुआ गिनेंगे । इसलिये मैं सोचता हूं कि सन् १८८० के समय की बात सन् ५७ में कहना शोभा नहीं देता ।

इसी प्रकार कहा गया है कि कानून को नहीं समझने वाले लोगों के लिये यह कानून बनाया जा रहा है । कानून दरअसल उन्हीं के लिए बनाया जाता है जो नहीं समझते, पर उन्हें कानून द्वारा समझाया जाता है । इसलिये यह भी कोई उचित बात नहीं है ।

यह भी कहा गया कि ऐसी सजा का प्रोवीजन रखकर माता पिता को चोर और डाकू बताया जाता है । मैं समझता हूँ कि बच्चे के हित में टीका न लगाकर माता-पिता चोर और डाकू से भी ज्यादा गुनाह करते हैं । जिस बालक की जान की हिफाजत करने का जिम्मा माता-पिता पर है, अगर वे उस हिफाजत करने

Page No.71

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

के अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो चोर और डाकू से भी ज्यादा गुनाह वे करते हैं। एक जान, चोरी और डाके के माल से, ज्यादा कीमती होती है। इसकी भी देखभाल करना सरकार का कर्तव्य है। हरएक की जान-माल की हिफाजत करना सरकार का भी कर्तव्य है। कोई आदमी सिर्फ आत्महत्या का प्रयत्न करता है, चोरी और डाकेजनी नहीं करता, फिर भी उसकी भी हिफाजत करना सरकार का कर्तव्य होने से इसके लिये सरकार उसे ऐसे आत्म हत्या के प्रयत्न की सजा देती है। इसी तरह से बालक को जान की रक्षा करना भी सरकार का फर्ज है और इसीलिये यह कानून सरकार ने रक्खा है। इसे सर्व सम्मति से पास करना चाहिए, यह मेरी प्रार्थना है।

श्री होतीलाल (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कानून सदन के सामने रक्खा गया है उससे मैं तो यही समझा कि देश के बच्चों की तन्दुरुस्ती ठीक रहे। इसको कम्पल्सरी किया गया और वेक्सीनेशन न कराने पर सजा का प्रोवीजन भी रखा गया। मैं समझता हूं कि जो एक प्रकृति का नियम है उसके लिए मन्त्री महोदय ने एक चुनौती दी है। हर प्राणी मात्र चाहे वह ह्युमन बीइंग हो या पशु हो, सभी अपने बच्चों को प्यार करते हैं और इसका उदाहरण भी, जब से सृष्टि हुई है तब से अब तक मिलता है। बच्चों के लिए मां-बाप ने अपनी जानें तक दी हैं। ऐसी स्थिति में टीका लगाना अगर दरअसल इतनी फायदेमन्द चीज है तो मैं नहीं समझता कि मन्त्री महोदय आज के समय में उन मां-बापों की उस मोहब्बत, बच्चों के प्रति प्रेम और उनकी सही नीयत पर इस बिल के जरिये क्यों शक करते हैं ? वे यह सोचते हैं कि आज मां बाप का दिल वह दिल नहीं रहा जो पहले था। दरअसल में यदि यह वेक्सीनेशन इतना अच्छा है, जैसा कि हाउस के सामने रखा गया है, तो मैं समझता हूं कि कोई भी मां-बाप ऐसा नहीं होगा जो टीके लगाना पसन्द नहीं करे। तो फिर यह समझ में मेरे नहीं आया कि फिर सजा का प्रोविजन कैसे रखा गया और यदि हम यह देखते हैं, तन्दुरुस्ती लानी है और साथ ही साथ सजा देनी है तो ये दो कोन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं ; वह इस तरीके से जैसे आप बकरे को खून खिलाते जांय और शेर के सामने बांध कर रखें तो वह वहीं का वहीं रहेगा। तो जहां बच्चों की तन्दुरुस्ती वेक्सीनेशन से सुधरे, और मां-बाप किसी वजह से वहां लगाने नहीं जाय तो वे जरूर तन्दुरुस्ती खो बैठेंगे। इसके अलावा जो तन्दुरुस्ती के प्रोविजन्स रखे गये हैं और जो स्वास्थ्य से तालुक रखते हैं, पुराने समय से आज तक एनकरेज करने के लिये सजा नहीं रखी गई, बल्कि एनकरेज करने के लिये, प्राइजेज (Prizes) रखे जाते हैं। हमारे गांवों में दंगल का रिवाज है तन्दुरुस्ती रखने के लिये, लेकिन यह कहीं नहीं होता कि दंगल में जो हारेगा उसको सजा होगी। लेकिन यह होता है कि जो अच्छा होता है या जो अच्छी कुश्ती लडता है उसको इनाम दिया जाता है किन्तु जो हार जाता है उसको सजा नहीं मिलती है। स्कूलों में भी बच्चों को देखते हैं, जो अव्वल रहते हैं गेम्स में उनको इनाम मिलता है, लेकिन जो पीछे रहते हैं उनको सजा नहीं मिलती है। मैं तो यह समझता हूं कि यदि तन्दुरुस्ती के लिए कोई इनेक्टमेंट आता है तो उसमें एनकरेजमेन्ट होना चाहिये जिससे पब्लिक उत्साहित हो, न कि

(श्री होतीलाल)

डर की वजह से कराया जाय और जो डर की वजह से कराया जायगा वह कभी कामयाब नहीं होगा। ऐसी सूरत में जो पनिशमेंट का क्लॉज़ रखा गया है उसको निश्चितरूप से वापिस ले लें, यह मन्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा।

इसके अलावा हो सकता है कि कुछ लोग इसको पसन्द नहीं करें। वैसे तो एक माननीय सदस्य ने यह कहा, तहसील पंचायत के सरपंच होने के नाते वे कह सकते हैं कि उनकी तहसील के सब लोग इससे सहमत हैं। यदि सब लोग सहमत हैं तो फिर सजा का प्रोविजन रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि सब लोग चाहते हैं तो बग़ैर इनेक्टमेंट के भी हो सकता है। मैं यह भी नहीं कह सकता कि यह इनेक्टमेंट सेन्ट पर्सेन्ट क्योर है। ऐसा किसी भी हालत में नहीं कहा जा सकता। जब कि सेन्ट परसेन्ट क्योर नहीं है तो इसे लगाने वालों की मर्जी पर छोड़ना चाहिये और जितनी अच्छाइयें हैं उनको ग्रहण करना चाहिये। सरकार ने जो प्रोविज़न्स रखे हैं, सर्कल्स आदि बनाने के, उन्हें काम में लिया जाय और काम करने वालों को यह ड्यूटी दी जाय कि वे गांवों में जाकर ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। इसके लिये उन्हें इनाम का प्रोविजन दिया जाय। इससे आपको यह फायदा होगा कि बच्चे तन्दुरुस्त रहेंगे, उनका जीवन स्वस्थ रहेगा। तो मैं नहीं समझता कि मां बाप इसको पसन्द नहीं करें। ऐसी सूरत में जो पनिशमेंट का क्लॉज है उसके बजाय यह रखा जाय कि स्टाफ के जो लोग हैं उन्हें अपने सर्कल्स में जाकर बाइ परसुएशन(by persuation)लोगों को समझाना चाहिये और इसके लिये उन्हें इनाम आदि देना चाहिये। जैसे स्कूलों में पहले था, अभी का तो पता नहीं, अलग-अलग स्कूलों के लड़के इम्तहान देने आते थे और जिस स्कूल के लड़के सबसे ज्यादा कामयाब होते थे उसके मास्टर को सरकार की तरफ से इनाम मिलता था। इसी तरह का प्रोविजन रखा जायगा तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा और बिल का जो ऑब्जेक्ट है वह पूरा होगा। पनिशमेंट से ऐसा होना मेरी समझ में नहीं आता। मैं नहीं समझ सकता कि इसके जरिये सरकार क्या अचीव करना चाहती है? आज चेचक की बात है। कल बी. सी. जी. के लिये आयेगा। लेकिन वह इतना कोंट्रोवर्शियल है कि डॉक्टर्स भी एक राय नहीं हैं। मैंने अखबारों में देखा है कि राजगोपालाचारी जी ने कहा है कि यह हानिकारक है। तो ऐसे टीकों को कम्पलसरी किया जायगा तो मकसद पूरा नहीं होगा। मैं यही कहूंगा कि पनिशमेंट के क्लॉज़ को किसी भी हालत में पास नहीं किया जाय।

श्री गोकुलचन्द (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्षजी, इस चेचक विधेयक पर १ तारीख को जब यह प्रस्तुत किया गया था उस समय भी वाद-विवाद चला और इसके १९ क्लॉजेज़ चाहे उनमें संशोधन थे या नहीं थे, वे स्वीकार कर दिये गये और वे १९ क्लॉजेज़ पास कर दिये गये २० क्लॉज जब आपके सामने प्रस्तुत हुआ तो सदस्यों ने इस बात का विरोध किया कि सजा और जुर्माना अधिक है। मैंने भी आपत्ति की थी। इस पर भी खुशी इस बात की है कि मंत्रीजी ने जो संशोधन किया है वह बहुत ही अच्छा है और सदन की भावनाओं पर सोच-विचार कर किया गया है और जब संशोधन प्रस्तुत किया गया है तो अब ऐसी बात नहीं रह जाती है कि इसको

Page No.73

(श्री गोकुलचन्द्र).

पास नहीं किया जाय, मेरी राय में इसको पास करना चाहिए। जो दलील महात्मा गांधी की दी जाती है और कहा जाता है कि जनता पर इसका बुरा असर पड़ेगा इसलिये कम्पलसरी नहीं करना चाहिए। तो मैं अर्ज करूंगा कि देश जब गुलाम था तब उसको स्वतन्त्र कराने के लिये देश के नेताओं और महान् आत्माओं ने कई तरह की बातें कहीं और समाज का संगठन करने के लिये कई बातें बताईं। उनमें से एक बहुत बड़ी बात यह कही कि समाज छिन्न-भिन्न हो रहा है, उसको एक किया जाय और महात्मा गांधी ने जो बातें कहीं उसमें अस्पृश्यता निवारण का है। बहुत बड़ा प्रचार....

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी-पश्चिम) : Mr. Deputy Speaker, the hon'ble member's speech is quite irrelevant to the subject.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रसंग से दूर चले जा रहे हैं और पुनरावृत्ति भी अधिक हो रही है।

श्री गोकुलचन्द (जारी) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का कोई भी विचार प्रचलित किया जाय, वह नहीं मानने में आता है और समाज के लिये वह जरूरी है और यदि मकसद को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं तो उसके लिये कानून बनाना अनिवार्य हो जाता है। इसी तरह से चेचक के टीके लगाना जनता के हित के लिये है। हमारे पिछड़े हुए प्रान्त में हमने देखा है कि बच्चों को चेचक निकलती है तो स्नान करने की मनाही की जाती है और शाक छमकना भी गुनाह समझते हैं। इस तरह के लोगों को, जिनको ज्ञान नहीं है कि यह रोग किस प्रकार का है और इससे बचने का क्या उपाय है, उनके लिये यह जरूरी हो जाता है कि सरकार की तरफ से कदम उठाया जाय और रोक थाम की जाय। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरी राय है कि यह विधेयक पास किया जाय।

श्री अर्जुनदास : I think, Sir, we should have the views of the lady members in this respect. So much is being discussed but the lady members are not participating.

श्री उपाध्यक्ष : A little louder please.

श्री अर्जुनदास : So much is being discussed on the floor of the House with regard to matters which directly have a bearing on the health and well being of the children. shall I make a request to the lady members to speak so that the House may have the benefit of their views.

श्री उपाध्यक्ष : We cannot be helpful in this matter. If it is a suggestion. Please persuade them to speak, but outside the House.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय सदस्य से यह कहना चाहता हूँ कि उन्हें मालूम होना चाहिये कि महिला सदस्यों ने भी इस बात पर प्रकाश डाला है और दो-तीन महिलाओं ने इस विषय पर प्रकाश डाला है।

सवाल ऐसा पैदा किया गया है कि क्या इस प्रकार का कानून लागू किया जाय या

(श्री मूलचन्द डागा)

नहीं ? हम जानते हैं कि बड़े बड़े हमारे माननीय सदस्यों ने भाषण दिये । उन्होंने मेरी समझ में, अपना जो भावना का कोष था, उसका ज्यादा उपयोग किया, बड़ी बड़ी बातें कही, लम्बी चौड़ी अपनी दलीलें पेश कीं। मैं तो समझता हूं कि उन दलीलों में कोई तथ्य नहीं था। जयपुर के रहने वाले महान् सदस्य ने इतनी बात कह दी कि गांवों में डेढ़ करोड़ व्यक्तियों पर यह कानून लागू होगा। क्या मैं नहीं समझता हूँ कि यह किसी निश्चित क्षेत्र में लागू किया जायगा या हर जगह लागू किया जायगा ? जो रूढ़िगत विचार हैं उनको दूर करने का उपाय किया जाय। क्या सरकार मना करती है कि प्रचार के द्वारा, दूसरे तरीकों के द्वारा प्रचार किया जाय कि हमें यह काम करना चाहिए। जो गांवों में अज्ञानता है जो अन्ध विश्वास में पलते हैं और जो देवी-देवताओं के आधार पर बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करते है. उस जनता के अन्दर ऐसे कानून को लागू कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि जब न्यायाधीश कुर्सी पर बैठता है तो क्या वह यह नहीं सोचता है कि माता या पिता किस हालत में समय पर नहीं जा सके, केवल स्टेट फोरवर्ड ऑर्डर जारी कर देते हैं और उनको बड़ी सजा मिलती है। मैं जानता हूं कि बोलने वाले सदस्य एक अच्छे वकील हैं, उन्हें मालूम होना चाहिये कि हर एक आदमी की बात उसके इरादे से देखी जाती है। कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि ऐसा कानून बनाना चाहिये था, यह तो बहुत पुराने कानून की नकल की गई है। मैं समझता हूँ कि हर कानून पुराना होता है, कानून में संशोधन हो सकते हैं। कानून पुराना है तो उसको छोड़ नहीं सकते, पुरानी चीज को अवहेलना की दृष्टि से नहीं देखना चहिये। हम चाहते है कि जिस देश में अन्ध विश्वास है, जिस देश में विज्ञान की तरक्की नहीं हो सकी है, उस देश के अन्दर आज हम लोगों को इस प्रकार के कानून बनाने चाहिये जो जनता में ऐसी चीज पैदा करे, यह पैदा करें कि भाई, अगर टीका न लगवाया जायगा तो हमको सजा मिलेगी। मैं समझता हूँ कि ऐसी बात क्यों सोचते हैं कि ऐसा समय मुकर्रर किया जायगा जिस समय लोग काम में लगे हुए होंगे या ऐसा समय निश्चित किया जायगा जिस समय लोगों को आने में असुविधा होगी। यह बात नहीं है। दर असल समय वही निश्चित किया जायगा जिस समय किसान की औरतों के पास ज्यादा काम न हो। तो मैं इन बातों को, जो बढ़ा-चढ़ा कर कही गई हैं कि ऐसा कानून बनाया तो देश में भ्रष्टाचार फैलेगा, यह बात फैलेगी; मैं समझता हूँ कि इस कानून को पढ़ने के बाद बहुत कम यह बात कही जा सकती है क्योंकि इसमें यह है कि एक क्षेत्र में कुछ लोग इकट्ठे होते हैं। वहां वेक्सीनेटर आता है, टीका लगा कर चला जाता है। इससे ऐसी बात नहीं होगी कि भ्रष्टाचार फैलेगा, बल्कि डेढ़ करोड़ की जनता में तरक्की लाना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कि तरक्की लाने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि तरक्की के लिए कानून लगाना चाहते हैं। जैसे चाइल्ड मैरेज एक्ट है, इसके लिए कानून लागू किया जाता है यानि कम उम्र के बच्चों की, यानि बाल्यावस्था में शादी कर देते हैं तो वह कानूनन जुर्म है। इसी तरह माता-पिता का यह कर्तव्य होगा कि वे देखें कि उनके लड़कों का स्वास्थ्य अच्छा हो, वैसे कौन माता पिता

Page No.75

(श्री मूलचन्द डागा)

नहीं चाहता, पर फिर भी कानून का भय रहता है। मैं समझता हूँ जो हमारे देश की परिस्थिति है हमारे मुल्क की जनता अन्ध-विश्वास में पलती है, गांवों में अभी तक जनता रुढ़ियों से ग्रसित है, ऐसी हालत में यह कानून लागू किया जाना चाहिये क्योंकि इस कानून के लागू होने से हमारे देश के बच्चों, जो भावी राष्ट्र के निर्माता होने वाले हैं, की रक्षा होती है।

श्री शिवचरणदास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय.......................................

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Minister has caught my eyes.

(श्री बद्रीप्रसादजी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अर्जुनदास : He may be the last speaker.

श्री उपाध्यक्ष : I think you (The Hon'ble Minister) are to put some suggestions.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से सदस्य हैं, उनमें से कुछ इस पर बोलना चाहते हैं, उनको बोलने दिया जाय। मंत्री महोदय डिबेट का जवाब दे रहे हैं, उनको रोका जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Let me ascertain myself.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं जवाब देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Other member are still to speak.

श्री सोहनलाल भटनागर : उपाध्यक्ष महोदय, २८ आदमी कल बोल चुके हैं और २८ सदस्य आज बोले हैं। इसलिए मेरे ख्याल में इस प्वाइन्ट पर काफी बहस हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष : You want to move the closure.

श्री सोहनलाल भटनागर : Yes, Sir, I move that the motion may be closed.

श्री भैरोंसिंह : क्लोजर मूव करने का यह समय नहीं है। क्लोजर मोशन तभी मूव हो सकता है जब कोई सदस्य सदन में बोलने के लिए खड़ा न हो। जब उपाध्यक्ष महोदय ने सदस्य को बोलने के लिए संकेत कर दिया तो क्लोजर मोशन मूव करने की आवश्यकता नहीं है और न कर सकते हैं। माननीय सदस्य क्लोजर मोशन मूव करने से पहले नियमावली पढ़ लें।

श्री उपाध्यक्ष : I allow Mr. Shiv Charan Dass to go on with his debate.

श्री शिवचरणदास (मांडल): माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि चार रोज से वादविवाद चलने के पश्चात् भी हम इस छोटे से निर्णय पर नहीं पहुँचे, इसका मुझे दुःख है। मैं अपना निवेदन कर चुका हूं। मुझे पता नहीं, क्यों हम सदन के सदस्य इस छोटी सी चीज पर इतने लम्बे चौड़े वाद-विवाद में पड़े हैं। स्थिति और यह बात पूर्णतया साफ

(श्री शिवचरणदास)

कर दी गई है। वाद-विवाद के बाद केवल प्रश्न इतना शेष है कि हम सजा मुकर्रर करें या नहीं ? हमें इस पर सोचना है। मुझे तो यह दिखाई देता है कि सदन ने इस बिल को तो पास किया लेकिन अब प्रश्न सजा का आ जाता है तो सजा के सम्बन्ध में हमें सबसे पहले देखना है कि यहां पर कई वकीलों और विद्वानों ने विचार रखे लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि सजा का का प्रोवीजन हम इस कानून में क्यों रखने जा रहे हैं ? जब हम उसकी भूमिका को देखते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में सजा का प्रोवीजन करना जरूरी है। सजा का मतलब यह होता है कि सजा देने से पूर्व उसकी भावना देखी जाती है। मेरे पूर्व वक्ताओं, सामने वाली पार्टी के सदस्यों ने कहा था कि यह विचार-धारा का प्रश्न है, भावना का प्रश्न है लेकिन भावनाओं के साथ उन्होंने इस पर नहीं सोचा है, भावना क्या उनकी नेक है या बद ? अगर बद-भावना के साथ माता पिता कुसूर करते हैं और बच्चे को टीका नहीं लगाते हैं, तो उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन यह प्रश्न नहीं है, यह वाद-विवाद से स्पष्ट हो चुका है कि माता पिता की भावना बुरी नहीं होती, कोई मा या बाप यह नहीं चाहता कि उनके बच्चे अस्वस्थ रहें, कोई नहीं चाहता कि बच्चा मर जाय। मैं समझता हूँ कि एक पुत्र के होने पर भी माता पिता दूसरे की इच्छा करते हैं, दूसरे के बाद तीसरे की और तीसरे के बाद चौथे की इच्छा करते हैं, उनकी तृष्णा मिटती नहीं; यह संसार का एक नियम है। जहां तक भावनाओं का प्रश्न है हम अच्छी तरह से इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि भावना बुरी नहीं। इसलिए जब भावना बुरी नहीं तो प्रश्न नहीं उठता कि उनको सजा दें। अब यह बताया गया कि हम पहले काफी बिल पास कर चुके हैं, तो उनमें सजा रखना अनिवार्य होता है। मैं समझता हूं कि हमने यदि पाच छः के बजाय ११, १५ कह दिया, एक बार गलती कर ली तो क्या हमें यह अधिकार नहीं कि त्रुटि को वापिस सुधार लें। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, और आपके द्वारा सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि हमने यदि भूल से,या किसी विशेष विचार के कारण से, हठ के कारण अथवा बहुमत का दुरुपयोग करके एक चीज पास कर दी है तो उस पर दुबारा विचार करना कोई पाप नहीं होगा। इस पर विचार करने का प्रश्न आता है। जहां तक भावना का प्रश्न है, हम इस निर्णय पर पहुंच गये हैं कि वास्तव में भावना माता-पिता की स्पष्ट है, इसलिए प्रश्न नहीं उठता कि सजा दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और निवेदन करूं कि यह जहां ६ महीने की सजा और एक हजार रुपया जुर्माने की सजा को घटा कर एक महीने की सजा और २०० रुपये जुर्माने की सजा रखी है वह भी ज्यादा है, इस प्रकार का विश्लेषण किया जाता है। मैं तो उनसे आगे बढ़ता हूं कि अगर कोई माता पिता गलती करते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि एक कानून में एक जगह प्रोविजन है कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ से असावधानी से आदमी भी मर जाता है तो मजिस्ट्रेट उसको सजा नहीं देता, छोड़ देता है; तो जो माता पिता असावधानी से अपने बच्चे के टीका नहीं लगवा सकते, वे जेल के भागी होंगे ; तो यह हमारे प्रजातंत्र के लिये एक बड़ा कलंक का टीका होगा। जहां स्वतंत्रता का प्रश्न आता है वहां हमारे लिये यह लज्जा

Page No.77

(श्री शिवचरणदास)

की बात होगी। एक सदस्य ने कहा कि हमारे इस सदन में १७६ प्रतिनिधि जनता के प्रहरी के रूप में हैं, मैं तो समझूंगा कि इस कानून को पास करके हम १७६ पहरेदार या तो ऊंघते हैं या बेखबरदार हैं, हम अपनी ड्युटी पूरी अदा नहीं करते। मैं निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि आज इस आजादी के जमाने में हमारी यह भावना रहती है कि किसी नागरिक पर जबरदस्ती कानून थोप कर उसको मजबूर न किया जावे, क्योंकि आज इसकी जरूरत नहीं है। आजादी में जरूरत इस बात की है कि हमारे देश के नागरिकों का उत्थान इस तरह से किया जाय, उसे समझाया जाय या उसकी अज्ञानता को शिक्षा के द्वारा दूर करें। यह नहीं कि आज जिस तरह पहले हमारा देश गुलामी में बंधा हुआ था उसी तरह से आज फिर उसी बंधन या गुलामी के द्वारा, किसी कानून के दबाव के द्वारा एक नागरिक को प्रतिबंधित करें। इसका मतलब तो यह होगा कि हमने विदेशी हुकूमत को दूर अवश्य किया, उसके अत्याचारों को दूर किया और सामन्तशाही को दूर किया, पर आज ढकोसले के रूप में सामन्तशाही बताते हुए (बरतते हुए) अभागे नागरिकों पर दबाव डाल कर उनको उतना ही गुलाम बनाये रखना चाहते हैं जैसे कि गुलाम आज से १०-११ वर्ष पहले यहां के अभागे नागरिक थे।

माननीय उपाध्यक्ष, एक बात में यह निवेदन करूंगा कि आज इस बात को लेकर सदन में वाद-विवाद नहीं हो रहा है कि हम जनता का हित करने की भावना से प्रेरित हो कर वाद-विवाद कर रहे हैं। वाक् चातुर्य प्रदर्शित किया जा रहा है। सत्तारूढ दल के दिल में भावना हो गई है कि बहुमत तो हमारा है ही, जैसा चाहेंगे वैसा बहुमत के बल पर करेंगे, इसीलिये विरोधी दल कितनी ही अच्छी से अच्छी बातें रखता है तो उनको अस्वीकार कर दिया जाता है। जनता की भलाई की भावना को लेकर वाद-विवाद नहीं हो रहा। अगर जनता की भलाई की भावना होती तो कोई जरूरत नहीं थी कि इतने बड़े-बड़े शब्दों में, भाषा में इस जनता की भलाई की अवहेलना की जाती। मैं तो यह समझता हूँ कि आज सामन्तशाही या नादिरशाही कह दूं, मुझे दुःख है, ये शब्द कहते हुए उपाध्यक्ष महोदय, पर जहां तक मैंने मनन किया है इस सदन का तो प्रत्यक्ष रूप में सत्तारूढ दल की ओर से बता दिया गया है कि विरोधी दल की कोई बात ठीक हो तो भी उसका विरोध करें, मानो उसका मानना उनके लिये पाप होगा। पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह पाप नहीं, बल्कि इस बिल को वापिस लेकर हटा कर सच्चाई का परिचय देंगे। माता-पिता को आप जो दंड देना चाहते हैं, मैं बताऊं आपको कि दो महीनों के बजाय छः महीने की सजा दे दें, एक साल की सजा बढ़ा दें और २०० रुपया जुर्माना के बजाय आप २००० रुपया जुर्माना की सजा बढ़ा दें, परन्तु इससे ज्यादा माता-पिता के लिये क्या सजा हो सकती है कि हमेशा के लिये अपने पुत्र को खो बैठते हैं। जो अपनी गलती का दण्ड वे भुगतेंगे उसका तो यह गवर्नमेंट, जो भौतिकवाद में विश्वास करती है, अन्दाज नहीं लगा सकती कि कितना दुःख माता-पिता को उस अपने पुत्र को हमेशा के लिये खोकर होगा।

आज हम बहुत आगे बढ़ गये हैं और आज जनता भी जो अशिक्षित है इस बात को समझ चुकी है और चाहती है कि अपनी

(श्री शिवचरणदास)

संतान के टीका लगवाये। एक तरफ तो हम यह चाहते हैं कि हम टीका लगवायें और दूसरी तरफ गुलामी में बांध कर उनकी आजादी को छीनें, यह आज आजादी के युग में सहन नहीं किया जा सकता।

इसलिये माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बिल को वापिस लेकर उदारता का, सच्चाई का और लोक प्रियता का परिचय दें जिससे सदन के हर कार्य की, कम से कम इस कार्य की जिसका कि प्रभाव जिन आम लोगों तक पहुंचने वाला है। वे आपकी तारीफ करें।

हमने कुछ समय पहले नुख्ते बन्द करने का कानून बनाया था। मैं नजीर के रूप में निवेदन करूंगा कि हमने वह भी गलती की थी। मैं यह मानता हूं कि नुख्ते को प्रथा वास्तव में कलंक रूप है, परन्तु उस कानून को उठाना पड़ेगा क्योंकि उस कानून से नागरिक दुखी और परेशान हो चुके थे। पास होने के बाद यह कानून भी वही रूप लेने जा रहा है, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि एक तो यह है कि मन्त्री महोदय इस बिल को उठा लें, वापिस ले लें। अगर इसे उठाना वे ठीक नहीं समझते हैं तो मैं जोरदार शब्दों में निवेदन करूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द तो अवश्य कर दिया जाय। इसके बाद इस पर सोचें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष : बहस पर्याप्त हो चुकी है। मेरा ख्याल है, पांच-पांच मिनट प्रत्येक सदस्य को दे दिये जायं।

श्री शिवपतसिंह : यह हमारे साथ अन्याय होगा....और सब सदस्यों को २०-२० मिनिट का समय दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : I do not want to curtail the rights. If the House so allows me, then only it can be agreed. Yes, go on.

श्री रामचन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष, अब मैं बोलूंगा, ऑपोज़िट बैंच के बोल चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Not to that extent please.

श्री शिवपतसिंह (हनुमानगढ़): अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर दो दिन से बड़ी चर्चा चली। सत्तारूढ़ दल ने दावा किया कि बच्चों के लिये पहला कानून बन रहा है। हमें बड़ी खुशी हुई, बच्चे हमारे भी हैं हमें बड़े प्यारे हैं, हौसला हुआ कि बच्चों के लिये कानून आ रहा है, पर बच्चों के लिये जो कानून आ रहा है. बच्चों के लिये जो कानून चल रहा है उपाध्यक्ष महोदय, वह कितना अनइन्ट्रेस्टिंग है, कोई भी मिनिस्टर नहीं हैं, प्रेस गैलेरी खाली है और दर्शकों की गेलेरी खाली होती चली जा रही है। यह सब इस बात का सुबूत है कि कितना अनइन्ट्रेस्टिंग यह कानून है पर वे जिद्द पर अड़े हुए हैं।

सत्तारूढ़ दल के साथियों ने स्वीकार किया है कि इस पर सजा होनी चाहिये और जुर्माना भी। इसके बाद यह सवाल उठता है कि यह कितना जरूरी है। हम सजा के डर से या जुर्माने के डर से इसको कामयाब कर सकते हैं या नहीं? मैं यह कहूंगा कि इसमें न सजा की और न जुर्माने की जरूरत है। अगर थोड़ी सी स्पिरिट से काम लेते तो हम इसको पंचायतों में लागू

(श्री शिवपतसिंह)

कर सकते और टीका लगाने का काम पंचायतों को दे देते, तो पंचायतें इस काम को ज्यादा अच्छी तरह से कर सकती थी। पंचायत के लोग ज्यादा जान सकते थे कि इसको किस प्रयोग से दूर किया जा सकता है। इसलिये मैं इस पर ज्यादा न बोलते हुए यही कहूँगा कि इस पर बहुत वाद-विवाद हो चुका है और मैं यही उचित समझता हूं कि यह बिल अभी पास नहीं होना चाहिये। यह बड़ी अनइन्ट्रेस्टेड चीज है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

४.०१—म० प०

श्री रामचन्द्र (डग) : माननीय उपाध्यक्ष, अभी इस बिल पर बहस होते दो दिन हो गये हैं और सभी ओर से इस बिल पर जायज और नाजायज तरीके से खूब इसको खखोला।

श्री अर्जुनदास : On a point of order, can the Hon'ble Member possibly suggest that the talk is 'Nazayaz' ? The word 'Nazayaz' is unparliamentary and he should be asked to withdraw it.

श्री उपाध्यक्ष : It does not seem to be unparliamentary, if judged in the context of his speech.

श्री अर्जुनदास : Then, shall we be permitted to use the same term for the speeches from the Treasury Benches ?

श्री उपाध्यक्ष : In the context in which it has been used, it is not unparliamentary.

श्री रामचन्द्र (डग) : तो मैं अभी यह कहना चाहता था कि यह बिल जो पास करने के लिये आज सदन के सामने रखा गया है और इसे पारित करने के पहले कुछ सदस्य इसके विरोध में भी बोले हैं और कुछ इसके पक्ष में। मैं यह दिखला देना चाहता हूं कि हमको पहले यह समझ लेना चाहिये कि सरकार को यह विधेयक पेश करने की और आज सदन के सामने रखने की क्यों आवश्यकता हुई? यदि महानुभाव इस बात को जान लेते कि सरकार को विधेयक पास कराने की क्यों आवश्यकता है तो मेरे खयाल से इस विधेयक पर इतनी बहस ही नहीं होती क्योंकि विधेयक पास कराना कि जिसके द्वारा सरकार यह चाहती है कि समाज में कुछ अव्यवस्थित रूप से वातावरण फैला हुआ है या जिसके द्वारा समाज में गड़बड़ी है वह विधेयक के रूप में पास हो जाने से दूर हो जावेगी क्योंकि हम इस स्वतन्त्र राष्ट्र के रहने वाले हैं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि सरकार उनके अधिकारों की रक्षा करे। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वह स्वास्थ्यमय जीवन व्यतीत करे और स्वस्थ वातावरण कायम रखे जिससे कि राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इसको पास न करने के लिए जो दलीलें दी जा रही हैं उनमें अधिकतर महानुभावों ने इस बात पर जोर दिया है कि विधेयक क्यों पेश किया गया और पास कराया जा रहा है और इसको पास करके लोगों के साथ अन्याय होगा और इसके द्वारा बच्चों को कष्ट देना कम्पलसरी किया जा रहा है। मगर मैं यह कहूँगा कि इस बिल के पास होने से न बच्चों के साथ जुल्म होगा और न अन्याय ही। यह तो समाज की रक्षा के लिये

Page No.80

(श्री रामचन्द्र)

किया जा रहा है क्योंकि कुछ बीमारियें ऐसी होती हैं जो दूध द्वारा फैलती हैं। यदि वे एक समाज के भाग में मौजूद है तो वह बीमारी दूसरे भागों में जा सकती है। इसलिये सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि समाज के प्रत्येक अंग को स्वस्थ रखने के लिये इस प्रकार के नियम बनाए कि समाज के एक भाग की बुराई दूसरे भाग में न जावे और इसी आशय को लेकर चेचक विधेयक सदन के सामने रखा गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति करने में और सदन के सामने बिल रखने में सरकार का केवल इतना ही अभिप्राय है कि चेचक जैसा भयंकर रोग (बीमारी) जो एक शहर से दूसरे शहर में और एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में फैल जाती है रोकी जा सके। इसलिये किसी भी शहर या मोहल्ले में इस बीमारी को रोकने और व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के हेतु सरकार के लिये आवश्यक हो जाता है कि जिन लोगों में चेचक की बीमारी फैली है और उसके फैलने के जो कारण हैं उनको दूर किये जावें जिससे दूसरी जगह इस प्रकार की भयंकर बीमारी न फैले और इसीलिये आज चेचक विधेयक को सदन के सामने रखा गया है और उसको पारित कराने का प्रयत्न किया जा रहा है जिससे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो सके और इसीलिये सरकार ने यह बिल सदन के सामने रखा है और मैं सदन से यही प्रार्थना करूंगा कि यह विधेयक हमारे सामाजिक विचारों से उपयोगी है और इससे न बच्चों के प्रति अन्याय होगा और न इसमें किसी प्रकार की बुराई है। यह जो प्रस्ताव है यह तो हमारे समाज की रक्षा के लिये है और इसकी रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। इसलिये मैं उपाध्यक्ष, यह प्रस्ताव करूंगा कि इसको सर्व सम्मति से पारित किया जाए।

श्री अर्जनदास : The hon'ble member does not know that he has got to address as "hon'ble members'. All along he has been using 'सदस्य, सदस्य'

(श्री रामचन्द्र की ओर संकेत करके)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लगाया जाना उचित है।

श्री रामचन्द्र: गलती है, उसका आयन्दा ध्यान रखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : He realises his mistake.

श्री अर्जनदास : Thank you very much.

श्री उपाध्यक्ष : मेरा यह ख्याल है कि इसको........

श्री रामकरणसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, आज इस पर काफी वाद-विवाद हुआ। पुराने कोटेशन्स दिये गये। कुछ लोग ऊंघ रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ महानुभाव बाहर जाकर अपना समय बिता रहे थे जो तय होनेवाला था अभी नहीं हुआ। चार बज चुके हैं....

श्री उपाध्यक्ष : Please come to the subject.

श्री रामकरणसिंह : मैं इसकी भूमिका बांध रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप भूमिका न बांधे। विषय पर ही चलें तो अच्छा।

Page No.81

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : इसी तरह चेचक के बारे में जुर्माना और दंड माननीय मन्त्री महोदय ने निर्धारित किया है, उसमें मूव किया था उस समय १०००) था और ६ महीनों की सजा थी, मगर अब रिड्यूस करके एक हजार जुर्माने के बजाय २००) और ६ महीने की सजा के बजाय एक महीने की सजा रखी है। वास्तव में जब सभी माननीय सदस्यों ने महसूस किया कि वास्तव में जो चीज है वह अनुचित है तभी सरकार ने कुछ कम किया है। जब आपने इसको अनुचित मान लिया है तो क्यों न इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे और आगे के लिए जनता में इस चीज का प्रचार कराया जावे कि इसको मंजूर कराया जावे या नहीं।

माननीय सदस्यों ने बताया कि हमारी तहसील में इस तरह का कोई भी आदमी खिलाफत कर सकता है। मैं तो केवल तहसील का रहने वाला हूं। बहुत से सदस्य देहात के रहने वाले हैं और वे सभी जानते हैं कि खास कर देहात वालों के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उनको देहात वाले नहीं जानते क्योंकि वे अपने कूओं पर रहते हैं या दूर दूर खेतों पर काम करने चले जाते हैं। यदि इस प्रकार का कानून बनेगा तो गांव के लोग अपने अपने खेतों में और कूओं पर जावेंगे। उस समय यदि कोई वेक्सीनेटर उनके घर पर जावेगा और उनको यदि इसकी इतला न मिली और उसके पास नहीं पहुँच सके तो उस समय उन बेचारों की क्या हालत होगी? बाद में इसमें कोई शक नहीं कि एक भेली के बदले पूरा गन्ना देना पड़े। लेकिन उस समय वह बेचारे अशिक्षित जिसको इस बात की नहीं मालूम हो जिनको समय पर इत्तिला न मिल पाये, वह समय पर आकर टीका न लगवा सके लेकिन जब दूसरे दिन गांव में आता है तो उसे मालूम पड़ता है कि यहां पर टीका लगाने वाले आये थे और तुमने टीका नहीं लगवाया और अब तुम्हारे ऊपर केस चलेगा और तुमको आगे आने वाले दिनों में सजा दी जायगी, तुम्हारे ऊपर जुर्माना किया जायगा; तो उस समय वह अपना काम छोड़ देगा, खेती का काम छोड़ देगा और उस काम को छोड़कर, अपने खेत को छोड़कर जिसको उसने बच्चे की तरह पाला था कचहरी की तरफ भागेगा या फिर कहीं अपने माननीय सदस्य महोदय के पास जायगा और कहेगा कि किसी भी तरह से इससे मेरा पीछा छुड़वाओ, हम तुम्हारा हर तरह से साथ देंगे। तो इस तरह से यह सजेशन दोनों तरफ से रखे गये हैं। कई माननीय सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया है और कइयों ने फेवर किया है। जिन्होंने इसको फेवर किया है उनको भी इस चीज से जरूर कोई न कोई फायदा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि उनको जिन्होंने इसको फेवर किया है उनको फायदा न मिले। उन लोगों के ऊपर अपना अहसान रख कर कि समय पर उन लोगों से काम लिया जाय इस बिल को रखा गया है। लेकिन इसके अलावा सरकार को कोई भी इससे फायदा होने वाला नहीं है। इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अर्ज करूं कि जो भी इन्सान अपने बच्चों को चेचक से बचाना चाहते हैं वे कोई भी यह नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर पाबन्दी लगे कि वह अपने बच्चों को टीके लगवायें ही। मैं कहता हूं कि माता वगैरह पर जो बच्चों के बाल या मुण्डन होता है या उनकी कोई जात लगती है तो इस तरह का कोई लॉ सरकार ने बना रखा है उनको वहां जाना ही पड़ेगा। यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि कलकत्ता,

Page No.82

(श्री रामकरणसिंह)

बोम्बे, देहली और यहां तक कि विदेशों से भी काफी कष्ट सहकर और कई प्रकार के दुख उठाकर भी, अपने कारबार छोड़कर इसके लिए आते हैं; तो क्या सरकार ने वास्तव में इसके लिए कोई कानून बना रखा है, जिसके लिए कि हम इतनी दूर से आते हैं। यह तो एक आदत सी हो जाती है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि अगर कानून का बनाना जरूरी है और कानून में दण्ड वगैरह का क्लॉज़ पेश कर रहे हैं, इसके बजाय यदि आप उसका प्रचार करवायें, जगह जगह उसके फायदे के लिए ढिंढरा पिटवायें, हर तरह से प्रचार कर के लोगों को यह समझायें कि टीका लगाना अच्छा है और यह फायदे की चीज है तो शायद जो कानून हम बनाने जा रहे हैं और इस कानून में जो दण्ड वगैरह देने की व्यवस्था रखी है इसकी आवश्यकता न रहे और इस प्रचार आदि का असर शायद अधिक होगा और इसका इम्प्रेशन लोगों पर बहुत अच्छा पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि हर एक चीज को कोई भी माननीय सदस्य एक जिद्द के रूप में न लें। इधर से विरोध हो रहा है तो उधर से इसका समर्थन हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि जिद्द लेकर ही वादविवाद अधिक हो रहे हैं। अच्छा होता यदि अपोज़ीशन वाले यह समझ लेते कि इनकी जिद्द पूरी हो जाने दो या फिर उधर से ही स्पोर्ट्समेन स्पिरिट मानकर यह चलते कि जो दलीलें विरोधी पक्ष के लोगों ने दीं वे वाजिब हैं और उन पर गौर करते। अच्छा तो यह होता कि विरोधी दल के सदस्यों के कहने के मुताबिक इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाता ताकि इस पर अच्छी तरह से विचार किया जा सकता। जनता में इसका ऐसे ढंग से प्रचार हो जिसमें हर आदमी को अपने विचार जो कि सजा और दण्ड से बुरी भावना फैलाने वाले हैं उनको किसी भी तरह का मौका न मिले तो ज्यादा अच्छा होता। अतः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आखिर में यही अर्ज करना चाहता हूँ कि जिन माननीय सदस्यों ने इसके लिए इस तरह का वाद-विवाद किया कि गांधीजी को भी इसमें बुरा भला कहा है और उसको किसी और ही तरह का रूप दिया है, इस तरह का वाद-विवाद यहां पर नहीं आना चाहिए था और इसमें गांधीजी के लिए भी कोई रूप देकर जो बात कही गई वह अनुचित है। गांधीजी ने कोई चीज ऐसी नहीं कही है जो हमें माननी चाहिए और कई चीजें ऐसी कही हैं जो शायद कोई भी नहीं मानता हो। लेकिन कम से कम जो आज उनका नाम लेकर फायदा उठाने वाले हैं उनको तो यह मानना ही चाहिए कि गांधीजी के लिए कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। वास्तव में वह तो एक महात्मा थे, उनकी हर बात को मानना चाहिये। अतः मैं माननीय मेम्बरों से यह अर्ज करूंगा कि किसी भी तरह का वाद-विवाद आये तो उस समय महात्मा गांधी के लिए किसी के भी दिल में किसी तरह की भावना नहीं आनी चाहिए और किसी के भी दिल में यह भावना .. ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बिल की तरफ आइये।

श्री रामकरणसिंह : वही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा दूर मत जाइये।

श्री रामकरणसिंह : यही मैं अर्ज करना चाहता था। इसके अलावा मैं मान—

(श्री रामकरणसिंह)

नीय मेम्बरों से और माननीय मन्त्री महोदय से यह अर्ज करूंगा कि चेचक के टीके नहीं लगवाने पर जो दण्ड के रूप में दो सौ रुपया और एक महीने की सजा रखी है इसके बजाय यदि माननीय मन्त्री महोदय कुछ विचार करें और इसको ऐसा रूप दें कि इसका जनता में किसी तरह का विरोध न हो और जनता में इसका हर तरह से अमल हो, यही अच्छा है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इसको ऐसे रूप में रखा जाये कि जिससे यह सुचारु रूप से चले।

श्री धर्मपाल (नोहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सदन में बिल पेश हुआ है इसकी बड़ी ही अत्यन्त आवश्यकता थी। हमारे देश में चेचक बहुत ही भयंकर बीमारी है और यह एक तरह से संक्रामक रोग भी है। यह एक जगह से शुरू होती है तो इसका आगे बहुत ही लम्बा रूप होता जाता है। इसको रोकने के लिए ऐसे कानून की अति ही आवश्यकता थी और सरकार ने महसूस किया कि इस प्रकार का कानून होना चाहिए और इसीलिए बिल को सदन में पेश किया। मैं बता सकता हूं कि जिन आदमियों को यह बीमारी लग चुकी है वह समझ सकते हैं कि यह कितनी भयंकर बीमारी है। हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि चेचक एक भयंकर बीमारी है, इसका आक्रमण खास तौर से बच्चों पर होता है। इससे किसी की आंख चली जाती है, किसी का नाक खराब हो जाता है, किसी का कान खराब हो जाता है और किसी का हब्शी जैसा मुंह हो जाता है, किसी का ऐसा मुंह हो जाता है जैसे जामुन पर नमक छिड़क दिया हो। तो ऐसे भयंकर रोग की इस कानून के द्वारा यदि हम रोकथाम कर सकें तो हमारे लिए यह बहुत ही शुभ बात होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों से यह अर्ज करूंगा कि इस बिल के पास करने में हमें किसी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए। मैं इतना कहकर सदन का समय ज्यादा न लेकर अपने स्थान पर बैठता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के थर्ड रीडिंग पर जो दलीलें दी गई हैं मैं समझता हूं अधिकतर दलीलों का जवाब मैं निवेदन कर चुका हूँ। जो बात सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए कही गई वही बात रिपीट की गई है। इसी प्रकार क्लॉज २० के बारे में भी जो बातें पहले कही गई थीं उन्हींका रिपीटिशन फिर से हुआ। मैं सदन का समय जो बातें पहले अर्ज कर कर चुका हूँ दुबारा उनको निवेदन करने में नहीं लूंगा, कुछ नई बातों का जो उल्लेख किया गया है उसी सम्बन्ध में निवेदन करूंगा।

एक मोटी दलील यह दी गई, चूंकि गांधीजी वेक्सीनेशन के खिलाफ थे इसलिए इस प्रकार का कानून नहीं बनना चाहिये, मैं इस बात को जानता हूँ कि गांधी जी इस बात को कहते थे। अगर हम गांधीजी की बातों को, जिस प्रकार उन्होंने हमको आदेश दिये, उन्होंने उपदेश दिये उसी प्रकार से अगर देश माने तो हम सब लोग, मैं समझता हूँ, इस प्रकार के कानून के बनाने की आवश्यकता नहीं होती। वे तो युग पुरुष थे, उन्होंने हमें एक मार्ग दिखलाया, उनकी इस बात को मैं मानता हूं। हमारे समाज में जिस प्रकार की कमजोरी है, खामियां हैं हम गांधीजी के उपदेशों के

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

योग्य साबित नहीं कर सकते। इस कारण हमारी समझ में इस प्रकार के कानून की आवश्यकता हुई, और इसका प्रबन्ध हमें करना पड़ा।

गांधीजी की बातों का अनुसरण और उनके उपदेशों का पालन हम करें तो सदन के अधिकतर सदस्य इस बात को जानते हैं कि गाँधी जी प्राकृतिक चिकित्सा के हामी थे। जब उनके खुद के इलाज कराने की बात आई तो उन्होंने कहा मेरी दवा राम नाम है। मैं सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा, अगर हम लोग इस बात में विश्वास करें तो हमारे यहां सफाखाने हैं, जितनी डिस्पेन्सरियां हैं जितने भी इलाज के उपकरण हैं वे सब बन्द हो जायेंगे। मैं खुद चाहता हूं कि ऐसा हो जाय कि जितने भी सफाखाने हैं सब बंद कर दिये जायं। अगर वास्तव में माननीय सदस्यों के कहने की यही मन्शा हो तो मैं इस बिल को वापिस लेने के लिए तैयार हूं और गांधीजी के उपदेशों पर और राम नाम की दवा पर आधारित रहना चाहते हों तो हमें ये औषधालय और डिस्पें-सरियां बन्द कर देनी चाहिये और केवल राम नाम के अलावा दूसरी दवा नहीं देनी चाहिये। क्या हम इन उपदेशों के अनुसार कार्य करने को तैयार हैं? वास्तव में देखा जाय तो नहीं। मैं इसको अपने समाज की कमजोरी मानता हूं। यह जो उपदेश उनके हैं वे इस समय के उपयुक्त नहीं हैं।

हम अपनी बात यदि सदन के सामने रखें तो हमें मालूम होगा कि हमारे समाज में एक कमजोरी है इसलिये मेरे जो उपदेशक महोदय हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे खुद ही उन उपदेशों को मानने की कोशिश करें, उनके उपदेशों पर चलने की कोशिश करें और उसके अनुसार समाज की व्यवस्था खुद करें, तो इस प्रकार के कानून की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम मानते हैं कि इन्सान के अन्दर जो गुण हैं उनमें बच्चों के लिये मोहब्बत है। हम यह कानून बनाकर उनके प्रति अपना कर्तव्य अदा कर रहे हैं, इन्सान को अपनी जिन्दगी के प्रति प्यार होता है लेकिन हम देखते हैं कि कई व्यक्ति खुदकुशी करने को तैयार हो जाते हैं, इसके लिये भी कानून बना रखा है कि खुदकुशी न कर सकें। उसके लिये सजा की व्यवस्था की गई है। मेरे कहने मंशा यह है कि हमारी कमजोरियों की वजह से इस प्रकार के कानून बनाये जाते हैं, जब तक समाज में और इन्सान में कमजोरियां रहेंगी इस प्रकार के कानून बनते रहेंगे।

अब हमें सोचना यह है कि क्या इस कानून के जरिये ज्यादती और जुल्म होने वाले हैं? जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, अगर इस कानून को सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजने का मंशा हो, तो वेक्सीनेटर ज्यादती करते हैं तो मंशा पूरी हो जायगी; तब तो यह बात गलत है, कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है जिसमें इस समस्या का हल हो सके। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि इस कानून के अमल में आने के बाद में किसी किस्म की जुल्म ज्यादती होगी, चाहे वेक्सीनेटर जुर्म करता है या अन्य कोई, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार की ओर से इस प्रकार की जुल्म ज्यादती को खत्म करने में हर प्रकार के कदम उठाये जायेंगे। हमारे पीनल कोड में भी बहुत से जुर्म की सजा है, बहुत तरह के कानून हमारे यहां बने हुए हैं, चोरियां होती हैं उनको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, उस पर दलील यह दी जाय कि इन्सान तो परमात्मा का स्वरूप है, उसकी आत्मा में परमात्मा का निवास है, तो कानून तो किसी

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

प्रकार का बनना ही नहीं चाहिये। अगर वास्तव में हर इन्सान अपने में परमात्मा का निवास मानकर कोई अपराध न करे और अपना स्वरूप पहचाने तो मैं समझता हूं हमें इस प्रकार के कानून लाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी और ये कानून अपने आप ही खत्म हो जायेंगे।

मैं आपसे निवेदन करूं, हम जो कानून बना रहे हैं वे समाज के लिये हैं क्योंकि हमारे समाज में कमजोरियां हैं। अगर हम उन कमजोरियों को मिटा नहीं सकते तो हमें इस प्रकार के कानून का आश्रय लेना होगा।

इसके अलावा भी बहुत तरह-तरह की दलीलें दी गईं, जिसमें सबसे ज्यादा जोर क्लॉज़ २० के बारे में दिया गया था, जिसमें सजा का प्रावधान था उसके लिये कहा गया कि यह जो सजा है बहुत ज्यादा है और इसी को ख्याल करके मैंने अमेन्डमेन्ट मूव किया। मैं मानता हूं, यह कानून सारे हिन्दुस्तान में लागू है और इसी प्रकार से सजा की व्यवस्था की गई है जो ठीक है, लेकिन फिर भी सदन के सदस्यों की इस भावना की कद्र करते हुये कि वे सजा को कम करवाना चाहते हैं मैंने अपनी तरफ से संशोधन मूव किया। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अफसोस होता है कि एक बात को हम स्वीकार करते हैं एक प्रजातन्त्रीय भावना को सामने रख कर, सदन की भावना थी कि सजा में कमी की, जाय मैंने उसी प्रकार का अमेन्डमेन्ट मूव कर दिया, उसका माननीय सदस्यों ने यह मतलब लगाया कि सरकार ने कानून गलत बनाया था इसलिये ऐसा करना पड़ा हम लोग जो भी कानून सदन में प्रस्तुत करते हैं उसको हमारा विभाग देखता है और उसी के अनुरूप कानून हम सदन में रखते हैं, उसमें गवर्नमेंट का पोइन्ट आफ व्यू है, वह हम सदन में रखते हैं। अब अगर सिलेक्ट कमेटी जाकर अमेन्डमेंट देती है तो उसको मानना कोई मन्शा के खिलाफ नहीं होता। इसी तरह की सदन को जो भावना थी उसको सामने रखते हुए मैंने संशोधन रखा। यह हमने डेमोक्रेटिक स्पिरिट आपके सामने बतायी, क्योंकि सरकार डेमोक्रेटिक है, उसका सुबूत गवर्नमेंट ने इस प्रकार का अमेन्डमेंट मूव करके दिया। इस भावना को गलत तौर से नहीं समझना चाहिये। मैं सदन के सदस्यों से अदब के साथ अर्ज करूंगा कि अगर हम किसी प्रकार की गलत परम्परायें डालते हैं तो उसमें किसी का लाभ नहीं हो पायगा।

इस सम्बन्ध में बोलते हुए एक माननीय सदस्य ने यह भी दलील रखी कि इस प्रकार का कानून अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, अतः वह अब नहीं चलना चाहिये। अंग्रेजों के जमाने से बहुत सी बातें चली आ रही हैं, जैसे रेल, टेलीफोन, तो क्या इनकी चीजों को मान कर हम इनको छोड़ देने के लिये तैयार हैं? अगर आप इन चीजों को छोड़ने के लिये तैयार हो जायेंगे तो मैं इस बिल को वापिस लेने के लिये तैयार हो जाऊंगा। लेकिन आप इन चीजों को छोड़ने के लिये तैयार नहीं तो फिर जैसा कि मैंने अर्ज किया अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे वेक्सीनेशन को आप गलत क्यों मानते हैं? आज भी करोड़ों रुपयों की दवा हम बाहर से मंगा रहे हैं। अगर हम इस बात को नहीं चाहते तो जो डिस्पेन्सरीज़ हैं उन सबको बन्द कर देना चाहिये। लेकिन यह होने वाला नहीं, हमें अच्छी चीजों को ग्रहण करना होगा। जितने भी साधन अच्छे

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

चले आ रहे है उन सब को मान्य करना होगा लेकिन क्या सदन के सदस्य इस बात को चाहते हैं ? यह कानून ही इन्नोसेन्ट है ।

यह कहा गया कि जयपुर में इसकी व्यवस्था ठीक नहीं है । मैं समझता हूँ कि व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं है । फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर कोई बात हमारे ध्यान में गड़बड़ी की लाई जावेगी तो उसे ठीक करने की व्यवस्था की जावेगी और उस पर हम जरूर विचार करेंगे । सफाई का अभियान यहां जारी है । मैं आपसे भी सहयोग की अपील करूंगा, सरकार और नगरपालिका मिलकर इस काम को कर रहे हैं और अगर आप भी मिल कर चलेंगे तो समस्या का हल शीघ्र कर पायेंगे । मुझे आशा है माननीय सदस्य अपना आॅपोज़ीशन वापिस ले लेंगे और इस बिल को एकमत होकर पास करेंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय.... ...

श्री उपाध्यक्ष : We have concluded the bebate after the reply, that has been given by the hon'ble Minister.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं चाहता हूं कि दो शब्द रक्खूं यदि आप मौका दें....

श्री उपाध्यक्ष : No please.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आॅन ए पोइन्ट आफ आॅर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय इस बिल में एक संशोधन पेश हुआ है जिसके कारण मैं सदन का ध्यान रूल्स आफ बिज़नेस के नियम १३२ की ओर आकर्षित करूंगा जिसमें इस बात का उल्लेख है :

"(1) When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the Bill is made, the member-in-charge may at once move that the Bill be passed."

(2) If any amendment of the Bill is made, any member may object to any motion being made on the same day that the Bill be passed, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made."

उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि इस बिल में एक महत्वपूर्ण संशोधन स्वीकार हुआ है । चाहिए तो यह था कि इस प्रकार के संशोधन की, सदन में आए इसके पहले प्रतिलिपि सभी सदस्यों के पास भेजी जाती पर प्रतिलिपि नहीं भेजी गई और संशोधन स्वीकार हुआ । मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस बात को लेकर विरोध चला था उसको कम करने की गरज से एक महत्वपूर्ण संशोधन इस सदन में स्वीकार किया गया है तो जहां ऐसे संशोधन स्वीकार हो वहां, वैसी सूरत में रूल्स की तहत आज इस हाउस में इस कानून को पास नहीं करना चाहिये । इसलिए मेरा यह ऐतराज है कि पारित करने का जो प्रस्ताव आया है वह रूल्स के खिलाफ है और इस समय यह बिल पास नहीं होना चाहिये ।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह व विधि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि अवश्यमेव यह उनका अधिकार है और यह रूल्स में दिया हुआ है कि ऐसी सूरत में यह पास नहीं किया जावे, पर इसके लिए एक वक्त था । वह वक्त उनके

(श्री रामकिशोर व्यास)

ऐतराज उठाने का तब था जब कि मेम्बर इन्चार्ज उसे पारित करने का प्रस्ताव कर रहे थे, मूव करते समय यह ऐतराज उठाया जा सकता था। पर उस वक्त यह ऐतराज नहीं उठाया गया और उसके बाद में उस पर डिबेट हो गई और डिबेट कम्पलीट भी हो गई, तो ऐसी स्थिति में वह ऐतराज करने की स्टेज बाकी नहीं रह गई। इसकी शब्दावली पर आप गौर करेंगे : "If any amendment of the Bill is made, any member may object to any motion being made on the same day that Bill be passed" तो जिस वक्त मोशन मूव किया गया था उस वक्त ऐतराज होना चाहिये था। पर अब उस पर डिबेट हो चुकी तो इस लिहाज से आपका ऐतराज का हक खतम हो चुका।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-सिटी, पश्चिम): I think what the hon'ble Minister has just now spoke is not correct on this point. The objection can be taken at any time before the motion is carried. It (rule) does not say that the objection must be taken before the discussion starts on the motion. It can be taken at any time before the Bill is passed or the motion is passed. If somebody did not raise the objection, according to you it cannot be taken thereafter at all.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सब रूल (२) है १३२ का वह बहुत साफ है: "If any amendment of the Bill is made, any member may object to any motion being made on the same day that the Bill be passed," When the motion was moved only at that time the objection could have been raised and, "such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made". The motion has been made and discussed in the House. पास की बात नहीं कहते हैं।

श्री अर्जुनदास : The question will be put by the hon'ble Deputy speaker now.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: Now the permission of the speaker must have been taken.

राजा श्री मानसिंह (वैर) : Since the motion was made, the Bill itself has been amended and therefore we can take objection to the motion being passed today.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा स्पष्टीकरण कर दूं। माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि जिस समय मोशन मूव किया गया था उस समय ऐसा ऐतराज नहीं आया। इस नियम के शब्दों का सीधा अर्थ यह है कि मोशन मूव करने के बाद और पास होने के पहले कोई भी समय हो, डिसकशन का समय हो या बीच का कोई भी समय हो, किसी भी समय हमारा यह अधिकार है कि इस तरह का हम ऐतराज उठावें। इसमें यह बात कोई महत्व नहीं रखती कि वे जब सीट पर बैठे हों तो कोई सदस्य खड़ा नहीं हुआ। बहुत मुमकिन है, किसी के यह बात उस समय ध्यान में नहीं

Page No.88

(श्री भैरोंसिंह)

आई हो और बाद में ध्यान में आई हो, तो उस वक्त भी उसे इस नियम के अन्तर्गत यह अधिकार है कि वह ऐतराज उठा दे। इसलिये यह दलील कि तुरन्त ही ऐतराज नहीं किया गया महत्वपूर्ण नहीं है। मैं कहता हूं कि इतनी स्पष्ट शब्दावली के रहते हुए यह कहना भी शोभाजनक नहीं है। शब्दावली साफ है। सदस्य को अधिकार है कि बीच में किसी समय भी वह ऐतराज उठा सकता है। इसीलिये मेरी प्रार्थना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इसे आज पास नहीं किया जावे।

माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी खास तौर से इन दो तीन शब्दों पर जोर दे रहे थे। मुझे ख्याल है कि वे चीज को समझे नहीं हैं :

"If any amendment of the Bill is made, any member may object to any motion being made on the same day that the Bill be passed".

यह बिल पास करने का मोशन आता है, इसके बारे में कोई भी सदस्य इस पर ऐतराज कर सकता है। इस शब्द को लेकर मूव करने वाले से सम्बन्ध जोड़ते हैं तो इससे तो मिसअन्डरस्टेंडिंग क्रिएट होगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि पास करने का जो प्रस्ताव रक्खा है उसके बाद में बहस होने तक जो स्थिति आई है उस बीच में कोई भी ओब्जेक्शन रेज किया गया है वह वैलिड है और वह उस समय तक वैलिड है जिस समय तक उपाध्यक्ष महोदय कोई अपना रूलिंग न दे दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ऐतराज किया जा रहा है ....

श्री अर्जन दास : Will he be allowed to speak twice.

श्री उपाध्यक्ष : I allow him. This is a question of law?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई नई बात नहीं है। यदि यह बात मान ली जावेगी कि किसी वक्त भी ओब्जेक्शन रेज कर सकते हैं तो we will have to read the language of this sub-clause. The word 'at any time' is not here. "(3) Where the objection prevails, a motion that the Bill be passed may be brought forward on any future day."

और किसी वक्त भी आप कहते हैं। वह यह नहीं है। अगर कोई मोशन मूव होता है तो उसी टाइम पर ऐतराज लाना चाहिये और यह कहना कि किसी टाइम पर लाया जा सकता है तो आप सब क्लॉज़ (२) रीड करिये। जिस किसी ने मोशन मूव किया उस वक्त ऐतराज किया और कहा कि आज यह मोशन मूव नहीं हो सकता। इन देट केस (In that case) यह हो सकता है कि किसी फ्युचर डेट को मूव करना होगा। मतलब यह है कि इस वक्त मूव नहीं किया तो सब क्लॉज का कोई मतलब नहीं रह जायगा। इसलिए अर्ज करूंगा कि यह बिल्कुल ठीक है। मोशन मूव हो चुका है और बहस हो चुकी है। स्पीकर साहब को पॉवर है। बिल आ गया है तो प्रिज्यूम करना चाहिये। इसे स्पीकर महोदय ने अपनी पॉवर से अलाउ कर दिया है।

श्री अर्जनदास : Sir, I give only one example, if I may be permitted to do so. The law says that no

Page No.89

(श्री अर्जुनदास)

member shall be permited to take part in the debate unless he has been sworn in. Suppose tomorrow, Sir, a member who has been newly elected comes over into this House and has not yet been sworn in, he rises and takes part in the debate, and nobody takes any objection to it, after a few minutes while he is still on his legs somebody raises a point of order, would you allow him to continue, because no member took objection to it in the beginning. The two positions are identical. This thing cannot be allowed to continue. You may have to put a check on it. Similary, as soon as an objection has been raised the legal position is that a check has got to be put on it.

श्री उपाध्यक्ष : That the objection having been not raised at the proper stage is belated. Therefore, the objection is over-ruled as it does not come within the perview of rule 132 of the Rules of Procegure and Conduct of Buseness.

(विराम)

Now the Bill be put to votes.

(विराम)

Now the question is", That the Rajasthan Vaccination Bill, 1957, as amended, be passed"

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता

श्री अर्जुनदास : Noes bave it, Sir.

श्री हरिदेव जोशी : Ayes have it, Sir.

श्री अर्जुनदास : No, Sir, Noes have it.

श्री उपाध्यक्ष : (To the Opposition) Would you like to have a division.

राजा श्री मानसिंह : Yes, Sir, we would like to have a division.

(विभाजन घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री उपाध्यक्ष : The question is, "That the Rajasthan Vaccination Bill, 1957, be passed.

(पुनः मत-दान के पश्चात्)

Ayes have it. The bill is passed.

(हर्ष ध्वनि)

राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन विधेयक, १९५७

(विचार-स्थगित)

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सोसाइटीज़ बिल.......

श्री अर्जुनदास : Why not have it the other day, Sir. We will meet tomorrow morning. We will consider It tomorrow.

श्री उपाध्यक्ष : That is only a question of giving leave if you at all agree. it will hardly take a minute.

श्री रामकिशोर व्यास : आम तौर से प्रणाली यह है, जब तक पूरा समय नहीं हो जाता तब तक हाउस बैठता है। यदि हाउस की मर्जी हो और स्पीकर महोदय परमिट करें

Page No.90

(श्री रामकिशोर व्यास)

तो आपत्ति नहीं है, लेकिन आम तौर से हाउस पूरे समय तक बैठता है ।

श्री अर्जुनदास : We will meet afresh tomorrow.

श्री उपाध्यक्ष : Many of the members seem tired today.

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो आमतौर से होता है ।

श्री अर्जुनदास : It it the sense of the House, Sir.

श्री भैरोंसिंह : आम तौर से नहीं तो खास तौर से सही ।

श्री रामकिशोर व्यास : खास तौर की कोई बात नहीं है । जो प्रणाली है और रिवाज है वह सब जगह है, वह मैंने बताया क्योंकि आप बहुत दुहाई देते हैं कि स्वस्थ परंपराएं स्थापित होनी चाहिये । इसलिये मैं नोटिस में ले आया, बाकी मर्जी स्पीकर साहब की ।

श्री उपाध्यक्ष : Is it the sense of the House ?

(Voices of "yes, yes")

श्री अर्जुनदास : We may bring it tomorrow.

श्री उपाध्यक्ष : I think we adjourn for tomorrow till 11 O' clock.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४.४७ म. प. दिनांक ८ मई, सन् १९५७, बुधवार तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ४३ का उत्तर देखिये)

LIST OF OFFICERS TRANSFERRED DURING THE PERIOD FROM 24. 12. 1956 to 31. 3. 1957.

S. NO.	Name.	From.	To	Remarks,
1.	Shri Gange Prasad Bissa, R. A. S.	S. D. O. Ratangarh.	Addl. Collector, Gangangar.	
2.	Shri Allaudin Khilji, R. A. S.	Deputy Collector (Jagir) Jaipur.	Addl. Collector, Udaipur.	
3.	Shri Bishambhar Singh, R. A. S.	Awaiting Orders.	S. D. O. Rajgarh (Alwar).	
4.	Shri Raghuraj Singh, R. A. S.	S. D. O., Rajgarh (Alwar).	S. D. O. Hindaun.	
5.	Shri N. M. Kothari,	Lecturer in Commerce, Govt. College, Ajmer.	Control Room Officer, Election, Jaipur.	
6.	Shri Brish Bhan	From leave	Control Room Officer, Election, Jaipur.	
7.	Shri Ganesh Dutt	R. T. O. Jaipur	Asstt. Collector & Magistrate (under training) Jodhpur.	
8.	Shri Gopal lal Mathur (Tehsildar)	Oftg. Assistant Collector & Mag. Churu.	Oftg. Asstt. Collector & Magist. Barmer.	
9.	Shri Anandi Lal Mathur, R. T. S.	Tehsildar	Oftg. Assistt. Collector & Magis. Bhilwara.	
10.	Shri Prayag Rai Mathur, R. T. S.	-do-	Oftg. Asstt. Collector & Magistrate, Chirawa.	
11.	Shri Megh Raj Ujwal R. T. S.	-do-	Oftg. Asstt. Colleotor & Magistrate, pali.	
12.	Shri A. C. U'Bapna	Asstt. Collector & Mag. Chirawa	S. D. O. Begun.	
13.	Shri Laxmi Lal Mathur, R. A. S.	S. D. O. Begun	S. D. O. Deeg.	
14.	Shri Shambhu Singh, R T. S.	Tehsildar	Oftg. Asstt. Collector & Mag. Deeg.	
15.	Shri Satwant Singh, R. T. S.	-do-	Oftg. Asstt. Collector & Mag. Ajmer.	
16.	Shri Mohan Singh, R. A. S.	Asstt. Collector & Mag. (U. T.) Bikaner.	Municipal Magistrate, Ajmer.	
17.	Shri Guru Dutt Pd.	Tehsildar	Oftg. Asstt. Collector & Magi. Chittorgarh.	

S. NO.	Name.	From.	To.	Remarks.
18.	Shri Deoki Nandan	-do-	Oftg. Asstt. Collector & Magi. Chittorgarh.	
19.	Shri Tara Chand Jain, R. A. S.	Liquidator Bhopal Cooperative Society, Udaipur.	Deputy Collector (Jagir) Jaipur.	
20.	Shri Rameshwar Lal	Oftg. Asstt. Collector & Mag. Salumber.	Oftg. Asstt. Collector, Jhalawar.	
21.	Shri Jaswant Singh Singhvi, R. A. S.	Asstt. Collector & Mag. (U. T.) Jaipur	Asstt. Collector & Mag. (U. T.) Udaipur.	
22.	Shri Syed Abdullah R. T. S.	A. S. O. Jaipur	Asstt. Collector & Mag. Sambhar.	
23.	Shri Kushal Singh R. T. S.	Tehsildar	Oftg. Asstt. Commissioner Devasthan, Jodhpur	
24.	Shri Vinayak Dutt R. A. S.	Asstt. Commissioner Devasthan, Jodhpur	S. D. O. Gangapur.	
25.	Shri Shri Jas Raj Joshi, R. A. S.	Awaiting Orders	Deputy Collector (Jagir) Tonk.	
26.	Shri Manna Lal Mathur, R. T. S.	Tehsildar	Oftg. Asstt. Collector & Mag. Salumber.	
27.	Shri Himmat Singh Galundia, R. A. S.	Awaiting Orders	Director of Famine & Relief cum ex-officio Deputy Secretary to Gost Revenue Department.	
28.	Shri Dalpat Singh, R. A. S.	Awaiting Orders	Asstt. Collector & Mag. Parbatsar H. Q. Nawa.	
29.	Shri Jai Singh, R. A. S.	Asstt. Collector & Mag. Parbatsar	Sub-Divisional Officer Merta.	
30.	Shri Hukam Raj Bhandari	S. O. Barmer	Deputy Director, Consolidation, Jaipur,	
31.	Shri Pratap Singh R. A. S.	Addl. Collector Bharatpur	Deputy Director of Industries, Jaipur.	
32.	Shri Brij Modan Purohit, R. A. S.	Asstt. Collector & Mag. Dausa	Asstt. Director Soiae-wdgae Dcptt. Jaipur,	
33.	Shri Anand Mohan, I. A. S.	Under Training at Lucknow.	S. D. O. Jaipur.	
34.	Shri D. K. Saxena, I. A. S.	-do-	S. D. O. Ajmer.	
35.	Shri M. L. Dia	S. D. O. Ajmer	Asstt. Collector & Mag. Ajmer.	
36.	Shri D. D. Upadhaya	On leave	Addl. Commissioner, Ajmer.	

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ४६ का उत्तर देखिये)

QUALIFICATIONS REQURIED ACCORDING TO HAND BOOK OF THF UNIVERSITY OF RAJPUTANA

P. T. Instructor :--
(a) Training Certificate of Govt. Training Institute, Kandeveli, Bombay, or
(b) Training Certificate of Hanuman Vyayam Pracharak Mandal, Amravti, C.P. or
(c) Training Certificate of the Ju nna Dada Vyayam Shala, Baroda, or
(d) Training Certificate of Y. M. C. A. College of Physical Education Madras or Lucknow.
(e) Training Certificate of the Physical Trg. Institutions at Calcutta or Lahore.

Drill Master — Military retired personnel trained in Drill are reemployed on fixed Pay.

Tailor Master. — A practical and experienced cutter with sufficient knowledge of theory, preferably a qualified man from some well recognised tailoring school.

SANCTIONED GRADES.	Scale of Pay.	Remarks.
1. Physical Instructors at Middle Schools.	40-1-45-EB-2-55-EB-2-65.	Middle with physical training at Amravati or equivalent.
2. Physical Instructors at Inter Colleges.	70-4-90-EB-5-125	Admssible to Inter with Certificates in physical training course from Amravati or equivalent.
3. Tailor Masters for Higher Secondary Schools and High Schools	70-4-90-EB-5-125	A practical & experienced cutter with sufficient knowledge of theory preferably a qualified man from some well recognised tailoring school.
4. Middle Schools.	The Same Scale as prescribed for Middle or Matric Trained Teachers, as the case may be: (i) 45-2-65 (ii) 50-4-90 E B-5-100	Matric or Middle with Diploma in the Subjects concerned.

———

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ५१ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING AMOUNT SANCTIONED FOR COMPLETION OF WELLS IN 1956-57.

S. No.	Name of Tehsil.	No. of Wells.	Amount sanctioned
		District Banswara	
1.	Banswara.	51	6, 850/-
2.	Ghatol.	49	12, 350/-
3.	Garhi.	9	1, 550/-
		District Dungarpur.	
1.	Dungarpur.	39	8, 350/-
2.	Aspur.	5	1, 100/-
3.	Sagwara.	42	11, 900/-
		District Udaipur.	
1.	Saira.	1	200/-
2.	Amet.	1	150/-
3.	Kotada.	54	9, 000/-
4.	Phelasia.	2	550/-
5.	Salumber.	36	5, 250/-
6.	Sarada.	57	10, 000/-
7.	Girwa.	5	1, 200/-
8.	Nathdwara.	11	2, 750/-
9.	Bhopalsagar.	9	1, 450/-
		District Chittorgarh.	
1.	Rashmi.	5	1, 100/-
2.	Achnera.	3	550/-
3.	Pratapgarh.	26	6, 050/-
		District Bhilwara.	
1.	Raipur.	10	2, 100/-
2.	Banera.	4	450/-
		District Sirohi	
1.	Pindwara.	18	2, 950/-
2.	Shivganj.	1	250/-
		District Kotah.	
1.	Shahbad.	163	49, 850/-
		District Pali.	
1.	Bali.	7	1, 750/-

संक्षिप्त विवरण

(मंगलवार, ७ मई, १९५७)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ९५४

भूतपूर्व जयपुर राज्य के सन् ५० के पी. टी. सी. अध्यापक।

ग्राम खोरा बीशल (त. आमेर) में श्री बिड़ला का मिडल स्कूल।

आम चुनावों में सरकारी अधिकारियों के स्थानान्तरण की मनाही।

सन् १९५६-५७ में खोले गये संस्कार केन्द्र।

समाज कल्याण विभाग द्वारा खरीदे गये सिनेमा वान्स।

शिक्षा विभाग के पी. टी. इन्सट्रक्टर्स एवं टेलर्स मास्टर्स।

सरकार के अधीन की हुई ठिकाना खेतड़ी की स्कूलें।

ग्राम हाथोद (त. जयपुर) में खोला जाने वाला शासकीय विद्यालय।

राजस्थान के गजटेड ऑफिसर्स में हरिजनों की संख्या।

त. बैराठ व कोटपुतली के पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियें।

सन् ५५-५६ में आदिवासियों को सिंचाई के कूओं हेतु दी गई धन-राशि।

स्कम्भ

दिये गये धन्यवाद पर राज्यपाल का सन्देश ९७६

दिनांक २१ अप्रेल, १९५७ को श्रीमान् राज्यपाल ने सदन में अभिभाषण दिया। सदन ने धन्यवाद का जो प्रस्ताव पास किया उस पर श्रीमान् राज्यपाल ने सन्तोष प्रकट किया।

जन-लेखा व प्राक्कलन समितियों की रचना सम्बन्धी घोषणा ९७७

उपरोक्त दोनों समितियों के सदस्यों के निर्वाचनार्थ कार्य-क्रम की घोषणा।

श्री रघुवीरसिंह द्वारा शपथ न लेने पर भी कार्यवाही में भाग लेने सम्बन्धी निर्णय ९७८

राजस्थान चेचक टीका विधेयक, १९५७ ९८२

आज उपरोक्त वधेयक के खण्ड २० पर पुनः विचार प्रारम्भ हुआ। इस खण्ड पर श्री बद्रीप्रसाद, प्रभारी मन्त्री, द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन सदन द्वारा स्वीकृत किया जाकर संशोधित रूप में विधेयक का अंगभूत स्वीकार किया गया। तत्पश्चात्

खण्ड २१,१ आदि स्वीकार किये गये।

तदुपरान्त श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर निम्नांकित सदस्यों ने अपने २ विचार प्रकट किये:—

१. श्री भैरोंसिंह (१४)
२. श्री जगदीशप्रसाद
३. श्री दयाकृष्ण विजय
४. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
५. श्री मुरलीधर व्यास
६. श्री मदनसिंह
७. श्री लादूराम सुलाण्या
८. श्री किशनसिंह
९. श्री मोधजी
१०. श्री नरेन्द्रसिंह
११. श्री सोहनलाल भटनागर
१२. श्री सतीशचंद्र
१३. श्री सम्पतराज
१४. श्री जनार्दनराय नागर
१५. श्री नाथूलाल
१६. श्री पुरुषोत्तमलाल
१७. श्री होतीलाल
१८. श्री मूलचन्द
१९. श्री शिवचरणदास
२०. श्री शिवपतसिंह
२१. श्री रामचन्द्र
२२. श्री रामकरणसिंह
२३. श्री धर्मपाल

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता द्वारा इस पर की गई बहस का उत्तर दिये जाने के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित किया गया।

बुधवार, ८ मई, १९५७ की

कार्य-सूची

४ विधेयकों का पुरः स्थापन, — राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन विधेयक, १९५७ (प्रवर समिति को), राजस्थान लॉज़ (एक्सटेन्शन) विधेयक, १९५७ (स्थगित), राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ बिल, १९५७ (विचार-विमर्श) एवं राजस्थान सिविल कोर्ट्स लॉज़ (एक्सटेन्शन) अमेण्डमेण्ट बिल, १९५७ (विचार-विमर्श)

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक ७ मई, १९५७)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
९६२	२२	हरिजनों की आवाती	हरिजनों की आबादी
९६८	२०	श्री हरशंकर सिद्धान्त शास्त्री	श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री
९७७	२७	१० बजे सायं	३ बजे सायं
९८१	२८	misinterpretted that he	Misinterpreted that he
९८२	१४	of the vaccinain Bill	Of the vaccination Bill
९८२	३२-३३	Value ar regards one type, one particulis	Value as regards one type, one particular
९८५	६	of clause o	Of clause 20
,,	१०	श्री वद्रीप्रसाद् गुप्ता	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
९८८	२५	एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट्स की पोस्टस	एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट्स की पोस्ट्स
९९२	९-१०	इस पर पर भी बड़ा	इस पर भी बड़ा
१००८	५	के लिये वेक्सीनेटर जावेगा	के लिये वेक्सीनेटर जावेगा
१०१६	२६	यह बहलाया गया है	यह बतलाया गया है
१०२०	१५	इसकी लैंवेज भी बिलकुल	इसकी लैंग्वेज भी बिलकुल
१०५८	५	महात्माजी वर्षों ने लगाये	महात्माजी ने वर्षों लगाये
१०६५	१	चचक टीका विधेयक	चेचक टीका विधेयक
,,	२३	Support of the bil	Support of the Bill
१०६६	२१	रिगरसनेस (rigourousress)	रिगरसनेस (reigorousness)
१०८१	२	दैहिक दैविक	"दैहिक दैविक
,,	२१	कूप मण्डूक बन	कूप मण्डूक बने
१०९४	०१	चेचक टका विधेयक	चेचक टीका विधेयक
११०६	३१	एक बात में यह	एक बात मैं यह
११०८	२१	उठाना पड़ेगा क्योंकि	उठाना पड़ा क्योंकि
११२५	२५	तो जहां ऐ संशोधन	तो जहां ऐसा संशोधन
११३२	११	It it the sense	It is the sense